खण्ड-255, अंक-1
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(9 मार्च, 1965 ई0)

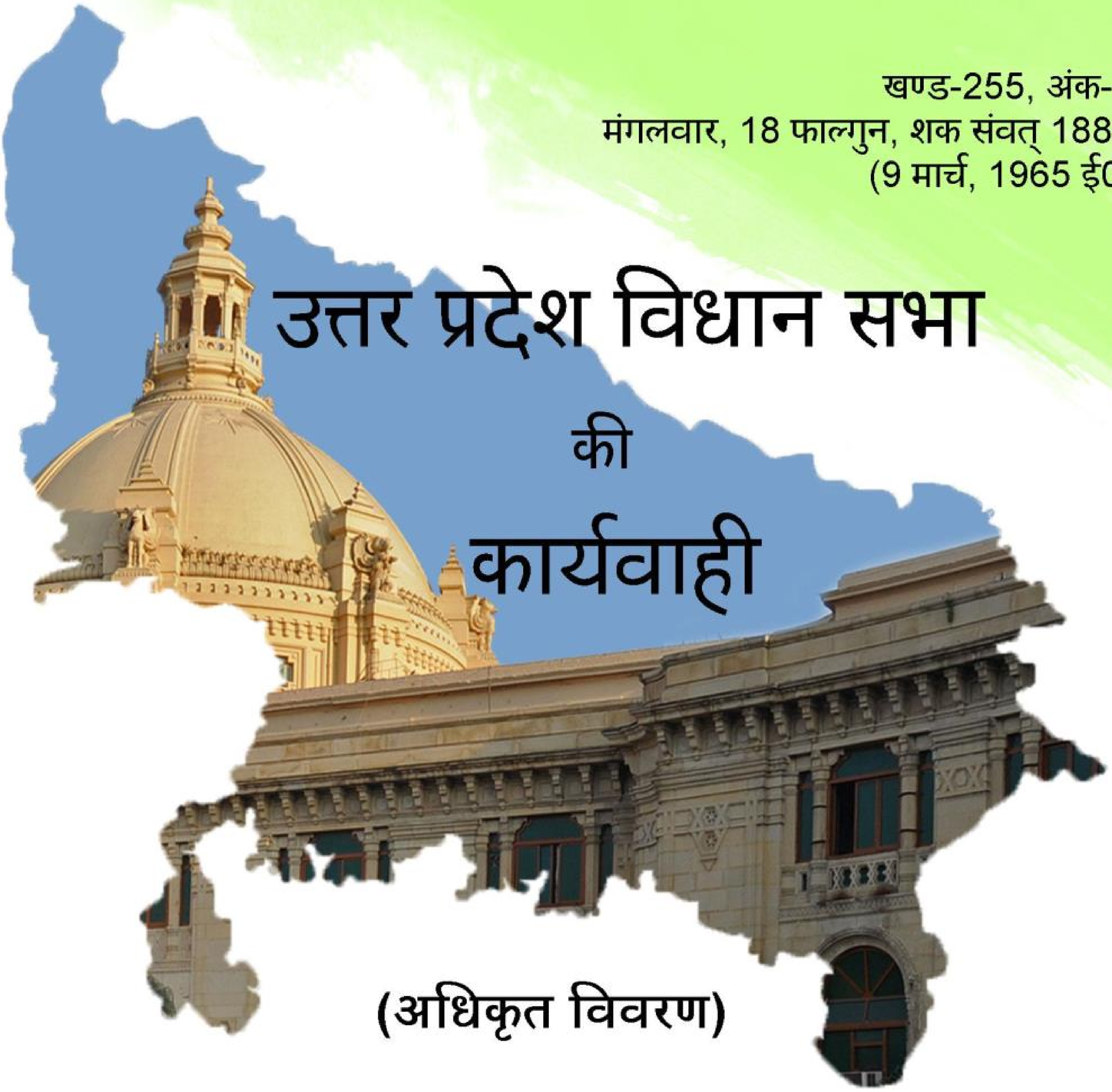

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१
प्रश्नोत्तर (जारी)	५
प्रश्न का उत्तर न मिलने पर आपत्ति	१७
प्रश्नोत्तर	१७
अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारण न किये जाने पर आपत्ति ..	३३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ (मेज पर रखा गया) ..	३४
याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	३४
बिहार राज्य के किसानों द्वारा बलिया जिले की फसल लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३४
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—पुलिस	३५
बाढ़ निरोधन कार्य के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	८८
मन्त्रि परिषद् के एक मन्त्री द्वारा नगरमहापालिका की जमीन पर नाजायज कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा ..	९५
नत्थियां	१०३

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

RA
4096
132736

मंगलवार, ९ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री

गंगाप्रसाद, श्री
गंगोप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

विधान सभा प्रदेश

पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री,
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार ९ मार्च, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

वाराणसी तहसील में कुंडा नाला पर पुल तथा मच्छताल से ड्रेन बनाने की प्रार्थना

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव कनिपर, ब्लाक बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी में जो कुन्डी का नाला बड़ा गांव से हसनपुर विरांव वाली सड़क को काटता है और जहां पूरे वर्ष पानी भरा रहता है उस स्थान में एक पुल बनाने की योजना थी और क्या सन् १९६२ में उसका सर्वे भी हुआ था? यदि हां, तो वह कब तक बन जायगा और सर्वे के बाद वहां के अधिकारियों ने सरकार को क्या रिपोर्ट दी?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

कुन्डा नाला एक बरसाती नाला है और प्रश्न में उल्लिखित स्थान पर जो पानी वर्षाकाल में भर जाता है वह धीरे-धीरे ग्रीष्मकाल से पहले सूख जाता है। यहां पर १९६२–६३ में एक पुल बनाने के लिए प्रारम्भिक सर्वे किया गया था परन्तु उसका निर्माण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इसकी आवश्यकता केवल वर्षाकाल में ही थोड़े समय के लिए होगी।

*२—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कजरीहा ड्रेन मच्छाताल, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी की सन् १९६२ व ६३ में अधीक्षक अभियन्ता, वाराणसी ने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट व इस्टीमेट बना कर दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इसके निर्माण के लिए आवश्यक धन कृषि उत्पादन आयुक्त से मिलना है जिनको इस विषय पर लिखा जा रहा है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर विभाग ने दिया है वह गलत है और इसलिए गलत है कि यहां १२ मास पानी रहता है; पर उत्तर में कहा गया है कि बरसात में ही पानी रहता है। मन्त्री जी को पता होगा कि ५ लाख रुपये लगा करके एक बहुत बड़ा बांध बनवाया गया है इस नाले पर। तो फिर कैसे मन्त्री जी कहते हैं कि बरसात में ही पानी रहता है? क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे या मेरे साथ चलेंगे मौके पर देखने के लिए?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास तो यही उत्तर है कि वहां गर्मियों में पानी नहीं रहता।

श्री ऊदल—

इस स्थान पर पुल की आवश्यकता को देखते हुए कि गांव सभा के पास इतना पैसा नहीं है कि पुल बन जाय बड़े नाले पर, क्या मन्त्री जी विभाग द्वारा इस स्थान पर पुल बनवायेंगे? एक ही पुल बनवा दीजिए।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हर नाले पर पुल बनाने की बात तो मुश्किल है। लेकिन इस पर जांच करेंगे, खर्चा देखेंगे। अगर आप हर नाले पर एक एक पुल बनवाने की बात कहें तो मुश्किल है।

श्री ऊदल—

मच्छा ताल हजारों एकड़ का बड़ा ताल है इसके लिए अधीक्षक अभियन्ता ने कुछ जांच की थी और रिपोर्ट भी दी थी और इस्टीमेट भी बना दिए थे ३, ४ साल पहले। तो अब तक इस विषय में जो कार्यवाही हुई है उसको देखते हुए क्या मन्त्री जी जल्द से जल्द इस काम को करायेंगे ताकि अगली बरसात के पहले यह काम हो जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने उत्तर में बताया कि नियमों के अनुसार इसका रुपया फूड प्रोडक्शन कमिश्नर के यहां से मिलना चाहिए। हमने उनको लिख दिया है कि रुपया दिया जाय। अगर रुपया उपलब्ध हो जायगा तो प्रयत्न किया जायगा कि जल्द से जल्द बैंन जाय। बरसात से पहले का मैं वादा नहीं करता।

कप्तानगंज, बूढ़नपुर, अतरौलिया बस स्टेशनों से आय

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ एवं फैजाबाद जिले के कप्तानगंज, बढ़नपुर, अतरौलिया और बस खारा राजकीय बस स्टेशनों पर यात्रियों एवं रोडवेज के सरकारी कर्मचारियों की सुख-सुविधा के लिए कौन-कौन साधन, भवन आदि उपलब्ध हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

यह बुकिंग आफिस अभी किराये के मकानों में हैं। बस स्टेशनों पर बैठने के लिए बेंचों और गर्मियों में पीने के पानी की व्यवस्था है।

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में उक्त बस-स्टेशनों की आय क्या है ? और कितने-कितने कर्मचारी रात और दिन में रहते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०३ पर)

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सब-डिवीजन क्षेत्र के कर्मचारियों को क्या वर्दी भी दी गई है और यदि नहीं, तो कब दी जाने की योजना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रोडवेज के समस्त ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों को गर्म वर्दी का कपड़ा वितरित किये जाने के आदेश शासन द्वारा पहले ही दिये जा चुके हैं। ठंडी वर्दी देने का प्रबन्ध यथासमय किया जायगा।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर की हड़ताल

*६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में जो हड़ताल १२ सितम्बर, १९६४ से चल रही है वह किन-किन मांगों को लेकर चल रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अब कोई हड़ताल नहीं चल रही है।

*७—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त हड़ताल से सम्बन्धित अब तक कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले जा चुके हैं ? यदि हां, तो उनके निकालने के क्या कारण थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त हड़ताल के कारण कोई कर्मचारी नौकरी से नहीं निकाला गया।

*८—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों की मांगें अब तक सरकार ने क्यों नहीं पूरी कीं तथा पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अधिकांश मांगें परमानेन्ट कन्सिलिएशन बोर्ड के सामने विचाराधीन हैं।

फतेहपुर जिले में हथगांव नहर कटने से क्षति

*९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में नवनिर्मित रामगंगा विभाग की हथगांव माइनर अक्तूबर, १९६४ के आखिरी सप्ताह में मौजा गौंसपुर, परगना कोतला के पास कट गयी और कई दिनों तक लगातार पानी बहता रहा जिसके परिणामस्वरूप मौजा अलादादपुर व अहिंदा, परगना कोतला के काश्तकारों की सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई तथा रबी के बोए हुए खेत सड़ गये ? यदि हां, तो सरकार ने काश्तकारों को क्षति पूर्ति करने व अन्य सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी हां, परन्तु पानी कई दिनों तक नहीं बहता रहा। इस खांदी के पानी से मौजा अलादादपुर, अहिन्दा तथा गौसपुर परगान कोतला, जिला फतेहपुर के काश्तकारों की २४७ एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी परन्तु इससे रबी के बोये हुए खेतों को कोई हानि नहीं हुई।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त नहर उसी स्थान पर पहले भी कट गयी थी तथा किसानों के धान के खेतों में पानी भर गया था और पानी की आवश्यकता न होने पर तथा किसानों द्वारा स्वयं पानी न मांगने पर भी किसानों से उस समय की सिंचाई की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उक्त नहर उपरोक्त स्थान से ३३० फीट नीचे की ओर पहले कट कई थी। उपरोक्त खांदी से भर जाने के कारण किसानों पर कोई महसूल नहीं लगाया गया था।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जो चने के खेत बो दिये गये थे उनको फिर से किसानों को बोना पड़ा ? यदि हां, तो मन्त्री जी ने कैसे कह दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चने के खेत बोये गये थे इसकी सूचना नहीं है। लेकिन गांव सभाओं के प्रधानों के पत्र मेरे पास हैं उनमें लिखा हुआ है कि पहले जो पानी आया था उससे मालूम पड़ता था कि गेहूं न जमेंगे। लेकिन बाद में चूंकि गेहूं जम गया तो कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों गांव सभाओं के प्रधानों के पत्र मेरे पास हैं।

श्री रक्षपालसिंह--

जिन खेतों पर पहले सींच नहीं हुई और बाद में नहर टूटने से हुई तो उनसे पहली सींच का भी कर वसूल किया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

खंदी की वजह से जो पानी इस्तेमाल हुआ उस का कर वसूल नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जो पानी लिया उसका कर वसूल किया जा रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

यह नहर कब कटी और कब इसकी मरम्मत हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह उत्तर में पहले ही दे दिया गया है कि यह २८-२९ की रात को कटी और २९ को उसकी मरम्मत हुई।

*११-१२--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[प्रश्नकर्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिए गए।]

विकासखंड सहावर का नाला

*१३--श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला स्थित विकास खण्ड, सहावर में जहांगीर पुर से सिटाली तक के नाले का कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा १९६४ में कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त नाला कब तक बन कर तैयार हो जाने की योजना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)--

प्रथम भाग--जी नहीं।

दूसरा भाग--प्रश्न नहीं उठता।

[९ मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित [तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री ऊदल--

[६ठें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

नौगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी की कमी

*२--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नहर मिर्जापुर से नौगढ़-चकिया, जिला वाराणसी को आई है वह काफी सकरी तथा कम गहरी है जिससे नौगढ़ के क्षेत्र में पर्याप्त पानी सिंचाई हेतु नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नहर को और चौड़ी तथा गहरी और उसकी पश्चिम तरफ की पटरी ऊंची करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं। पानी नहर की क्षमतानुसार सुचारुरूप से मिलता है ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी इस नहर की सफाई कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सफाई जरूर करा देंगे।

देवरिया जिले में गांवों को बिजली

*४--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिले में नवम्बर, १९६४ तक तहसीलवार किन-किन भागों में ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली लग चुकी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नवम्बर, १९६४ तक देवरिया जिले में तहसीलवार १७८ स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है। उनके नाम संलग्न सूची 'अ' में दिये हुए है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४-पर)

*५--श्री उग्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि अगले दो वर्षों में देवरिया जनपद में कितने और गांवों को बिजली देने की योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

देवरिया जिले में दिसम्बर, १९६४ से मार्च, १९६६ तक १४९ स्थानों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी और तीसरी योजनाओं में अलग-अलग कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस झगड़े में क्या पड़ें, जितने गांवों का हो गया वह सूची मेरे पास है।

श्री उग्रसेन--

देवरिया में ३,६०० के करीब गांव हैं और सूची में १२९-१४९ यानी बहुत कम गांव है। क्या मंत्री जी चौथी योजना में ५००-७०० गांव कम से कम लेने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

तीसरी योजना में १,५०० गांवों के बजाय, परसों, जो चन्द्रावल गांव का विद्युतीकरण हुआ उसको मिलाकर ३,४९४ गावों का विद्युतीकरण हुआ है। हमारा इरादा है कि ५,००० गांवों का विद्युतीकरण इस योजना में करें। अगली योजना में १६,००० गांवों को विद्युतीकरण के लिये ८० करोड़ रुपये की जरुरत है। अगर आदरणीय सदन उनका इन्तजाम कर देगा तो वह भी कर देंगे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले के सकरौली ब्लाक में खंभे तो गाड़ दिये गये हैं, लेकिन बिजली नहीं दी गयी है तो कितने दिन के अन्तर्गत आप बिजली दे देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ब्लाक की कोई सूचना इस तरह से अलग नहीं रखी गयी है, लेकिन जहां खंभे लगे हैं वह बिजली लगाने के लिये ही हैं ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

साधारणतया हमारा नियम यह है कि एक हजार की जनसंख्या पर डेढ़ मील की हाई टेंशन लाइन खींच देते हैं और इसके बीच में जो स्थान पड़ जाते ह वे आ जाते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

१ हजार की आबादी पर डेढ़ मील लाइन ले जाते हैं यह माननीय मंत्री जी ने कहा तो सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराया है कि इस फारमूले के अन्तर्गत कितने गांव आते हैं जिनका विद्युतीकरण होना चाहिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जितना रुपया मिलता जायगा लाइन बढ़ती जायगी ।

श्री मैनेजरसिंह—

जब एक हजार की पापूलेशन पर डेढ़ मील लाइन खींच दी जाती है तो ५०० की पापूलेशन एक जगह और ५०० की पापूलेशन दूसरी जगह है, तो उसे आप जोड़ लेंगे और पूरे एरिया में आप बिजली लगायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—

जैसा अभी बतलाया गया जहां हमको लाइन मिलती है वहां पर अगर जरूरी समझा तो उस इलाके का विद्युतीकरण कर दिया । अगले वर्ष से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिले में जिलाधिकारी और प्लानिंग अफसर और जो हमारे एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हाइडल होते हैं ये सब मिलकर जिले की पोटेंशियलिटी को देख कर इलेक्ट्रिफिकेशन किया करेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आपने जो नियम बना रखा है एक हजार की आबादी का उसकी परवाह किये बगैर भी बिजली लगा दी जाती है । जिन गांवों में २००–४०० रुपये रिश्वत दे दी गयी वहां एक हजार का नियम तोड़ कर १० रुपया फी लट्ठा लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अधिक से अधिक मात्रा में विद्युतीकरण हो ताकि औद्योगीकरण में सुविधा हो ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जिन गांवों में बिजली लगी है उनमें ऐसा हुआ है कि १० रुपया फी लट्ठा लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा होगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

इस सूची में एक गांव इलाहाबाद का है वरहा सिर्फ ४४ जन संख्या पर बिजली लगी है और इलाहाबाद के विधायक हैं मेवालाल जायसवाल उनके गांव की आबादी है, २,००० वहां बिजली नहीं मिली। तो यह जो नियम है १ हजार की आबादी का उसके ऊपर सख्ती से पालन नहीं होता। तो किस सिफारिश पर कम आबादी वाले गांव को ले लेते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कम आबादी वाली बात ही नहीं है। हमारा आधार यह है कि बड़ी लाइन को खींचने के लिये हम एक बार एक हजार की पापूलेशन पर डेढ़ मील लाइन खींचते हैं, लेकिन किसी गांव से कोई लाइन जाती है और १, २ आदमी वहां के बिजली लेना चाहते हैं तो हम यह नहीं कहेंगे कि बिजली नहीं देंगे। बिजली तो देने के लिये है ही। लाइन खींचने के लिये यह आधार है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बतलाया कि ८० करोड़ रुपया अगर सदन पास कर देगा तो बिजली बहुत सी जगह लग जायगी। इसलिये मैं इस उत्तर के आधार पर पूछना चाहता हूं कि क्या ८० करोड़ रुपया अगर सदन पास कर दे तो छाता जैसी तहसील में, जहां कोई भी बिजली की लाइन नहीं है बिजली लग जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने यह कहा था कि यह योजना चौथे प्लान की है। उसमें भी हमको १६,००० गांवों में बिजली लगानी है। इस प्रदेश में कुल ८० हजार गांव हैं। इस प्रकार चौथी योजना के अन्त तक हम करीब २१,००० गांवों में बिजली लगा सकेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पश्चिमी जिलों में आप के कहने के मुताबिक बिजली इसलिये उपलब्ध नहीं है कि सरकार के पास ट्रान्सफार्मर्स नहीं हैं ? तो ट्रान्सफार्मर्स पाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात सही है क्योंकि बिजली की मांग आवश्यकता से अधिक हो गयी है। जितने कारखाने ट्रान्सफार्मर्स बनाया करते थे उनकी सीमा से अधिक हमको उनकी आवश्यकता पड़ने लगी है। इसलिये यहां की कम्पनियों से तो हम ट्रान्सफार्मर्स लेते ही हैं और उनसे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये भी हमने कहा है, लेकिन उसके साथ ही हम बाहर से भी मंगा रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे देशों से भी ट्रान्सफार्मर्स मंगाये जायं

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

माननीय विद्युत मंत्री जी से पूरा सदन बड़ा प्रसन्न है क्योंकि बिजली का काम बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं विद्युत मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ५४ जिले हैं। ५३ जिलों के कांग्रेचुलेशन्स और कमेंट्स आप को मिले हैं। हरदोई के मुताल्लिक भी डी० एम० ने और प्लानिंग अफसर ने बिजली की लाइन की एक योजना सरकार के पास भेजी

थी। तो क्या आपके जो कानूनी तरीके हैं उनके अनुसार आप उसे भी स्वीकार कर लेंगे, हमारी बात आप न मानें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनकी बात तो मानेंगे, लेकिन हम तो आपकी बात भी मानते हैं।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया जिले के बनसफा ब्लाक में १०, १५ गांव ऐसे हैं कि जो १,००० की आबादी से अधिक के हैं और उनकी बगल में बिजली पहुंच गयी है, इस लिये क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि वहां शिवरामपुर, भटनी आदि गांवों में भी बिजली दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने एक सूची दी है कि जिन गांवों में बिजली लग चुकी है और जहां लगाने का प्लान है। अगर और कोई सुझाव उस सूची में माननीय सदस्य देना चाहते हैं तो लिख दें, मैं विचार कर लूंगा।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को इस तरह की शिकायत मिली है कि जैसे हमारे क्षेत्र के गांव पैना और चन्द्रबली जी के क्षेत्र का महेन, रामपुरगढ़ आदि हैं, वहां केवल बड़े-बड़े मोहल्लों में ही बिजली लगी है, हरिजन बस्तियों में बिजली नहीं लगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

देवरिया के बारे में तो शिकायत नहीं मिली, लेकिन कहीं-कहीं यह जरूर हुआ है कि बिजली बहुत से मोहल्लों में नहीं लगी। लेकिन अगर गांव सभा के प्रधान या पंचायत के दूसरे लोग उन मोहल्लों में बिजली लगवाना चाहते हैं तो उस जगह के लिये भी विचार कर लिया जायगा।

श्री उग्रसेन—

सड़कों की रोशनी के लिये तो उन मोहल्लों में आप बिजली दे सकते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसीलिये मैंने गांव सभा की बात कही है। अगर वे तैयार हों तो हम दे सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने हरदोई जिले के विधायक श्री मिश्रा जी के उत्तर में कहा कि वे उनकी बात मानेंगे, तो क्या देवरिया के उन विधायकों की इच्छापूर्ति भी करेंगे जो अपने गांवों में बिजली लगवाना चाहते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, हम तो आपकी इच्छा पूर्ति करने की भी कोशिश करेंगे।

श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ग्राम पेंडत, तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में टयूबवेल के लिये बिजली पहुंच गयी है, गांव में लाइन भी पड़ गयी है, लेकिन गांव का विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

टयूबवेल है तो बिजली भी पहुंची होगी। अगर गांव में नहीं पहुंची है तो उसको भी देख लेंगे।

रिहन्द विद्युत् गृह को गोरखपुर विद्युत् गृह से मिलाने की योजना

*६—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द विद्युत गृह से गोरखपुर विद्युत गृह को मिलाने की कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, इस परियोजना पर लगभग २४१.६७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

*७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द से गोरखपुर विद्युत केन्द्र के मिल जाने के बाद गोरखपुर विद्युत केन्द्र की क्या क्षमता होगी और इससे कितने बड़े राजकीय उद्योगों तथा निजी उद्योगों को बिजली दी जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रिहन्द से केवल गोरखपुर विद्युत गृह को ही नहीं बल्कि मऊ वाष्प विद्युत गृह को भी इस ग्रिड से सम्बद्ध किया जायेगा। और इन दोनों विद्युत गृहों को रिहन्द से सम्बद्ध करने के पश्चात इनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता जो कि इस समय कुल २०,००० किलोवन्ट है, बढ़कर २५,००० किलोवाट हो जायगी। यह परियोजना पूर्ण हो जाने पर गवर्नमेन्ट फर्टिलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर तथा अन्य बड़े व छोटे उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार बिजली मिल सकेगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जब बिजली की क्षमता २० हजार से २५ हजार किलोवाट होने जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी गोरखपुर जिले के गांवों में विद्युतीकरण की संख्या भी बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि होगी, तो कितने गांवों की वृद्धि होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गांवों में बिजली लगाने की स्कीम चालू है और वह चालू रहेगी। संख्या में वृद्धि भी होती जा रही है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मऊ का इस रिहन्द बिजली घर से सम्बन्ध कब तक हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१६ जनवरी को संबंध हो गया है।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन गांवों में बिजली लगायी जाती है उनमें इंजीनियर साहब २–३ खंभे लगाकर छोड़ देते हैं ? तो क्या माननीय मंत्री जी पूरे गांव में खंभे लगाकर बिजली देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पूरे गांव में एक दम बिजली लगाना न सम्भव है और न लगना चाहिये। कुछ खम्भे प्रारम्भ में लगा दिये जाते हैं और जैसे जैसे मांग आती जाती है, लगाते जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जब गोरखपुर और आजमगढ़ में रिहन्द से बिजली मिला दी गयी है तो क्या दर में कोई कमी बेशी की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी गोरखपुर से संबंध नहीं हुआ है। जब गोरखपुर से संबंध हो जायगा, तब बोर्ड इस बात पर विचार करने के लिये बैठेगा।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

हमारे यहां रिहन्द से काफी बिजली आ रही है, लेकिन जिन गांवों में अभी पूरी आबादी नहीं हो पायी, क्या बाकी लोगों के घरों में बिजली देने की कृपा की जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कुछ गांवों में बिजली दे दी गयी है। माननीय राम प्यारे जी ने एक चिट्ठी मुझे और लिखी थी, उस पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस वक्त तो वे उन गांवों में बिजली देते हैं जहां १० आदमियों की सिक्यूरिटी जमा हो जाती है, क्या मंत्री जी १० की तादाद को घटा कर ५ करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस पर रुपया काफी खर्च होता है और अगर दस भी न लें तो काम नहीं चलेगा।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मऊ पावर हाउस को रिहन्द से जोड़ दिया गया है तो क्या अपने पूर्व आश्वासन के अनुसार सरकार मऊ क्षेत्र में बिजली का रेट तत्काल कम करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

हम आहिस्ता-आहिस्ता पूरे सूबे को एक ग्रिड में डाल रहे हैं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं और उसके बाद पूरे सूबे के रेट्स में यूनिफार्मिटी लाई जायगी, उसमें मऊ के रेट तो जरूर कम हो जायंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि गोरखपुर जिले में छोटे-छोटे वीवर्स के करघे चलते हैं जो कि बिजली के लिये अप्लाई किये हैं और कोआपरेटिव बनाये हैं तो क्या उनको मंत्री जी प्राथमिकता देंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वैसे तो गोरखपुर में कोई रोकटोक नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगी तो वह भी बिजली आ जाने पर हट जायगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

गोरखपुर जिले में मुख्यतः २ भाग हैं, एक बांगर और दूसरा बाढ़ क्षेत्र। बाढ़ क्षेत्र में जो १ हजार से ऊपर आबादी वाले बहुत से गांव हैं, अभी तक वहां बिजली नहीं पहुंची है। तो क्या मंत्री जी, जहां पर ज्यादा उद्योग खुल सकते हैं वहां बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नौतनवा में तो एक लम्बी लाइन खींच कर बिजली दे दी है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

माननीय उग्रसेन को भी उत्सुकता है, उनका गांव भी उसी इलाके में बाढ़ क्षेत्र में पड़ता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी माननीय उग्रसेन की भावना को देखते हुए इस बात पर ध्यान देंगे कि बाढ़ क्षेत्र के गांवों में अधिक से अधिक बिजली पहुंचा कर गृह उद्योग धन्धों को प्राथमिकता देंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बिजली से उद्योग बढ़ाने की बात तो हम सोचते हैं, लेकिन वह मानचित्र नहीं है कि आप कहां चाहते हैं, बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र हो तो बता सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—

इस बात को देखते हुए कि जहां देवरिया के गांव हैं और जहां राप्ती नदी सीमा बनाती है और राप्ती के उस पार तो देवरिया में बिजली लग रही है, लेकिन ४ फर्लान्ग की दूरी भी गोरखपुर की न होगी वहां पर मेरा सुझाव मानकर क्या देवरिया से नदी पार बिजली फंदा कर लाने का विचार मंत्री जी करेंगे ताकि खर्च कम पड़े ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

रिवरक्रांसिग बनाना बहुत कठिन होता है, मैं नहीं जानता कैसे लाइन जायगी, आप कोई नक्शा देंगे तो हम उन्हें भेज देंगे ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बस्ती जिले में तहसील और कचहरी में जहां बिजली नहीं है वहां पर बिजली पहुंचाने का वह प्रयत्न करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तहसील और कचहरी में बिजली हम नहीं लगाते, वहां के कलक्टर और तहसीलदार अगर मांगेंगे तो दी जायगी ।

रोडवेज वर्कशाप, जौनपुर के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*८—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज वर्कशाप, जौनपुर के ७५ कर्मचारियों की छुट्टी की तनख्वाह सन् १९६४ से अब तक नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

रोडवेज वर्कशाप, जौनपुर के ७५ कर्मचारियों में से २४ कर्मचारियों को छुट्टी की तनख्वाह दे दी गई है। शेष ५१ कर्मचारियों को विभिन्न समय की तनख्वाह नहीं दी गई है। उनका विवरण व कारण निम्नलिखित है :

२२ कर्मचारियों के बिल खजाने में पास होने के लिये भेज दिये गये हैं।

१३ कर्मचारियों ने छुट्टी का आवेदन पत्र ही नहीं दिया।

१ कर्मचारी के विरुद्ध अनुपस्थित रहने के कारण वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

१५ कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत नहीं हुए हैं। अतएव भुगतान नहीं हुआ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि इस मामले में इतना अधिक विलंब होने के क्या कारण हैं और जो व्यक्ति इस देरी के लिये जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हुसैन)—

इसमें इन्क्वायरी भी होगी और जल्द ही मुनासिब कार्यवाही भी होगी।

प्रश्न का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इस कुर्सी से आपकी आज्ञा हुयी थी। उसको यदि सरकार नहीं मानती और स्वयं आपको एसेम्बली विभाग के कर्मचारी नहीं मानते तो वैसी दशा में भी आप अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं। श्रीमन्, पिछले मंगलवार को प्रश्न संख्या ६–७ के उत्तर में जब सरकार ने कहा था कि सूचना नहीं है, एकत्र की जा रही है तो मैंने आपसे कहा कि कानपुर से यहां की दूरी बहुत कम है और मैंने यह प्रश्न ४ माह से किया था तो आपने स्पष्ट कह दिया था कि अगले मंगलवार को यह सवाल रखेंगे, लेकिन आज के एजैन्डा में नहीं है और न सरकार का कोई जबाब मेरे पास पहुंचा है। इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं देख लूंगा।

प्रश्नोत्तर (प्रश्न संख्या ८ क्रमागत)

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि २४ कर्मचारियों को तनख्वाह दे दी गयी और ५१ कर्मचारियों को अभी विभिन्न समय की तनख्वाह नहीं दी गयी है और मामले विचाराधीन हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी रकम उनकी बाकी है और क्या आप जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि इन्क्वायरी भी होगी और जल्दी कार्यवाही भी होगी। जहां तक रकम का सवाल है उसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ५१ कर्मचारियों को विभिन्न समय की तनख्वाह नहीं दी गयी है, उनके बिल आपके कार्यालय में पड़े हुए हैं अथवा महालेखाकार के कार्यालय में ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कहां-कहां पड़े हुए हैं, इस सवाल का जबाब तो मैं नहीं दे सकता; लेकिन स्थिति यह है कि २४ कर्मचारियों को छुट्टी की तनख्वाह दे दी गयी है। २२ कर्मचारियों के बिल खजाने में पास होने के लिये भेज दिये गये हैं, १३ कर्मचारियों ने छुट्टी का आवेदन पत्र ही नहीं दिया, १ कर्मचारी के विरुद्ध अनुपस्थित रहने के कारण वैभागिक कार्यवाही की जा रही है और १५ कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी, अतः भुगतान नहीं हुआ।

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[६ठें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११—श्री लखीसिंह—

[६वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा-हसनपुर बस सर्विस

*१२—श्री लखीसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक बस मथुरा से हसनपुर (पंजाब) की चलने की योजना गत १ साल से चल रही है ? यदि हां, तो कब तक बस चालू हो जायेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस अन्तर्प्रदेशीय मार्ग पर बस चलाने हेतु आवश्यक लिखा-पढ़ी पंजाब प्रदेश की सरकार से हो रही है। पंजाब सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर ही इस मार्ग पर बस चलाई जा सकेगी। निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पंजाब सरकार से जिस सड़क की अनुमति आप मांग रहे हैं वह कितने मील लम्बी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, मीलों में कितनी लम्बाई है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पंजाब सरकार से अनुमति के लिये जो लिखा-पढ़ी की है वह कब से की है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पंजाब सरकार से किस तारीख को लिखा-पढ़ी शुरु की है, यह मालूम नहीं है। लेकिन दोनों प्रदेशों के परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक के कार्यक्रम तय करने के लिये कहा गया पंजाब सरकार से लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाई। ज्यादा विलम्ब होने पर वहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस मामले में जल्दी करने के लिये चिट्ठी लिखी है। उसका अभी तक जवाब नहीं आया।

श्री राधे श्याम शर्मा—

श्रीमन्, एक साल से लिखा-पढ़ी का कोई परिणाम नहीं निकला है तो क्या मंत्री जी नये सिरे से परिवहन विभाग के अधिकारियों से जल्दी करायेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाय। लेकिन दूसरी सरकार बीच में पड़ी हुई है उस पर हमारा अधिकार नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सरकार को पता है कि जिस सड़क पर बस चलाने की बात माननीय लखीसिंह जी ने पूछी है, उस सड़क पर होते हुए कोई प्राइवेट बस भी चल रही है आज तक ? और यदि चल रही है, तो वह किसकी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मुझको इसकी कोई सूचना नहीं है कि उस रोड पर कोई प्राइवेट बस चल रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

देखिये, श्रीमन्, उस पर प्राइवेट बस चल रही है।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, २५ सितम्बर, १९६३ को यह सुझाव देहरादून की मीटिंग में मंत्री जी को दिया गया था, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक अनुमति मांगी है पंजाब सरकार की। यह मुझे मालूम है कि यह बिलकुल आपके अधिकारियों ने नहीं मांगा।

श्री मुजफ्फर हसन—

अध्यक्ष महोदय, दिक्कत तो इसमें यह है कि यह दो स्टेट्स की मंजूरी का मामला है और दोनों के अफसर कुछ वजूहात से मिल न सके। फिर भी यहां से लिखा गया कि जब तक मीटिंग हो तब तक इसको इसपेशली इजाजत दी जाय, उस पर रिमाइन्डर भी भेजा गया। जहां दो स्टेटों का प्रश्न है, बिना दोनों के मिले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

*१३—श्री कल्पनाथसिंह—

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४–१५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में बिजली

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार द्वारा बाराबंकी जिले के बारा, त्रिवेदीगंज, दहिला, भेलवल को बिजली देने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो इन गांवों में कब तक बिजली पहुंच जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इन ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और अगर प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाये गये तो इनका विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इन गांवों का सर्वेक्षण हो रहा है और अगर प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाये गये तो इनका विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना में होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या काम आरम्भ इसलिए नहीं हुआ कि स्टाफ कम है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जब भी प्राविधिक कठिनाई दूर होगी इस पर जल्द काम शुरू हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

टेकनिकल आदमियों की कमी है। हम इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हो जायगा हमारा काम सुचारुरूप से आगे बढ़ेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

श्रीमन्, अभी मन्त्री जी ने बताया कि मेन लाइन से डेढ़ मील तक बिजली देते हैं और विभाग वाले कहते हैं कि मेन लाइन से आध मील तक देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कौन सी बात सच है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वह तो अलग-अलग चीज है। गांवों में आध मील तक हम १ हार्स पावर कनेक्शन देते हैं और १ हजार से ऊपर आबादी वाले गांवों को कनेक्शन डेढ़ मील तक देते हैं। यह दोनों अलग अलग चीजें हैं।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, गांवों का विद्युतीकरण बड़ी शीघ्रता से हो रहा है। लेकिन टेकनिकल आदमियों और सामान की कमी के कारण २,३ साल से कनेक्शन्स स्वीकृत हुये पड़े हुये हैं लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि कनेक्शन स्वीकृत होने से तीन महीने में मिल जाय और इसके लिए ज्यादा आदमी भर्ती करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसमें थोड़ी सी कठिनाई है। जैसा मैंने कहा, सामान और आदमियों की दिक्कत है। लेकिन हम सामान मुहैया करने का प्रयास कर रहे हैं। जो देश से बाहर मिलता है उसको भी मंगाने का प्रयास कर रहे हैं और आदमियों के भर्ती करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, और ट्रेनिंग स्कूल भी खोला है।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन स्थानों में खम्भे लगे हुये हैं और वायरिंग नहीं हुआ है; वहां कितने समय में वायरिंग कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अगर कोई ऐसी जगह है तो उसको हम देख लेंगे।

सिधौली बस स्टेशन के ए० टी० आई० पर आरोप

*१७---श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली बस स्टेशन इन्चार्ज करीब १० वर्षों से सिधौली में ही नियुक्त हैं और इनका ट्रांस्फर कुछ दिन पहले किया गया था, लेकिन फर स्थ गित कर दिया गया ? यदि हां, तो एसा क्यों किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सिधौली बस स्टेशन पर कोई भी स्टेशन इन्चार्ज नियुक्त नहीं है। परन्तु एक ए० टी० आई० ९ वर्षों से है। उनका स्थानान्तरण उनकी पत्नी की सख्त बीमारी के कारण स्थगित किया गया।

*१८—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या यह सच है कि सिधौली स्टेशन इन्चार्ज दिनांक २४ सितम्बर, १९६४ को एक भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथ पकड़े गये? यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उक्त ए० टी० आई० एक ऐसी बस में पाये गये जिसमें ६ यात्री बगैर टिकट पकड़े गये। अभियोग-पत्र जारी किया गया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

श्रीमन्, यह करप्शन वाला मामला २४ सितम्बर का है, और उक्त ए० टी० आई० को अभियोग-पत्र भी दिया गया है, तो क्या उसने अभियोग-पत्र का उत्तर दिया है? और यदि दिया है तो क्या है? और यदि नहीं दिया है तो सरकार ने उस पर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उसने जवाब तो दिया है। जवाब में लिखा है कि वह चेकिंग ड्यूटी पर गया तो था, लेकिन एकाएक उनकी तबियत खराब हो गयी और वह जांच नहीं कर सके। अब उनके दिये गये जवाब की जांच हो रही है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

श्रीमन्, उक्त ए० टी० आई० स्टेशन सिधौली पर १० वर्ष से रह रहे हैं और करप्शन वाले मामले में उन्हें चार्जशीट भी दी गयी है, तो उक्त स्थान से उनका अब तक ट्रांस्फर क्यों नहीं किया गया? अब तक यदि नहीं किया गया, तो आप कितने दिनों में उनका ट्रांस्फर वहां से करने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जांच हो रही है, सोचा यह गया था कि जांच के समाप्त होने पर ट्रांस्फर किया जाये।

श्री मैनेजरसिंह—

उसे अभियोग-पत्र कब दिया गया और अभियोग-पत्र देने के साथ उसे मुअत्तल किया गया या नहीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह घटना २५ सितम्बर, १९६४ की है और १६ अक्तूबर, १९६४ को जो इसके कन्डक्टर हैं उसको निलम्बित किया गया है और इसकी जांच करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर को नियुक्त किया गया है। १३ नवम्बर को अभियोग-पत्र जारी किये गये थे।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उस स्टेशन इन्चार्ज के विरुद्ध प्रमुख अभियोग क्या थे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

उनके विरुद्ध अभियोग यह थे कि वह जिस बस में यात्रा कर रहे थे उसमें एक यात्री बिना टिकट के बैठा हुआ था। इसमें उनकी गलती मानी गयी, जिसका उन्होंने जवाब दिया।

श्री मैनेजरसिंह--

कन्डक्टर पर तो इसमें अभियोग लगाया गया, लेकिन उसी बस में ए० टी० आई० भी यात्रा कर रहे थे, उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

वह कन्डक्टर टिकट देने के लिए जिम्मेदार है और उसी को टिकट काटना था। ए० टी० आई० ने चेक किया तो उस आदमी के पास टिकट नहीं पाया गया। इस वजह से उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया।

श्री होरीलाल यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि रोडवेज में जो कर्मचारी काम करते हैं वे एक स्टेशन पर कितने दिन रह सकते हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

आज कल जूनियर अधिकारियों के लिए यह आदेश हैं कि वे ५ साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनके लिए कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

यह मामला इतना आसान नहीं है। इसी सिलसिले में और भी सवाल हुये हैं। सिधौली के इन अफसर के यहां से पहले से दूध आता रहता है और ऊंचे अफसर इनसे मिले रहते हैं। इसी नतीजे पर अभियोग-पत्र दिया गया लेकिन फिर भी इनको मुअत्तल नहीं किया गया, तो क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर इस बात को स्वीकार करेंगे कि अफसरों के यह मिली-भगत है इसलिए इनको मुअत्तल नहीं किया गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

माननीय सदस्य ने जो अभियोग लगाया है, यदि वे उसको लिखकर विस्तार से देंगे तो जांच कर ली जायगी।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि ए० टी० आई० महोदय स्वयं मन्त्री जी से आकर मिले थे? यदि हां, तो कब?

श्री मुजफ्फर हसन--

मैं यह नहीं जानता हूं।

श्री उग्रसेन--

इस सम्बन्ध में क्या नियम है, बस स्टेशन इन्चार्ज, ए० टी० आई० और कन्डक्टर ये सब बस में रहें और किसी को बिना टिकट के पकड़ लिया जाय तो कन्डक्टर को निकाला जाय और बड़े अफसर को न निकाला जाय, इसका क्या कारण है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ए० टी० आई० का कर्त्तव्य चेकिंग करना है। उसने चेक किया तो एक आदमी बिना टिकट पकड़ा गया।

श्री उग्रसेन—

बिना चेक किये हुये वह गाड़ी में आकर क्यों बैठा ? जब तक गाड़ी ठीक न हो तो कोई अफसर जा नहीं सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

ए० टी० आई० चेक करता है और वह टिकट बांटा करता है।

स्याना क्षेत्र में बिजली

*१९—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर, के ग्राम परवाना महमूदपुर, लखावटी, हाजीपुर, माकड़ी, बैढा, ईलना जलालपुर, चिगराउठी, बुकलाना, थल इनायतपुर पाली, आनन्द गढ़ी, कमालपुर व गिरोरा का विद्युतीकरण सरकार की ओर से कब तक कर दिया जायगा जबकि उक्त ग्रामों की जनसंख्या कई कई हजार है ?

श्री गिरधारीलाल—

बैढ़ा के अलावा अन्य सभी ग्रामों को १९६५–६६के विद्युतीकरण की योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और आशा है कि इन ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, १९६६ तक हो जायेगा। ग्राम बैढ़ा के सर्वेक्षण के लिए आदेश दे दिये गये हैं और प्राविधिक दृष्टि से संभव होने पर इसका भी विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर लिया जायेगा ।

*२०–२२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[प्रश्नकर्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

एटा जिले में गंगा पर बांध-निर्माण सर्वेक्षण

*२३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला जालौन)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी पर जिला एटा में जनता द्वारा बनाये गये बांध की मरम्मत हेतु अविलम्ब उपयुक्त धनराशि स्वीकृत करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*२४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि परगना निधपुर, जिला एटा, में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थायी बांध बनाने हेतु जो सर्वेक्षण किया जा चुका है उस बांध के बनाने की योजना को कब से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा कितने समय में उसके पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी विस्तृत सर्वेक्षण जारी है।

*२५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि परगना निधपुर, जिला एटा, में नरदौली आदि ग्रामों को गंगा नदी के संभावित कटाव से बचाने के लिए पक्की ठोकरों के बनाने की योजना भी बनायी जा रही है ? यदि हां, तो कब से कार्य शुरू किये जाने की आशा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने २५ हजार रुपया बांध की मरम्मत के लिए देने को कहा था और जनरल बाडी का प्रस्ताव भी चाहा था, वह भी भेज दिया, तो अब 'जी नहीं,' कहने का क्या आधार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में यह बांध गंगा के बिलकुल किनारे पर है । यह श्रमदान से बना था और इसमें अब दरार आ गयी है। जब इसको प्राविधिक दृष्टि से देखा गया तो मालूम हुआ कि यह बांध अब काम नहीं दे सकता क्योंकि वह तलहटी में है। इसलिए जब यह बांध काम नहीं दे सकता तो हमारे विभाग वालों ने कहा कि इसका रुपया देना बेकार होगा, क्योंकि यह काम नहीं देगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

इस बात को देखते हुये कि जिस समय इस पर श्रमदान किया गया था प्राविधिक दृष्टि से मांग की गयी थी कि बांध जिस तरह से लोगों ने बना लिया है, क्षेत्र समिति के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये इसको कार्यान्वित करने के लिए रुपया स्वीकार करने पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बांध ऐसी चीज है कि बाढ़ से खतरा भी हो सकता है। सिंचाई विभाग के लोग कहते हैं कि प्राविधिक रूप से बनाना ठीक नहीं है। श्रमदान या दूसरे ब्लाक में इस तरह का कुछ रुपया रहता है, अगर आदरणीय सदस्य कमेटी में कुछ करे तो वहां से कुछ उपाय हो सकता है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

प्रदेश में जिस प्रकार से ६० कस्बों को कटाव से बचाने के लिए व्यवस्था की गयी है उसी प्रकार नरदौली का मामला है। क्या निकट भविष्य में गंगा नदी के कटाव से बचाने के लिए कोई तात्कालिक व्यवस्था करेंगे ताकि वह गांव कट कर बह न सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गंगा इतनी बड़ी नदी है कि थोड़े बहुत काम से काम नहीं चल सकता। प्रश्न २४ के उत्तर में हमने कहा कि इसका पूरा सर्वेक्षण हम करा रहे हैं जिससे हम देख सकें कि कोई सम्भावना है या नहीं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

सिंचाई स्थायी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में बांध का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और तखमीना बनाना है, पर उत्तर में कहा गया है कि सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तो दो विपरीत उत्तर हैं, क्या उसको देखते हुये सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करा कर मन्त्री जी शीघ्र निर्माण करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वेक्षण से निर्माण-कार्य नहीं होता। सर्वेक्षण होने पर भी अगर तखमीना नहीं बने तो वह पूरा सर्वेक्षण होना नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद वह टेकनिकल कमेटी के सामने जायगा। फिर निश्चय करेंगे कि रुपया दिया जा सकेगा या नहीं।

*२६—२८—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[छठे मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२९—श्री होरीलाल यादव—

[छठवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, गोरखपुर द्वारा अधिक भुगतान की जांच

*३०—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब चीफ इन्जीनियर का सर्कुलर है कि १५ दिन के अन्दर गांव पटाई का मेजरमेंट और पेमेन्ट हो जाना चाहिये तो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, गोरखपुर ने कैसे १९६२ की इन्क्वायरी की जब दो वर्ष खत्म हो गये और उन्होंने सेक्शन मेजरमेंट किया है या पिट्स द्वारा? यदि पिट्स द्वारा नहीं किया है तो क्यों? क्या कारण है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

विभागीय आदेश के अनुसार मिट्टी का कार्य पूरा हो जाने के १५ दिन के भीतर उसकी नाप जोख की जानी चाहिये तथा ठेकेदार का बिल प्राप्त होने के एक मास के भीतर बिल का भुगतान हो जाना चाहिये, यदि कोई मतभेद न हो। यदि भुगतान के पश्चात उसकी जांच का कोई अवसर आता है तो जांच की जाती है।

अधिक भुगतान की शिकायत मिलने पर सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, गोरखपुर द्वारा जांच की गयी और वह सेक्शन मेजरमेंट के आधार पर हुई।

जांच पिट्स की नाप द्वारा न कराने के दो कारण हैं। प्रथम यह कि वर्षा के कारण पिट्स अपनी असली स्थिति में नहीं रहते और उनमें से बहुत से कृषकों द्वारा जोत लिये जाते हैं अतः नापे नहीं जा सकते। दूसरा कारण यह है कि यदि पिट्स मौजूद हों तब भी सेक्शन नाप लेना इसलिए आवश्यक है कि जो मिट्टी पिट्स से ली गयी है वह ठीक स्थान पर काम में लायी गयी है या नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर ने जिससे इन्क्वायरी करायी और ५० हजार का गबन दिखलाया तो इस तरह से जब वहां पर पार्टीबन्दी थी, तो जैसा कि कानून है आपके विभाग का तो १५ दिन के अन्दर इन्क्वायरी क्यों नहीं करायी, बाद को क्यों करायी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९६२-६३ व १९६३-६४ में कुछ काम हुआ था। उसका पेमेंट भी हो गया था, मगर कुछ शिकायतें आई थीं, पेमेन्ट के बारे में, इसलिए इसकी जांच करायी गयी थी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब शिकायतें थीं, तो पेमेन्ट हो कैसे गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पेमेन्ट तो उन्होंने काम के अनुसार किया। अब एक कहते हैं सही पेमेन्ट हुआ, एक कहते हैं गलत हुआ, इसलिए जांच करायी गयी।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बनता हो, उनके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसमें अधिकारियों का सवाल नहीं है। आपने तो यह पूछा था कि दोबारा जांच क्यों करायी गयी, उसका जवाब दिया गया।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को पता है कि जिस जांच की बात कही गयी है वह जांच नहीं हुई है और कागज जहां के तहां पड़े हुये हैं और काम रुका हुआ है, क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सवाल तो यह था कि दोबारा जांच फिर से करायी जाय। उसकी जांच हुई। यह सवाल उससे कहां उठता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

शिकायत तो यह थी कि ऐक्चुअली गांव पाटे नहीं गये और पैसे का पेमेन्ट हो गया। तो इसकी क्या फिर से जांच करायेंगे ? जो भी शिकायत है, उसके आधार पर एक व्यापक जांच क्या आप करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अब दो वर्ष बाद यह देखें कि गड्ढे पाटे गये थे या नहीं, या उसकी नाप करें तो सही पता नहीं होगा कि मिट्टी वहां डाली गयी या नहीं, कभी-कभी वह बह भी जाती है। देखना तो यह पड़ता है कि जहां गांव ऊंचे किये गये वहां मिट्टी डाली गयी या नहीं।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को यह पता है कि सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर जो जांच कर रहे हैं, उनकी जांच में बाधायें पड़ रही हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात सही है। जांच के वक्त बाधा डाली गयी।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि वहां पर सिंचाई विभाग में दो पार्टियां हैं--एक टंडन पार्टी तथा दूसरी रामकृष्ण पार्टी ? यदि हां, तो क्या इसकी विशेष जांच करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

इस विभाग में तो दो पार्टी नहीं हैं, मगर वहां दो पार्टी जरूर हैं। अब एक रिपोर्ट आ गयी है, इसके बाद फाइनल जो फैसला होगा वह किया जायेगा।

नोट--तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अलोना माइनर से सिंचाई

*३१—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विन्दवारी ब्लाक में अलोना माइनर से कितनी एकड़ भूमि प्रति वर्ष सींची जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी तक कोई सींच नहीं हुई है।

*३२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त माइनर के बनाने में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

२,४८,४११ रुपया।

*३३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

[हटा दिया गया।]

डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, बांदा

*३४—सर्वश्री मतोलासिंह (जिला बांदा) तथा बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में डिस्ट्रिक्ट जजी किस सन् से हुई ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

१९५८।

*३५—सर्वश्री मतोलासिंह तथा बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के साथ उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में डिस्ट्रिक्ट जजी खोली गई ?

श्री सैयद अली जहीर—

केवल इटावा में।

*३६—सर्वश्री मतोलासिंह तथा बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की डिस्ट्रिक्ट जजी आज तक परमानेंट क्यों नहीं की गई जबकि इस जिले में जरायम अधिक है ?

श्री सैयदअली जहीर—

पूर्ण औचित्य न होने के कारण इस जजी को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है। इस प्रस्ताव पर सन् १९६६-६७ के बजट के संबंध में ही अब विचार करने की संभावना है।

*३७—श्री होरीलाल यादव—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*३८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[५वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद तथा आजमगढ़ जिले को बिजली

*३९—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग (इलाहाबाद) एवं आजमगढ़ जिले के किन-किन ग्रामों में चालू वित्तीय वर्ष में बिजली लगाई जा रहीं है और उनकी आबादी क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

अभी तक इलाहाबाद जिले के २४ स्थानों को और आजमगढ़ जिले के ३९ स्थानों को चालू वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण के लिए चुना जा चुका है। इनमें से इलाहाबाद जिले के प्रथम १२ स्थानों का और आजमगढ़ जिले के प्रथम २५ स्थानों का विद्युतीकरण भी हो चुका है जो कि संलग्न सूची "अ" में जन संख्या के साथ दिये गये है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०३ पर)

*४०—श्री मेवालाल जायसवाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रिम वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों जिलों के किन-किन ग्रामों में बिजली की योजना बनाई जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—

अभी तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए इलाहाबाद जिले के १६ स्थानों और आजमगढ़ जिले के ४३ स्थानों को विद्युतीकरण के लिए चुन लिया गया है जो कि संलग्न सूची "ब" में जन संख्या के साथ दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०९ पर)

आगरा जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*४१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय आगरा जिले में जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है?

श्री सैयद अलीजहीर—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १११ पर)

आगरा शहर में बिजली तथा आटो-रिक्शा लाइसेंस

*४२—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ व जनवरी, १९६५ में किस-किस व्यक्ति का कितने-कितने हार्सपावर बिजली का रात्रि कनेक्शन, दिन के कनेक्शन के रूप में परिवर्तित किया गया और उसके कारण क्या थे?

श्री गिरधारीलाल—

आगरा नगर में नवम्बर, दिसम्बर, ६४ व जनवरी ६५ में कुल ३६ व्यक्तियों का कुल ३६७.५ हार्सपावर रात्रि का कनेक्शन दिन के कनेक्शन के रूप में परिवर्तित किया गया। विवरण की सूची संलग्न है। उसका कारण यह है कि शीत ऋतु में पंखे और रेफ्रीजरेटर इत्यादि के लिए बिजली की खपत कम हो जाती है। उस बची हुई बिजली के उचित प्रयोग तथा जनता की सुविधा के लिए जिन उपभोक्ताओं ने परिवर्तन के लिए प्रार्थना-पत्र दिये उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से ३१ मार्च, १९६५ तक के लिए आफ पीक लोड में परिवर्तित कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११२ पर)

*४३—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ५० आटो-रिक्शा की जो स्वीकृति दी जाने वाली थी उसमें से कितने आटो-रिक्शा की स्वीकृति किस-किस को दे दी गई है? स्वीकृति देने का आधार क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभी तक १८ प्रार्थियों को १९ आटो-रिक्शा के परमिट की स्वीकृति आर० टी० ए०, आगरा द्वारा दी जा चुकी है । सूची संलग्न है ।

परमिट मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार आर० टी० ए० द्वारा दिये जाते हैं जो अर्द्ध न्यायिक संस्था (क्वासी जुडिशल बाडी) हैं ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११४ पर)

*४४–४५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*४६—श्री विजयसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

[४थे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

झांसी में बस सर्विस

*४७—सर्वश्री विजयसिंह तथा प्रेमसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि झांसी नगर में कितनी-कितनी सिटी बसों के चलाने की व्यवस्था की है ? क्या सरकार और भी बसें बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

चार बसें चलाने के परमिट आर० टी० ए० द्वारा स्वीकार किये गये हैं । इनकी संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है क्योंकि निश्चित संख्या अभी पर्याप्त है ।

*४८–५०—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

बस्ती तथा गोरखपुर रोडवेज डिपो में ओवर-टाइम भत्ता

*५१—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बतायेगी कि गवर्नमेंट रोडवेज बस्ती के गोरखपुर रीजन के बस्ती तथा गोरखपुर डिपो में जनवरी, १९६५ तक के वित्तीय वर्ष में कुल कितना ओवर-टाइम दिया गया और कितना देने को शेष है ? वह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२,३११.१४ रुपये का भुगतान किया गया । शेष ३६३.६१ रु० का भुगतान अगले मास तक हो जाने की आशा है ।

*५२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज के ड्राइवरों का कार्य सिर्फ उन्हीं घंटों में गिना जाता है जबकि गाड़ी चलती रहती है ? यदि हां, तो जब से गाड़ी लेते हैं और गाड़ी वापस देते हैं तब तक क्यों नहीं दिया जाता ? यदि नहीं, तो कैसे काम के घंटे गिने जाते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

ऐसा नहीं है। ड्राइवरों के उनके काम पर आने के समय से ड्यूटी छोड़ने तक का समय उनके काम के घंटों (आवर्स आफ वर्क) में गिना जाता है परन्तु इसमें वह समय शामिल नहीं होता जब गाड़ी किसी स्थान पर पन्द्रह मिनट से अधिक खड़ी रहती है।

*५३-५५--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले के कटेहर क्षेत्र में सिंचाई

*५६--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारदा नहर की दानगंज शाखा और चोलापुर शाखा से कटेहर विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी के किन-किन गांवों की कितने-कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना संलग्न तालिका १ में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११५ पर)

*५७--श्री रघुनाथसिंह--

क्या इन दोनों शाखाओं से इस विधान सभा क्षेत्र में कुछ और भी सिंचन क्षेत्र के विस्तार की योजना है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लिए और कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं।

*५८--श्री रघुनाथसिंह--

इन दोनों शाखाओं से दूर पड़ने या ऊंचे धरातल पर होने के कारण इन दोनों शाखाओं के बीच में किन-किन गांवों की भूमि की सिंचाई इन नहर शाखाओं से संभव नहीं है और तब इन गांवों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था करने की सरकार सोच रही है और कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--

दानगंज तथा चोलापुर शाखाओं के बीच में पड़ने वाले ग्रामों के नाम जिनकी सिंचाई इन शाखाओं से संभव नहीं है तालिका २ में दिये गये हैं। इन ग्रामों में सिंचन सुविधायें प्रदान कराने के विषय में अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११७ पर)

जैतीपुर ब्लाक में बिजली न होना

*५९--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्रामों को बिजली देने के बारे में प्रथम सत्र (१९६५) के १ले मंगलवार, दिनांक ९ फरवरी, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के संदर्भ में क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपरोक्त गांव नहीं आते हैं और यह इलाका निहायत ही पिछड़ा हुआ है, तो क्या इस इलाके के लिए अलहदा प्लान बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

इस समय इन स्थानों के विद्युतीकरण के लिए कोई अलग योजना नहीं है ।

गोरखपुर जिले को बिजली

*६०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गोरखपुर जिले के फरेंदा, बृजमनगंज तथा धानो ब्लाकों के कितने ग्रामों में बिजलीकरण हो जायगा तथा उन ग्रामों के क्या नाम हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने की सूचना ब्लाकों के अनुसार नहीं रखी जाती है । गोरखपुर जिले में ३१ जनवरी, १९६५ तक जिन स्थानों का विद्युतीकरण किया गया है उनके नाम संलग्न सूची "अ" में दिये हुए हैं और जिन स्थानों का विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अवशेष काल में होने का प्रस्ताव है उनके नाम संलग्न † सूची "ब" में दिये हुए हैं ।

*६१--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि पूर्वी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में कितने प्राइवेट ट्यूबवैल्स को बिजली देने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है तथा उन्हें क्या-क्या सहूलियतें दी जा रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

प्राइवेट नलकूपों का विद्युतीकरण उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्र आने पर किया जाता है और इसके लिए कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं है । फिर भी देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर जिलों में अनुमानतः ६०० पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है और उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्र आने पर उन लोगों के पंपिंग सेटों का विद्युतीकरण किया जा रहा है ।

प्राइवेट नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए पूर्वी जिलों के उपभोक्ताओं को कोई विशेष सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं । साधारणतया सब को जो सुविधायें दी जाती हैं, वह इन जिलों में भी दी जाती हैं ।

रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटी, बरेली की मीटिंग

*६२--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ में बरेली डिवीजन की रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई हैं और कितने नये परमिट दिये गये और कितनों का अभिनवीकरण किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--

१९६४ में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी बरेली की मीटिंग्स दो बार हुई । इन मीटिंगों में ४०७ नये परमिट दिये गये और ११६ परमिटों का अभिनवीकरण किया गया ।

---

†छापी नहीं गई ।

*६३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या यह भी सच है कि नियमानुसार मीटिंग न होने के कारण बहुत से परमिटों का अभिनवीकरण न हो सका जिसके कारण मोटर मालिकों में घोर असंतोष है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कुछ मीटिंग न होने के कारण ७३ परमिटों का अभिनवीकरण न हो सका। मीटिंग नियत समय पर सदस्यों को समय न होने तथा आकस्मिक कठिनाइयों के कारण न हो सकी।

बरेली निवासी श्री बाबूराम की वसीयत

*६४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९२७ में श्री बाबूराम, बरेली निवासी ने अपनी कुल सम्पत्ति व लगभग पन्द्रह हजार रुपये नकद एक वसीयत करके ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल एण्ड आफिशियल ट्रस्टी, इलाहाबाद को दिया और बाबूराम की मृत्यु के बाद वे इसके पूर्ण मालिक हो गये ? यदि हां, तो सम्पत्ति इस समय क्या-क्या है और पहले क्या-क्या थी तथा नकद रुपया कितना शेष रह गया है ?

श्री सैयदअली जहीर—

जी हां। श्री बाबूराम ने सन् १९२७ में एक वसीयत की थी जिसके द्वारा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जनरल व आफिशियल ट्रस्टी को अपनी कुल जायदाद का मुन्तजिम नियत किया था और श्री बाबूराम के मरने के बाद उन्होंने उस जायदाद का इन्तजाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल व आफिशियल ट्रस्टी की हैसियत से किया, मालिक की हैसियत से नहीं। जो सम्पत्ति अब है, जो पहले मिली थी और जो नकद रुपया शेष रह गया है, उसका ब्योरा साथ में नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११८ पर)

*६५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त सम्पत्ति व धन इसलिये उपरोक्त आफिसर को दिया गया था कि आलमगीरीगंज, बरेली स्थित धर्मशाला का ठीक प्रकार से मेन्टीनेन्स हो सके, परन्तु धर्मशाला गिर गई और लोकल कमेटी को उक्त आफिसर ने पैसा नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करायेगी कि कब-कब कमेटी ने पैसा मांगा और उक्त आफिसर ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह सम्पत्ति जिस काम के लिये दी गई थी वह वसीयत में दर्ज है। उस वसीयत के अनुसार ट्रस्ट की जायदाद की आमदनी और ब्याज की रकम धर्मशाला की देखरेख में खर्च होनी चाहिए, मूलधन नहीं।

जैसा कि वसीयत में दर्ज है, वह भवन श्री बाबूराम ने खुद १८८७ में खरीदा था। निश्चित ही वह उससे भी पुराना बना था। उसकी सालाना मरम्मत किराये की रकम से होती रही। लेकिन अगस्त, १९६० में लगातार भारी बारिश होने और इमारत के पुराने होने के कारण वह गिर गई। धर्मशाला की इमारत फिर से बनाने के लिए एक नई कमेटी कलेक्टर बरेली की अध्यक्षता में बनाई गई। गिरे हुए मलबे का प्रयोग करने के अतिरिक्त ४,५८० रु० उसके बनाने में लगाया जा चुका है और जो बकाया काम है उसके लिए जैसे-जैसे किराये और ब्याज की रकम आयेगी रुपया दिया जायगा। जिस-जिस तारीख को कमेटी ने रुपया मांगा और उस पर जो कार्रवाई की गई वह संक्षेप में संलग्न नत्थी में दी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११८ पर)

RA. 9096
132436

अतारांकित प्रश्न

१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

सिंचाई क्षेत्र आगरा में अधिशासी अभियन्ता

२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के आगरा सर्किल में ऐसे कितने अधिशासी अभियन्ता (ड्रेनेज) हैं जो कि इसी जिले में ३ वर्ष की अधिक अवधि से काम कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल—

आगरा सर्किल में ऐसे कोई भी अधिशासी अभियन्ता (ड्रेनेज) नहीं हैं जो एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक अवधि से लगातार कार्य कर रहे हों।

कुकरा को बिजली

३—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुकरा टाउन, विकास क्षेत्र, बांकेगंज, जिला खीरी, तक बिजली की लाइन पहुंचने में कितनी लागत लगी है तथा उससे प्राप्त होने वाली वार्षिक आमदनी कितनी है?

श्री गिरधारीलाल—

कुकरा टाउन विकास क्षेत्र बांकेगंज, जिला खीरी, तक बिजली की लाइन पहुंचाने में ४३,७५३ रु० ५८ पैसे की लागत लगी है और उससे अब तक के संबद्ध भार (connected load) के आधार पर प्राप्त होने वाली अनुमानित वार्षिक आय २,६७१ रु० होगी।

४—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना कुकरा, विकास क्षेत्र बांकेगंज, जिला खीरी, के करीब ८० किसानों ने वर्तमान संकट-काल में अधिक गन्ना, गल्ला उपजाने के उद्देश्य से निजी नलकूपों के लिये बिजली पाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, कुकरा के ५३ नलकूपों तथा अलीगंज सर्किल के २८ नलकूपों की सूची विकास क्षेत्र अधिकारी, बांकेगंज को सेक्रेटरी फारमर्स यूनियन गोला गोकरननाथ खीरी के जनवरी २, १९६५ के पत्र के साथ प्राप्त हुई थी जो जिला नियोजन अधिकारी को दिनांक २२ जनवरी, १९६५ को भेज दी गई। जिला नियोजन अधिकारी खीरी ने इस सूची को दिनांक १९ फरवरी, १९६५ को अधिशासी अभियन्ता नलकूप, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है।

अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारित न किये जाने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब तक इस सदन में ऐसा होता रहा है कि जो भी अनुदान सदन में पेश होते रहे हैं, उसके लिए समय निर्धारित हो जाता है, लेकिन आपको स्वयं

[श्री लखपतराम शर्मा]

जान कर आश्चर्य होगा कि कल नगरपालिका और सूचना विभाग के अनुदान आये, उन पर हमारे दल के किसी भी सदस्य को तमाम प्रयत्न करने के बाद भी समय नहीं दिया गया, जब कि कम से कम एक या दो सदस्यों को बुलवाया जा सकता था। दूसरी चीज, कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सिर्फ दो-दो मिनट का समय माननीय सदस्यों को बोलने के लिये निर्धारित किया, तो इतने गम्भीर मामलों में और इतने बड़े अनुदानों पर क्या किसी भी माननीय सदस्य के लिए दो मिनट का समय काफी हो सकता है? इस पर जब उनसे निवेदन किया जाता है, तो उपाध्यक्ष की हैसियत से उनको क्रोध आ जाता है।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यवस्था पीठासीन व्यक्ति द्वारा दी जाती है, वह उस समय के लिए अन्तिम होती है। उसके ऊपर पुनः विचार करने का किसी को अधिकार नहीं है, न मुझको है। अगर कोई ऐसी बात हो तो मिल कर बातचीत हो सकती है (व्यवधान)। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १२० पर)

याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन*

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बिहार राज्य के किसानों द्वारा बलिया जिले की फसल लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय काशीनाथ जी की सूचना स्वीकार की है।

वह इस प्रकार है--

"बलिया, बिहार राज्य की सीमा पर श्री त्रिवेदी एवार्ड के अनुसार जो बाउन्डरी डिमारकेशन का काम हो रहा था, उसे पटना उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश द्वारा रोक दिया है, ऐसी दशा में वहां यथास्थिति (स्टेटस्क्वो) बना रहना चाहिए लेकिन ऐसा न होकर बिहार राज्य के नैनी जोर के किसान बलिया जिले की बोई हुई फसल सैकड़ों एकड़ जमीन पर से लूटकर चले गये। गत ६ व ७ मार्च को बलिया और बिहार के किसानों के दो बड़े समूहों के बीच गोलियां चलीं। दो मल्लाह पकड़ कर बुरी तरह से पीटे गये और दो बड़ी नौकाएं जो फसल से लदी हुई थीं, गोली मार कर नदी की बीच धारा में हांसनगर और हल्दी गांव के सामने बलिया की सीमा क्षेत्र में डुबो दी गयी। अब भी बिहार के किसानों द्वारा गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में बलिया के किसानों

*छापा नहीं गया।

की फसल की लूट-पाट जारी है। भय और आतंक का वातावरण है किसी भी समय व्यापक पैमाने पर शान्ति भंग होने का अंदेशा पैदा हो गया है।

अतः लोकमहत्व के इस प्रश्न पर मैं मुख्य मंत्री और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

(राजस्व मंत्री से) इसके ऊपर कब वक्तव्य दीजिएगा ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

वास्तविक स्थिति जो है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सोमवार तक वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, सोमवार से पहले दिलाइये। सोमवार को तो होली की छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष---

तो १३ तारीख को इस पर वक्तव्य होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

एक अन्ध विद्यालय, गोरखपुर के छात्रों के सम्बन्ध में सूचना भी थी, अंधों का मामला है..

श्री अध्यक्ष---

आप पुराने मेम्बर होते हुए और उप-नेता होते हुए नियम का उल्लंघन करते हैं, इससे यह होता है कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे। आपके बाद राधेश्याम जी क्यों न बोलें या लखीसिंह जी क्यों न बोलें ?

श्री उग्रसेन---

आप बता दें कि मैं नियम का उल्लंघन कर रहा हूं, तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

मैं तो आपकी आज्ञा को मान रहा हूं, उसे कम से कम शिक्षा मंत्री जी के पास जांच करने के लिए भेज तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइए।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---
अनुदान संख्या १४---पुलिस

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---पुलिस के अन्तर्गत १६,४६,२९,७०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, गृह विभाग का अनुदान साधारणतया ऐसा होता है कि जिसमें मेरे कहने की अपेक्षा मैं समझता हूं मुझे सुनना ही अधिक चाहिए। यों तो, श्रीमन्, यह एक ऐसा विभाग है कि जिसका मुख्य आचरण सेवा ही हुआ करता है और इस कार्य के लिए इस बात की गुंजाइश कम होती है कि नयी-नयी चीजें कोई की जायं। यदि बजट साहित्य को देखा जाय और मैं

[श्री हरगोविन्दसिंह]

विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्यों ने बजट साहित्य को देखा होगा, तो सन् ६४–६५ के अपेक्षाकृत इसमें केवल २ करोड़ १७ लाख की वृद्धि हुई है और वह भी शायद इस कारण कि पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या में और थानों की संख्या में कुछ वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त जो थोड़ी बहुत वृद्धि है वह केवल इस कारण है कि तनख्वाहों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ करती है, उसके कारण यह वृद्धि अधिकतर हुई है। हमारा प्रान्त देश के सब प्रान्तों से बड़ा है। इसकी जनसंख्या भी कुछ अधिक है लेकिन यदि हम यह देखें कि अपने देश के और प्रान्तों के मुकाबले में, हम पुलिस पर कितना खर्च करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरोत्तर हर साल खर्चे की कमी होती जा रही है। मैंने जब इस बजट के अध्ययन के सिलसिले में देखा तो मुझे यह देख कर के आश्चर्य-सा हुआ कि अपनी आमदनी का प्रतिशत या खर्च का प्रतिशत यदि देखा जाय तो ४६–४७ में आमदनी का १४.३ परसेंट पुलिस विभाग पर खर्च होता था और खर्चा जितना होता था उसमें १३.३ प्रतिशत खर्चा होता था लेकिन वह प्रत्येक वर्ष गिरते-गिरते आज अवस्था यह है कि जो अनुदान भवन के सामने प्रस्तुत है उसमें आमदनी का ६.६५ और खर्चे का ६.३ इतना ही पुलिस विभाग पर खर्च हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होगा कि जैसा मैंने कहा, पुलिस विभाग पर खर्चा उत्तरोत्तर कम हो रहा है और यदि आप आज्ञा दें, श्रीमन्, तो दूसरी जगहों का उससे मुकाबिला करूं। आसाम में आमदनी का १२.९ खर्च होता है पुलिस पर और खर्चे का १६.५ होता है। करीब-करीब जितने प्रान्त हैं सबका कहूं तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि हमारे प्रान्त में पुलिस पर और प्रान्तों के मुकाबिले में परसेंटेज भी प्रतिशत खर्चा कम हो रहा है और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारे यहां १.८७ खर्च हो रहा है और दूसरी जगह बहुत ज्यादा खर्च होता है। राजस्थान में ३.३, पंजाब में ४.६९ और वेस्ट बंगाल में ३.१, महाराष्ट्र में ३.५। इस तरह से परकेपिटा भी हमारे प्रान्त में पुलिस पर कम खर्च होता है। इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इस पर हमारे प्रान्त में और खर्च होना चाहिये लेकिन चूंकि हमारे साधन सीमित हैं, इस कारण हम मजबूर हैं और इससे अधिक व्यय इस पर करना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। श्रीमन्, यह एक सन्तोष की बात है कि इतना कम खर्च होते हुए भी अपेक्षाकृत जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें यहां की स्थिति सन्तोषजनक रही, कई दृष्टि से। एक तो इस दृष्टि से कि जब देश में शरणार्थियों के कारण वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, काश्मीर में एक साम्प्रदायिक झगड़े की आग बढ़ रही थी, वह यहां एक सन्तोष की बात है कि वह चिनगारी यहां न आ सकी और यहां उस दृष्टि से यह अगर कहिये तो गलत न होगा कि स्थिति काबू में रही। दूसरे यह भी एक सन्तोष की बात है कि हमारे उस क्षेत्र में जहां डकैतों का बड़ा प्रकोप था वह स्थिति भी इस समय काफी काबू में है। मैं यह नहीं कह सकता कि डकैतियां उन क्षेत्रों में खत्म हो गयीं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि थोड़े दिन पहले जो वहां स्थिति थी उससे स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

तीसरी बात, यह हम आप सभी जानते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले हमारे विद्यार्थियों द्वारा भी ऐसे आन्दोलन हुआ करते थे जिससे कि हमारी सुरक्षा तथा अमनोअमान काफी खतरे में पड़ जाता था। उसमें भी काफी कमी हुई, यह भी एक सन्तोष की बात है। चालू वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई स्थिति उपस्थित नहीं हुई। जो महंगी का दौर है उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। एक बात यह जरूर थी और इसकी मैंने खाद्य मंत्री जी से कई दफा कहा भी कि जितना थोड़ा राशन मिलता है उससे हमारे पुलिस जवानों का काम नहीं चल सकता लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी जो पुलिस का कार्य था वह काफी सन्तोषजनक रहा।

जहां तक डाकुओं का सम्बन्ध है, इस दौरान में ४३ डाकू मारे गये और ६७४ पकड़े गये और ४४३ इनकाउंटर्स हुए। इसमें विलेज डिफेन्स सोसाइटी की गणना नहीं है। उन्होंने भी बड़ा सराहनीय कार्य किया इस दृष्टि से कि ७२ विलेज डिफेन्स सोसाइटीज के मेम्बर्स काम आये, ८३३ मजरूह हुए। ४० डकैतों को उन्होंने मारा और १७३ को पकड़ा। सन् ६४ में आप देखें कि १२९ डाकू मारे गये और ११,०९८ डाकू पकड़े गये। तो यह एक सन्तोष की बात है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

पुलिस ने डकैतियां कितनी डालीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो आप जानते होंगे, आप उनके साथ रहे हैं। आंकड़ों को देखने से यह बात जरूर मालूम होती है कि क्राइम की सिचुएशन दिन ब दिन गिरती जा रही है। सन् ६२ में २,०३० डकैतियां पड़ीं और सन् ६४ में २,१४२ पड़ीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

पुलिस वाले कई पकड़े गये इसका भी रिकार्ड है आपके पास ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास वह रिकार्ड होगा, आप बतला दीजियेगा। पहले मंत्री जी को सुन लीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि जो क्राइम पोजीशन हैं वह दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिये सन् ६२ के आंकड़े आपके सम्मुख रख दिये जिसमें २,०३० डकैती पड़ीं। ६३ में १,८३५ ही पड़ीं, लेकिन ६४ में २,१४२ हो गयीं। इसी तरह से मर्डर्स लीजये। ६२ में २,३१७ थे। ६३ में २,१९२ हुए और ६४ में २,३८६ हुए। इसी तरह से राबरीज तथा बलरीज की हालत है और मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं हो रहा है कि उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही हैं और यह सभी के लिये चिन्ता का विषय है। लेकिन उसके कारण क्या हैं यह हमको और आपको सोचने होंगे। सबसे बड़ा कारण यह है कि थोड़े दिन पहले हमारे समाज का संगठन एक खड़ी रेखा में था और धीरे-धीरे वह अब पड़ी रेखा में हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देहातों में जो पहले एक लीडरशिप थी वह आज नहीं है, वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सामंतशाही कहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

आप वही कहिये। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा कि वह लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में चली जा रही है जो सदा अमनोअमान के लिये खतरे की वस्तु है। यह एक वस्तुस्थिति है जिससे आंख छिपाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस वस्तुस्थिति पर हमको और आपको सोचना पड़ेगा। एक कारण तो यह है कि जो समाज का संगठन जल्दी-जल्दी बदल रहा है उसके कारण यह अवस्था उत्पन्न हो रही है कि सुरक्षा और अमनोअमान की दृष्टि से ज्यादा चौकन्ना रहने की बात है।

दूसरा कारण यह भी है कि एक अभियान चलाया गया था। वह अब भी जारी है कि जितनी घटनायें होती हैं उनकी सही-सही रिपोर्ट लिखी जाय और आज भी मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं यह कह सकूं कि जितनी घटनायें होती हैं वे सेंट परसेंट सब लिखी जाती हैं। लेकिन फिर भी अपनी जगह पर यह ठीक है कि आज घटनाओं की रिपोर्टिंग में काफी वृद्धि हुई है और इस बात का प्रयत्न सतत किया जाता है कि हमारे थानों पर जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उन सब घटनाओं को दर्ज कर लिया जाय। इससे भी कुछ असर अवश्य पड़ा होगा घटनाओं की संख्या की वृद्धि में। लेकिन फिर भी आज मुझे इस बात से सन्तोष नहीं है और दृढ़तापूर्वक मैं आज भी नहीं कह सकता कि जितनी घटनायें होती हैं वे सब दर्ज कर ली जाती हैं। लेकिन इसका असर जरूर पड़ता है और घटनाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसका एक कारण यह

[श्री हरगोविन्दसिंह]

भी है। यह मैंने नहीं कहा कि घटनायें होती नहीं और यह भी मैं आपके सामने स्वीकार करूंगा कि सचमुच घटनाओं की संख्या में रिपोर्टिंग के अलावा भी वृद्धि हुई है और इसीलिये मैंने पहले बतलाया कि समाज के संगठन में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण भी एक ऐसी वस्तुस्थिति हो गयी है जिसकी वजह से घटनायें अधिक हो रही हैं।

एक चीज और श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं। एक बड़ा भारी कारण इन घटनाओं की वृद्धि का यह है कि जितनी जल्दी मुकदमों का फैसला होना चाहिये वह उतनी जल्दी नहीं हो पाता। मैंने थोड़े दिन पहले कुछ आंकड़े इकट्ठा करवाये थे इस बात के कि हमारे मुकदमें कितने ऐसे हैं कि जो काफी दिनों से पेंडिंग हैं। २१ अगस्त, १९६४ को क्या वस्तुस्थिति इस प्रान्त में थी वह मेरे पास है। जो सेशन्स के मुकदमे एक वर्ष से ज्यादा के पेंडिंग थे मेरठ डिवीजन में उनकी संख्या २१० थी। लखनऊ डिवीजन में उनकी संख्या थी ९३, कानपुर में ११९, बरेली में ९६ और इसी तरह से और जिलों में है। इसमें एक बात यह भी हो जाती है कि अधिक संख्या में सेशन्स केसेज के जो मुल्जिमान होते हैं वे बेल पर हुआ करते हैं और अगर एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल तक यह केसेज चलते रहें तो वे जमानत पर ही रहते हैं और इसका असर लाजमी तौर पर पड़ेगा और उसके कारण भी क्राइम्स में वृद्धि होती है और यह जाहिर है कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। उसके कारण यह अवस्था उत्पन्न नहीं होती। इसी तरह से कंविक्शन्स के आंकड़े भी मैंने इकट्ठा कराये। ३ वर्ष के आंकड़े मेरे पास हैं। १९६१ में १४.८ फीसदी कंविक्शन्स हुए। १९६२ में १३.३ प्रतिशत कंविक्शन्स हुए और १९६३ में १४.८ प्रतिशत कंविक्शन्स हुए। तो इसका भी असर पड़ना लाजिमी है। इस कारण से यदि मैं यह कहूं कि जो घटनाओं में वृद्धि हुई है, जरायम जो बढ़े हैं वह इन सब चीजों का एक मजमुई असर है, तो मैं समझता हूं कि वह कोई गलत बात न होगी।

बजट का अवसर एक ऐसा अवसर होता है कि जिसमें माननीय सदस्यों को अवसर प्राप्त होता है कि वे विभाग की आलोचना कर सकें और अपने सुझाव दें। वह आलोचना कटु भी हो सकती है और मधुर भी हो सकती है, लेकिन आलोचना करते समय यह नहीं भूलना चाहिये कि हम उन बेचारों को देते क्या हैं। आप यह समझिये कि और विभागों से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पुलिस का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बड़ा से बड़ा अफसर हो अथवा चौकीदार या कांस्टेबिल, वह २४ घंटे का मुलाजिम होता है। उसे हमेशा ड्यूटी के लिये तैयार रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, उससे हम एक ऊंचे स्तर का काम चाहते भी हैं। चाहना भी चाहिये, यह बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी हमको और आपको सोचना चाहिये और इस पृष्ठ-भूमि में सोचना चाहिये कि हम उनको देते क्या हैं। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन--

कम से कम १०० रुपया तो सिपाही को कर दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--

आपको मैं बतलाऊं कि कांस्टेबिल को हम ४५ से ७० रुपये तक देते हैं और हैड कांस्टेबिल को ६५ से ९० रुपये देते हैं। बढ़ाने की बात सही है और मैं चाहता नहीं था कि इस विषय पर भी कुछ रोशनी डालूं, लेकिन चूंकि उधर के बैठे हुये लोग यह कहने में हिचकते नहीं, और मुझे दुख है यह बात कहने में कि वह यह समझते हैं कि ऐसा कहने में उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। वे यह समझते हैं कि ऐसा कहने से उन लोगों की एक तो सद्भावना उनको मिलेगी और इसके लिये ही वे अधिक तनख्वाह, अधिक डी० ए० आदि की बात कहने में हमसे अधिक उत्सुक रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब हम उनसे यह कहते हैं कि आइये, बैठ कर सोचा जाय, जिम्मेदारी जितनी इधर के लोगों पर है उतनी ही आप लोगों पर भी है, तब आप कहते हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिये। अगर मैं आपकी बात मानकर टैक्स लगाऊं और उनकी तनख्वाह बढ़ाऊं तो आप यह समझते हैं कि यह एक अच्छा अवसर मिला लोगों से जा कर कहने का कि सरकार निकम्मी है,

आप पर टैक्स लगा रही है। (व्यवधान) ("सही बात है की आवाजें") अगर हम तनख्वाह नहीं देते तब भी कहा जाता है कि सरकार निकम्मी है, तनख्वाह नहीं बढ़ाती। अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाते तब भी निकम्मे और अगर टैक्स लगाते हैं तब भी निकम्मे। यह पता नहीं कि वह लोग स्वयं कभी इधर आ पायेंगे या नहीं और शायद इन लोगों की जिन्दगी में तो आ पायेंगे यह मैं नहीं कह सकता। जब इधर बैठ कर कुछ कहना हो और स्वयं कुछ करना हो ....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप हार कर आ गये तो हम भी आ जायेंगे।

श्री उग्रसेन—

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट उन पर क्यों नहीं लागू करते ? यह तो साधारण बात है।

श्री जे० पी० मिश्र— (जिला हरदोई)—

इसलिये कि उनसे पोलिटिकल दुश्मनी है।

श्री उग्रसेन—

हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आलोचना करते समय उतने ही तक वे अपने को महदूद रखें जितनी बात से मुझे भी कुछ लाभ हो सके और मैं भी उनकी बात कुछ समझ कर उसके लिये प्रयत्न कर सकूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

समझ कहां से सकेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

समझ तो आपको ही मिल गयी। समझ के बाजार में आप ही पहले पहुंच गये, मैं वहां देर से पहुंचा। तो इसलिये मैं अधिक समय न ले कर माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे अच्छी आलोचना करें।

एक बात और है जिसके बारे में कहा जाता है और मुझे भी कुछ अनुभव हुआ। मुझे ऐसे भी व्यक्ति पुलिस में मिले। वैसे आप जानते हैं कि इसके तीन विभाग हैं। पी०ए०सी० के बलिदान पर, उत्साह पर कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है कि जिसका मस्तक श्रद्धा से झुक न जाय। मैं देख आया हूं उस जंगल में जहां मनुष्य नहीं रह सकता वहां किस उत्साह से हमारे पी० ए० सी० के बच्चे रह रहे हैं कि मैं समझ नहीं सकता। उनके लिये सारे प्रान्त को गर्व होना चाहिये। हमारे कई बैटेलियन गवर्नमेंट आफ इंडिया में गये हुये हैं। काश्मीर और आसाम के बार्डर पर हैं। मैं इस बार उनको वहां देख आया हूं। वे हमारी इस पुलिस के ही अंग तो हैं। एक अंग सी० आई० डी० है। सब अच्छा काम कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हमारा देश और प्रदेश गर्व कर सकता है उनकी ईमानदारी और कार्य कुशलता पर। उनमें कुछ खराब भी हैं और खराब क्यों न हों ? आखिर वे हमारे और आपके घर के लोग ही तो हैं। जैसे हम होंगे वैसे वे भी होंगे उनमें हर किस्म के आदमी हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग की आलोचना करते समय वे इस बात को न भूलें कि हम उनको और अधिक दे भी तो नहीं सकते। मैं नहीं जानता कि वे कितना खाते होंगे और कितना घर भेजते होंगे। मैं समझता हूं वे कुछ न भेज पाते होंगे। फिर हर संकट के समय

[श्री हरगोविन्दसिंह]

हमें कोई याद आता है, अगर किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, एक बड़े ऊंचे आदर्श की सहायता हम चाहते हैं, तो उसको देने वाला हमारा यही कांस्टेबिल है जो ४५–७५ रुपया पाता है ।

अब माननीय सदस्यों से जो सुझाव मुझे मिलेंगे, उनके बारे में बाद में अपने विचार प्रकट करूंगा । इस समय तो मैं केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि आलोचना करते समय ऐसी कटु बात न कहें कि उनके दिल को चोट लगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना । जैसे ही माननीय मंत्री जी खड़े हुए, उधर के कुछ साथियों ने मेज थपथपाने की कोशिश की । लेकिन, आपने स्वयं सुना होगा कि केवल ३–४ आदमी ही मेज थपथपा पाये जिनके प्रमुख श्री जे० पी० मिश्रा थे । किसी के दिल में उत्साह नहीं था, किसी प्रकार का उल्लास नहीं था । माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जैसे वे हैं, करीब-करीब उनकी प्रतिछाया उनका यह विभाग पुलिस है । अंग्रेजी में एक कहावत है कि "सम आर बार्न क्रिमिनल्स, सम अचीव क्रिमिनेलिटी एन्ड सम हैव क्रिमिनेलिटी थर्स्ट अपान देमसेल्व्स ।" माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध जन्म से, परिश्रम से और संस्कार से, इस विभाग से करीब-करीब मिलता-जुलता है । मैं इस बात को इसलिये कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक बात कही जो इस प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा आक्षेप है । उन्होंने कहा कि आज कल ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं जो प्रदेश में अशान्ति पैदा करते हैं, जो इस प्रदेश में कत्ल कराते हैं । श्रीमन्, १७ वर्ष राज्य करने के बाद, जनतंत्र पद्धति से कार्य करने के बाद कांग्रेस सरकार का इस से स्पष्ट नमूना नहीं हो सकता । इससे दुःखद इस शासन की टिप्पणी नहीं हो सकती है । इन्होंने और इनकी छाया में रहने वाली पुलिस ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रखा है जो आज जरायम को बढ़ावा देते हैं । इतना ही नहीं, ऐसे नताओं को वे गांवों में नेतृत्व करने के लिये ही नहीं बढ़ावा देते, श्रीमन्, बल्कि उनको गांव सभाओं में नेतृत्व दिलाते हैं, विकास क्षेत्र समितियों में नेतृत्व दिलाते हैं, जिला परिषदों में नेतृत्व दिलाते हैं और इस माननीय सदन में तथा मंत्रिमंडल में भी वे उनको नेतृत्व दिलाने में सफल हो गये हैं । कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी पुलिस के सिलसिले में बात की जाती है तो साधारण जनता के लिये "पुलिस" शब्द ही पर्यायवाची हो गया है—घृणा का, हिकारत का, घूसखोरी का, जुल्म का, चोरी का, डकैती का और हर किस्म की बदमाशी का । इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह कहना तो बहुत कठिन होगा, लेकिन निश्चित रूप से इतना तो कहा ही जाता है कि उसके लिये जिम्मेदार विभागीय मंत्री और उसके नीचे रहने वाले आई० जी० हैं ।

श्रीमन्, जब मैंने इस बात को सोचा कि इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करूं तो मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस "पुलिस" शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई । थोड़ा-सा जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि यह शब्द यहां का नहीं है । अंग्रेजों के जमाने की बात है कि उनके अपने देश में बहुत पुराने जमाने में १०–५ आदमियों का एक गिरोह बना लिया जाता था और उस गिरोह का एक नेता बना दिया जाता था और सरकार जबरदस्ती उस नेता से उस क्षेत्र के लोगों को दबवाती थी, उनको परेशान करवाती थी ताकि वे सरकार के खिलाफ अपने सर न उठा सकें । अब उनको पुलिसमैन का रूप दे कर यूरोप में या और देशों में उनसे काम लिया जाता है लेकिन उसके पीछे इसी प्रकार की परिपाटी केवल इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों में धारणा है । जैसी उनकी शिक्षा, दीक्षा और सभ्यता है उसी के अनुरूप वे अपने भावों को व्यक्त करते चलते हैं । इस मुल्क में निश्चित रूप से पुलिस के प्रति किसी की आस्था नहीं है।

आज भी पुलिस गांव में पहुंच जाती है तो एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। किसी को उस पर विश्वास नहीं है और कोई उस से किसी प्रकार की रक्षा की आकांक्षा या इच्छा नहीं करता।

'कांस्टेबिल' शब्द इस से ज्यादा सम्मानित शब्द है और यह यूरोप की लैटिन भाषा से निकला है। शब्द "कांस्टेबिल" का अर्थ था "आफिसर आफ दि पीस" यानी "शान्ति का अधिकारी" और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। फ्रांस में इसको बड़े-बड़े पदों पर रखा जाता है और उसी नाते वे आज भी उसी तरह से चले आ रहे हैं। जहां तक दुनिया के और मुल्क हैं जैसे इंगलैंड है, वहां की पुलिस की और वहां के कांस्टेबिल की दुनिया में कितनी तारीफ है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो उसकी तारीफ न करे। यह शब्द निश्चित रूप से वहां प्रतिष्ठा रखता है। अगर वहां पर कोई जुर्म हो जाय तो मजाल नहीं कि उसका पता न लग सके, लेकिन हमारे यहां उसके बिलकुल विपरीत कार्य चलता है। एक चीज वहां खास यह है कि वहां के कांस्टेबिल और उसके अधिकारी का घनिष्ट सम्बन्ध है और उसका एक खून का सा नाता मालूम होता है। वहां का कांस्टेबिल कभी भी आई० जी० से शासित नहीं होता है और न कभी भी उसके अधिकारी पुलिस के अतिरिक्त और कहीं से नियुक्त किये जाते हैं। कांस्टेबिल से उठ कर वह धीरे-धीरे चीफ कांस्टेबिल होता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो चीफ कांस्टेबिल होता है वह कांस्टेबिल्स का हमदर्द होता है, वह उनके सुख-दुख को समझता है। लेकिन हमारे यहां जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिन्हें आई० जी०, डी० आई० जी० कहते हैं, यहां तक एस० पी० तक जो होते हैं उनका भी कांस्टेबिल से कोई नाता नहीं रहता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे उस पर हुकूमत करने के लिये, उस पर रोब गालिब करने के लिये, न कि उनकी सहायता करने के लिये प्रतिष्ठित किये गये हैं। ऐसी हालत में मेरा सुझाव है कि आज के कंटेक्स्ट में आई० जी० या डी० आई० जी० निरर्थक हैं, इसलिये इन पदों को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाय। वह सरकार और पुलिस के बीच में केवल पोस्ट आफिस का काम करते हैं और जरूरत से ज्यादा भत्ता और वेतन खा जाते हैं। जब मैंने बजट को देखा तो मालूम हुआ कि प्रदेश में कुल १९८ अफसर हैं जो ३,१२,५२,००० रुपया खा जाते हैं। साढ़े १६ करोड़ के बजट में इतनी बड़ी रकम यह वेतन और भत्ते के रूप में खा डालते हैं और जो बाकी रह जाता है वह नीचे की पुलिस के लिये रह जाता है। ऐसे लोगों का कोई काम क्षेत्र में नहीं रहता सिवा इसके कि मिनिस्टर साहब के यहां हाजिरी दें, उनके फोन अटेन्ड करें और जिसको वह कहें जेरबार कर दें। इस चीज को खत्म करना चाहिये और इन डी० आई० जीज० की जगह रीजनल चीफ कांस्टेबुल्स नियुक्त कर सकते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध मंत्री जी से रहे।

अभी मंत्री जी ने कहा कि यह संस्थान रक्षा की भावना से ओतप्रोत है। मैं कहूंगा कि दुनियां में जहां कहीं भी जन सरकार बनी हैं वहां कल्याणकारी सरकार की स्थापना हुई है और यह उद्देश्य ऐसी सरकार का होता ही है। लेकिन यहां इस बहाने पुलिस स्टेट कायम की जा रही है। यहां का तरीका यह होता है कि जब एग्जीक्यूटिव चाहे तो वह उसकी मदद से जनसमूह को दबा दे, उसकी भावनाओं को कुचल दे, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाये, उसकी असमत को लूट ले। आज प्रदेश के हर जिले में कौन नहीं जानता कि वह स्थिति पैदा है और वह इतनी भयावह स्थिति है जिसको सोचकर रोएं खड़े हो जाते हैं। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि जरायम दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं उनको बढ़ावा देने में, उनको प्रोत्साहन देने में निश्चित रूप से ज्यादा हाथ मंत्री जी का है, मंत्री जी अपने को विभाग से अलग नहीं कर सकते। विभाग एक प्रमुख अंग है जब कि उनकी तरफ से जरायमपेशा लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, वह अक्षम्य हैं। अब वह किस तरह से जरायम पेशा लोगों को बढ़ावा देते हैं? उनका तरीका यह है कि कत्ल हो जाय और उसमें अगर कहीं इत्तिफाक से उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार फंस जाय या उनका मिलने-जुलने वाला फंस जाय तो वह सबसे पहला काम यह करते हैं कि वह उस मामले को पुलिस से ले कर सी० आई० डी० को सौंप देते हैं जिस से कि उसके खिलाफ सबूत समाप्त हो जाय।

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

एक नहीं, दस ऐसे मामले मैं बता सकता हूं जिनमें ऐसा हुआ है। जौनपुर में एक लुहार और उसका लड़का सो रहे थे। उस पर तेजाब डाला गया और उसका नतीजा यह हुआ कि वह अस्पताल में जाते-जाते मर गया लेकिन उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। जिन लोगों ने तेजाब डाला था वह लोग नैनीताल पहुंचे जहां कि मंत्री जी तशरीफफर्मा थे। वह लोग शान से घोड़े पर बैठ कर उनके बंगले पर गये और मंत्री जी ने उनके कहने पर तुरन्त मामला सी० आई० डी० को सौंप दिया और उस गरीब, निरीह लुहार की आह आज भी उनके सिर पर मंडरा रही है। इसी तरह से एक वाकया आजमगढ़ का है, वहां भागी यादव प्रमुख था, वह जनता का नेता था, उस पर गोली चलाई गई, उसकी एक आंख जाती रही। उसमें भी मंत्री जी के एक मनचले दोस्त का हाथ था। वह मामला भी सी० आई० डी० को सौंपा गया २ साल हो गये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उसमें भी नहीं हुई। बलिया में जियाउल साहब जो पुराने और कर्मठ कांग्रेसी थे उनका कत्ल हो गया लेकिन क्या इत्तिफाक है कि मंत्री जी का उधर भी जहान नहीं है और इस विषय में भी कुछ नहीं हुआ।

जब विभागाध्यक्ष, मेरा मतलब माननीय मंत्री जी से है, स्वयं इन काले कारनामों में हाथ रखता है तो निश्चय ही वह विभाग कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता और न उसमें जनता की आस्था हो सकती है। श्रीमन्, एक आधा और नाम दे दूं और फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। आप तो जानते होंगे श्री राम सूरत सिंह जी को। उनका नाम बहुत आया है। आपने योगेन्द्र सिंह का भी नाम सुना होगा जो इन के सब इंसपेक्टर थे, जिसकी वे तारीफ नहीं करेंगे। वे इतने ईमानदार हैं कि जिसकी तारीफ जौनपुर ही नहीं बल्कि बलिया या मुगलसराय या वे जहां भी रहे हैं, वहीं पर उनकी तारीफ हुई है। श्रीमन्, आपने सुना होगा कि उनके पुर्खे श्री भिखारी सिंह थे इनके दो लड़के थे। एक श्री शिव चरण सिंह और दूसरे पदारथ सिंह जिसके नाती राम सूरत सिंह हैं। श्री पयाग सिंह की लड़की माननीय मंत्री जी की चचेरी बहिन है।

"The relationship between Thakur Har Govind Singh and Ram Surat Singh appears from,"

श्री अध्यक्ष—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह हाई कोर्ट का जजमेंट है जो श्री जोगेन्द्र सिंह बनाम श्री हरगोविन्द सिंह से सम्बन्धित है। यह देख कर उन्होंने स्वीकार किया है कि भिखारी सिंह की परपोती उनकी चचेरी बहिन है। उनका लड़का और श्री हरगोविन्द सिंह क्लासफेलो रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—

उस वक्त तो आप पैदा भी नहीं हुए थे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जजमेंट में दिया हुआ है—

"Though there is considerable suspicion that the Home Minister might be responsible for the release of Ram Surat Singh since it was at his instance that an enquiry into the alleged illegal arrest was started, the matter does not proceed beyond the stage of suspicion."

उनको सन्देह का फायदा तो मिल गया। ये तो बरी हो गये लेकिन अगर पुलिस के पक्ष में जजमेंट हुआ होता और उसको सन्देह का फायदा मिला होता तो डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो जाती।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को चाहिये कि इस जजमेंट को वह ले लें और इनके सारे दोस्तों और कलीगों की भी जांच पड़ताल करें। माननीय गृह मंत्री की तरफ से यह कोशिश की गयी है कि इस मसले को रफा दफा कर दिया जाय क्योंकि यह उनकी रिश्तेदारी का प्रश्न है। झूठ हो सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे डिपार्टमेंटल तरीके से इसकी जांच पड़ताल करें और यदि यह सन्देह सही हो तो निश्चय ही उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करके कैबिनेट से निकाल देना चाहिये। इसी में ही प्रदेश का कल्याण है।

श्रीमन्, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बाराबंकी का एक मामला है। वहां पर इनका एक मित्र है विजयबहादुर सिंह। वह इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग का लीडर है। और उसकी वजह से इस सारे खित्ते में आंतक फैला हुआ है। लोगों का रहना दुश्वार हो गया है और किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। वहां की जनता डी० एस० पी० से मिलती है कि हमारी रक्षा कीजिये तो वह कहते हैं कि यह तो बाराबंकी में रोज होता है और मामला खत्म हो जाता है। विजयबहादुर सिंह लोनी कटरा थाने के रहने वाले हैं। इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यह उस संरक्षण में बाराबंकी आते हैं और चले जाते हैं। वहां पर एक मेहरबान सिंह डी० एस० पी० रहते हैं। उनका नाम ही मेहरबान सिंह है। वह अपनी जीप में इनको और डकैतों को घर पहुंचा देते हैं। पुलिस विभाग के लोग कैसे काम करें? शान्ति प्रसाद जी को रोज मिनिस्टर साहब फोन करते हैं। वह शान्ति की कोशिश करते हैं लेकिन यहां पर "अशान्ति प्रसाद जी" बैठे हुये हैं। जो होम मिनिस्टर हो उसको अपनी कमर ज्यादा कसनी होगी। अगर कभी-कभी उनकी हकतलफी हो तो भी उनको झुकना होगा। उनको ज्यादा से ज्यादा अबव बोर्ड होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, यह जन्मजात क्रिमिनल हैं.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन में यह शब्द नहीं कह सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं वापस ले लेता हूं। (व्यवधान) (शोर)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीपालसिंह जी उसी कैटेगरी में हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा नाम किस लिये ले रहे हैं, उनसे पूछा जाय।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

वह क्रिमिनल जाति में हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप वापस लीजिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मेरा कोई आक्षेप नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप महा क्रिमिनल हैं, डाकू हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह वापस ले रहे हैं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मैंने कहा कि वह जाति के क्रिमिनल हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कंजड़ हैं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यह क्रिमिनल हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने वापस ले लिया । आप भी वापस ले लीजिये ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

आपको अगर कष्ट है तो वापस है, किन्तु डाकू हैं इसको वापस करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने वापस ले लिया है । उन्होंने जो कहा था उसे वापस ले लिया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैंने नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं, मैंने नहीं कहा ।

देखिये केशरीप्रसाद पांडेय जी, विभाग के सम्बन्ध में कहिये, इतना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह माननीय मंत्री जी के विभाग से ही सम्बन्धित है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

श्रीमन्, "डाकू" शब्द वापस करा दीजिये, इन्होंने कहा है कि आप डाकू हैं ।

श्री अध्यक्ष—

किसको कहा है ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मुझको कहा है, श्रीमन् ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्रीपालसिंह जी, यदि कोई शब्द आपके मुंह से ऐसा निकला है तो हमारी शोभा इसी में है कि आप इसे वापस ले लें ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जब इन्होंने बार-बार कहने पर भी अपने द्वारा मेरे लिये कहे गये शब्द को वापस नहीं लिया तो मैंने जरूर कहा और यदि वह वापस ले रहे हैं तो मैं भी वापस ले रहा हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय बैजनाथ जी को कभी-कभी परेशानी ज्यादा हो जाती है, यह मेरे बगल के रहने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष—

वह प्रकरण समाप्त हुआ, आप समाप्त करिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

तो श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह कह रहा था, आज माननीय मंत्री जी को.... एक किस्सा और सुन लें। श्रीमन्, आपको याद होगा कि एक जज और एक्स एम० एल०ए० का कत्ल हुआ । कातिल एस० एस० पी० के यहां दावत खाये और रात में कत्ल किया !

श्री अध्यक्ष—

तथाकथित है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

तथाकथित ही समझ लीजिये, श्रीमन् । तो श्रीमन्, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई ।

कुछ सदस्य—

अब पकड़ा गया ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

अब पकड़ा गया होगा । कारण मैं बताऊं । मंत्री जी के यहां कभी आप तशरीफ तो ले गये होंगे नहीं, क्योंकि आपको जरूरत ही क्या ? उनके यहां बंगले पर २ साईनबोर्ड लगे हुये हैं । एक साईनबोर्ड पर लिखा है "ठाकुर हरगोविन्द सिंह" और दूसरे पर लिखा है "कन्हैया-लाल मिश्र" । यह इनके लंगोटिया यार हैं और जो गुण दोष इनमें हैं वह उनमें भी हैं । वह इनके साथ रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो यहां सदस्य नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में कहना ठीक नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

नहीं श्रीमन्, वह सदस्य तो हैं ।

श्री अध्यक्ष—

किन्तु वह यहां उपस्थित तो नहीं हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यदि वह यहां उपस्थित नहीं हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, उन्हें यहां होना चाहिये था । इस प्रकार से उनके यहां इस्टैब्लिशमेंट दो हैं, मकान, टेलीफोन, रखरखाव और सारी सुविधायें एक हैं जो मंत्री जी के नाम हैं । किन्तु वह इनके साथ रहते हैं और सारी सरकारी सुविधायें

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

भोगते हैं । क्या कहूं, यह भारत है, यदि इंगलैंड होता तो मंत्री महोदय स्वयं इस्तीफा दे गये होंते या सुचेता जी निश्चित रूप से इनसे इस्तीफा दिलवा देतीं या जैसा कि उस दिन मैंने कहा था कि यह पुलिस के कटघरे में होते । श्रीमन्, आपने इंगलैंड में सुना होगा डा० वार्ड और प्रोफ्यूमो कांड । उस कांड में मंत्री प्रोफ्यूमो इतना हयादार था कि उसने गलती करने के बाद उसे स्वीकार कर लिया और इस्तीफा भी दे दिया । और डा० वार्ड में इतनी हया थी कि उसने पकड़े जाने के बाद आत्महत्या कर ली । लेकिन उत्तर प्रदेश में यह प्रोफ्यूमो और डा० वार्ड पाले जा रहे हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको उच्च स्थान दिया जा रहा है । इसलिए यदि ऐसे लोगों के हाथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दी गई, इतना गौरवपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण पद दिया गया तो इससे जनता और देश का कोई भला होने वाला नहीं है और वह सदा इनके जूतों के नीचे कराहती रहेगी ।

अब मैं विभाग के बारे में भी कुछ कह दूं । लखनऊ के नजदीक चिनहट है । चिनहट में कुछ लड़कियां—३० रही हों....

एक सदस्य—

"३६"

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

अच्छा ३६ होंगी, आपकी जानकारी ज्यादा है (हंसी) । तो श्रीमन् यह ३६ लड़कियां वहां पिकनिक पर गईं और वहां पर एक गव० टेक्नीकल इंस्टीट्यूट है । वहां लड़कियों के साथ मैं जानता हूं क्या हुआ है । इसमें इनके कुछ लाडले जवान भी शामिल हैं । इतनी लज्जास्पद बात है पुलिस विभाग और इनके गृह मंत्रालय के लिये कि कहने में लज्जा आती है और इनको देखने की तबियत नहीं करती । कौन अधिकारी अपने बच्चों को इस तरीके से कहीं सैर के लिये, कोई सिनेमा देखने के लिये या कही मनोरंजन के लिये भेज सकता है जिसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है ? उस पर तुर्रा यह कि इन्होंने बड़ा काम किया है ।

डकैती की बात कही गई कि इतने डकैत मारे गये । उन मरने वालों में चार को निकाल दीजिये, जैसे मन्ना कोला में हुआ । जिनको जाने पहचाने लोग साथ लिवा ले गये और वहां पेड़ से बांध कर गोली मार दी । ऐसे निरीह लोगों को डकैत कह कर मारते हैं । जो "डकैत" हैं उनको संरक्षण देते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं । मैं भी जौनपुर का रहने वाला हूं इसलिये जानता हूं कि बाराबंकी में किस तरह से संरक्षण दिया जाता होगा । जब कभी ये बादशाहपुर थाने पर पहुंचते हैं तो इनके साथ इनसे भी लम्बी टोपी वाले पहुंचते हैं । वे पुराने अमन सभाई हैं और आज के कांग्रेसी हैं । आप थाने के सामने मोटर खड़ा कर देते हैं । इन क्रिमिनल्स के कन्धों पर हाथ रखकर मन्त्री जी २, ४ मिनट उनके साथ चहल कदमी करते हैं । अब आप बतलाइये कि थानेदार क्या करे और किस प्रकार से वह इन अपराधों को रोके ? इसका नतीजा यह होता है कि उस क्षेत्र में डकैती पड़ती हैं । पीर मुहम्मद इलाहाबाद का डकैत है । उसका एक गैंग है और उस गैंग से इन सब का सम्बन्ध है । ऐसे लोग मिलकर सारे प्रदेश को बरबाद कर रहे हैं ।

अब मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं । पुलिस के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि कांस्टेबिल से ही बढ़कर चीफ कांस्टेबिल होना चाहिये । आई० जी० और डी० आई० जी० की पोस्ट समाप्त कर देना चाहिये । चीफ कांस्टेबिल का सीधा सम्बन्ध मन्त्री से होना चाहिये । रंगरूट भर्ती और उनकी ट्रेनिंग नर्सरी फौजी बच्चों की भांति होनी चाहिये । उनका शुरू से ही वातावरण दूसरा होगा । भर्ती करते समय इन लोगों की उमर १६ और १८ के बीच होनी चाहिये । दो वर्ष की इनको ट्रेनिंग हो । जब वे वहां से ट्रेनिंग पाकर निकलें तो उनको १०० रुपये वेतन विद् अलाउन्स दिया जाय । तब वह देश या प्रदेश के प्रति या जनता के प्रति वफादारी से काम

कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं ।

ग्राम सुरक्षा पुलिस की बात चली । अगर ग्राम रक्षा पुलिस ब्रांच के आंकड़े देखे जायं तो मालूम होगा कि एक आदमी पर केवल १६.५ नये पैसे खर्च होते हैं । इंगलैण्ड में ग्राम रक्षा पुलिस का तरीका यह है कि वहां पर गांव में जो वाच कमेटी होती हैं उसी को अधिकार है कि वह अपनी पुलिस को नियुक्त करे और उनको शपथ दिलाए । अगर ग्राम सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर कोई काम करेगा तो वह सही काम करेगा । इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के ३ आदमी को अगर डिफेन्स कमेटी बना दें और उसके अधीन वहां की पुलिस को दे दें तो बड़ा लाभ हो सकता है । इसी तरीके से म्युनिसिपल बोर्ड और कबाल टाउन्स में पुलिस को अलग-अलग दे दें । अगर उनको अलग काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाय तो अधिक काम हो सकता है । इसी तरीके से थानों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जब कोई आदमी पहुंचे तो उसे शान्ति महसूस करनी चाहिये और यह समझना चाहिये कि वहां उसका कोई बाल-बांका नहीं कर सकता है । लेकिन उसको राहत नहीं मिल पाती है, शान्ति नहीं मिल पाती है । चाहिये तो यह था कि वह समझता कि वह ऐसे स्थान पर आ गया है कि उसका कोई बाल-बांका नहीं कर सकता है । जहां तक एफ० आई० आर० का संबंध है, वह कुछ ऐसी बेढंगी चली आ रही है कि अगर आपका बस चले तो उसे भी न लिखने दें । किसी के बाप या लड़के का कत्ल हो गया है, वह थाने में पहुंचा है तो वह इतने होश-हवास में नहीं रहता है कि खुद रिपोर्ट तहरीरी दे सके उससे तहरीरी रिपोर्ट मांगी जाती है । यदि वह खुद नहीं लिख सकता है तो दूसरे के पास जाता है । मुमकिन है कि दूसरे के लिखने में कुछ बनावटी चीज आ जाय । चाहिये तो यह था कि थाने का मुंशी उसको लिखा लेता । लेकिन ऐसा न करके जो तरीका आज थानों में बरता जा रहा है उससे क्राइम और भी बढ़ता जा रहा है । जनता जाग्रत हो गयी है इससे यह मजबूर हैं ।

आपने कहा पुलिस ने भूखमरी में दूकानें लुटने से बचा दीं । श्रीमन्, जो भूखा है, पेट के बल रेंग रहा है, घुटने के बल चल रहा है, वह क्या दूकान लुटेगा ? दूकान तो आपके इशारे पर चलने वाले शोहदे और गुन्डे ही लूटते हैं । अगर आपका इशारा हो जाय तो लूटना शुरू कर देते हैं और अगर न हो तो लूट बन्द कर देते हैं । इस स्थिति को यह अपनी शान समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपके दो मिनट बाकी हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

मेरे कहने का मतलब यह है कि थाना शान्ति का स्थान होना चाहिये । और इन थानों को फिर से संगठित किया जाना चाहिये । इन का रिआर्गेनाइजेशन करें और अदालत पंचायतों के आधार पर रिआर्गेनाइजेशन करें ताकि इनका पूरे तरीके से निरीक्षण और देखभाल हो सके ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि थानों में टेलीफोन हो, वायरलेस हो, वर्ना पुलिस वालों को साइकिल एलाउन्स भी नहीं मिलता है । कांस्टेबिल तो १० मील पैदल दौड़ रहा है और दरोगा जी फटफटी पर चले जा रहे हैं । तफतीश करने में यह मदद कैसे करेगा ? जब इतनी दूर चलकर वह किसी के यहाँ पहुंचेगा तो शिकरन या कुछ पीने खाने की बात सोचेगा । तो फिर मामले की क्या तफतीश करेगा ? उनको आप साइकिल एलाउन्स दें और ऐसा तेज रफ्तार वाला साधन दें जिससे वह क्रिमिनल की रफ्तार को ओवरकम कर सकें । आज दुनिया में जो वैज्ञानिक साधन प्राप्त हो चुके हैं उनको क्रिमिनल अपनी कार्यकुशलता के लिये प्रयोग में लाता है और आपकी पुलिस साधन-हीन होने के कारण उसको नहीं पकड़ पाती है । उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में प्रयत्न करें और उनकी रफ्तार को हमेशा के लिये खत्म कर दें । इसका सम्प्रति थोड़े में इन्तजाम हो सकता है । इनको जीप दे दें । ब्लाक के लिये इनकी क्या जरूरत है ? इन जीपों को दरोगा को दे दीजिये, दरोगा उससे काम ले ।

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

एक तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज पुलिस की हालत क्या है ? आपको याद होगा कि जिस समय चायनीज आक्रमण हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि सैनिक परिवार के प्रति सरकार सदा जागरूक रहेगी । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । नामपुर गांव में एक लड़का फौज में नायक है, उसकी मां पर थाने में ज्यादती हुई । वह थाने में गयी किसी काम से,तो उसकी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई गयी । पुलिस का जैसा रवैया है गाली देने का, उसके साथ भी बदतमीजी की गयी । यह शर्म की बात है कि जिस जवान की आप तारीफ करते हैं, जो हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी अस्मत और इज्जत का वह संरक्षक है, उसकी मां के साथ थाने के लोग बदतमीजी से पेश आयें, यह चीज बर दाश्त से बाहर है । आपको हिदायत देनी पड़ेगी कि ऐसी चीजें भविष्य में हरगिज न होने पायें । पुलिस का कर्त्तव्य सरकार से ही हुक्म लेकर काम करने का नहीं है । जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, वह जनता की सेवक है और अगर रक्षक भक्षक हो जाय तो फिर कल्याण होने की गुंजायश नहीं है ।

मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र के बयान की तरफ दिलाना चाहता हूं । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि झांसी और महोबा की पुलिस ने डकैती डाली । यह बहुत ही कलंक की बात है। न तो इसका इस सदन में जवाब दिया गया और न इसका प्रतिवाद ही किया गया । आपने ऐसा जरूर कर दिया कि ये लोग बच गये । माननीय मंत्री को चाहिये था कि अपने आई० जी० को भेजते और वस्तुस्थिति का पता लगाते और इस कलंक को दूर करते । यह न करके टेक्नीकलटीज पर चले जा रहे हैं । इनको विश्वास ही नहीं होता । इन्होंने यह कहा है कि इनको पुलिस का इतना विश्वास है जितना कि आपको है । तो इनको पुलिस पर विश्वास नहीं है, फिर यह तसाउली क्यों ? मंत्री विभाग पर विश्वास नहीं करता और विभाग मंत्री पर विश्वास नहीं करता । कुछ अजीब हालत है । पता नहीं, किस नक्षत्र में दोनों पैदा हुए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन के सम्माननीय सदस्य आज दिल खोल कर जितना गुबार हो निकाल दें जिससे साल भर तक मुंह बन्द करके माननीय मंत्री जी के साथ काम कर सकें ।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पुलिस अनुदान की ताईद में खड़ा हुआ हूं । मुझे मंत्री जी के उस बयान से जो उन्होंने हाउस में दिया है बहुत इत्मीनान हासिल हुआ है । उन्होंने साफ-साफ आंकड़े रखे और कोई ऐसी बात हाउस में नहीं छिपाई जिससे कि कोई किसी किस्म का शक व शुबहा हो ।

(इस समय १ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुये ।)

जो माननीय सदस्य इस वक्त बोल रहे थे उन्होंने ज्यादा वक्त जातियात पर हमला करने में लगाया बनिस्बत इसके कि वह कोई कांस्ट्रक्टिव बात कहते जिससे सरकार और पब्लिक को फ़ायदा होता. . . . . .

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस समय पुलिस अनुदान पर चर्चा हो रही है, न तो यहां गृह मंत्री हैं, न उनके उपमंत्री हैं । दोनों में से किसी को अवश्य होना चाहिये जो अनुदान को पेश करते हैं । कौंसिल में भी ऐसी व्यवस्था हो चुकी है. . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण करें.....

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है, खामख्वाह समय क्यों नष्ट करते हैं हाउस का ?

श्री अधिष्ठाता---

पांडेय जी, जवाब मैं दे दूंगा, आप कष्ट न करें । जो प्रश्न उठाया गया वह महत्व रखता है, लेकिन इस समय कैबिनेट के फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर सदन में मौजूद हैं । दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि वे किसी भी माननीय मंत्री के लिये भी कुछ समय चाहिये, वह आते हैं या नहीं आते हैं, पहले इसे देखते फिर शिकायत करते । ऐसा हो सकता है कि उन्हें जाना पड़े । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री एस० जी० दत्त---

यह जो वक्त इधर उधर में खर्च हुआ है यह मुझे दे दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

जी हां ।

श्री एस० जी० दत्त---

शुक्रिया । डिमाक्रैसी में जरूरत है कि पुलिस की जितनी तादाद इम्पीरियल गवर्नमेंट में हो उससे भी ज्यादा होनी चाहिये । बहुत सारे परिवर्तन हमारे सूबे में हुये हैं, इसलिये और भी पुलिस ज्यादा होना चाहिये । जमींदारी खत्म होने के साथ-साथ हमारे यहां जमींदारों का असर बहुत कम हो गया और उसका असर यह भी हुआ है कि आज बहुत सारे गुण्डे बदमाश खड़े हो गये हैं । पंचायतों में भी आजकल ऐसे अनडिजायरेबिल पर्सन्स आते हैं जो कि न अमन कायम रख पाते हैं और न कानून को कायम रख पाते हैं। जमींदार एक ऐसी शखशियत थी जो ऐसे गुण्डों बदमाशों पर काबू रखती थी, लेकिन अब वह असर नहीं रह गया है । अब पुलिस को ही उन पर काबू रखना है । इसलिये आज पुलिस की अधिक आवश्यकता है । तादाद पुलिस की बढ़ी जरूर है मगर वह नाकाफी है और वह पूरी तरह से इन्तजाम नहीं कर पाती। जो आज इतनी तादाद में कत्लेआम और डकैतियां हो रही हैं वह इसी लिये हैं कि पुलिस से उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिये । यह सही है कि आज पैसे की भी कमी है, मगर उसके साथ साथ पुलिस की भी आवश्यकता है । पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसको लोग बुरी निगाह से देखते हैं । इसका काम भी बड़ा अजीब है और वह हर कोई नहीं कर सकता । हमको चाहिये कि पुलिस द्वारा जो अच्छे काम होते हैं उनकी हम प्रशंसा करें ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले । साथ ही जो उनके गलत काम हों, उनकी हमें निन्दा भी करनी चाहिये ।

साथ ही मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे कान्स्टेबिल्स वगैरह, उनकी तनख्वाह बढ़ाना चाहिये । वे बहुत कम वेतन पाते हैं । उनको जो भत्ता मिलता है वह भी बहुत कम है । एक कांस्टेबिल को आप ८ आना रोज भत्ता देते हैं और बड़े आफिसरों को आप ज्यादा देते हैं । ८ आना रोज में वह क्या खा सकता है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि उनका भत्ता वगैरह भी बढ़ाया जाय ।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि पुलिस के छोटे कर्मचारियों के लिये मकानात भी होने चाहिये । एक कांस्टेबिल की तब्दीली तो कर दी जाती है, मगर जहां उसको भेजा जाता है उसको वहां पर रहने के लिये मकान नहीं मिलता है । उनके लिये मकान की उचित

[श्री एस० जी० दत्त]

व्यवस्था होना चाहिये । सब इंस्पेक्टरों के लिये भी मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये । उनको कोई मेडिकल सहायता नहीं मिलती । मेडिकल सहायता भी दी जानी चाहिये । कचहरियों में जो मुकदमें बहुत दिनों तक फैसल नहीं हो पाते, उससे मुल्जिमान को बड़ी परेशानी होती है । सरकार को कोशिश करना चाहिये कि मुकदमें जल्दी फैसल हों । यहां विरोधीदल के एक नेता कुछ कहते हैं, और दूसरे उसी नेता की मुखालिफत करते हैं, मैं समझता हूं यह डिसिप्लिन नहीं है । अगर डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, तो मिलिटरी से सीखें, और पुलिस से भी सीखें । डिसिप्लिन रखने के लिये यह जरूरी है कि मंत्री आदेश दें, या आई० जी० साहब आदेश दें, उसका पालन हो ।

मान्यवर, मैं अपने जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनियां में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां कि चोरी कत्ल वगैरह न होते हों, लेकिन हमारे कानपुर के अन्दर जो कि हमारे सूबे में सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी बहुत ज्यादा है वहां हम अपनी पुलिस के इन्तजाम से बहुत ही मुतमईन हैं, हमारे यहां के डी० आई० जी० साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एस० एस० पी० साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिटी के जो एस० पी० साहब हैं, वे भी बहुत तजुर्बेकार हैं । मैं उनकी तारीफ करता हूं । अगर मैं यह कहूं कि कोई खामी नहीं है, तो यह गलत होगा, हर एक आदमी में खामी भी है, और अच्छाई भी है । कभी कभी इन्सान गलती भी करता है, लेकिन जो इरादतन गलती हो, इरादतन किसी से बदला लेने की बात हो, वह बुरी बात है । एक चीज मेरे सामने कल आई, एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं, यहीं लखनऊ का किस्सा है । कभी कभी ऐसा होता है कि दरोगा लोग दुश्मनी की वजह से लोगों को नाहक फांस देते हैं, तो उनके नौकर को ६ बार फांसा और ६ बार वह छूटकर चला आया, अब उसने कहा उनसे कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको और सातवीं बार डकैती में रख दिया है । यह लखनऊ के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भी पता है । थानेदार के खिलाफ शिकायत हुई है और उसके बावजूद भी उसने ऐसा किया है । तो मैं कहता हूं कि पुलिस अफसरान इस पर तवज्जह दें कि अगर कोई थानेदार किसी दुश्मनी की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाये तो उनको चाहिये कि वह उसके खिलाफ कार्यवाही करें और उसको इन कामों के करने से रोकें ।

इस साल साढ़े सोलह करोड़ का बजट है, पिछले साल शायद १३ करोड़ का था, मेरा खयाल है कि इस बढ़े हुये रुपये को थाने की मरम्मत वगैरह में खर्च किया जायगा, क्योंकि बहुत से थानों की मरम्मत नहीं होती है, सफेदी नहीं होती है । आठ आने अगर किसी बड़े थाने की मरम्मत के लिये मिले जो कि अंग्रेजी जमाने से चला आ रहा है, तो यह कुछ उचित नहीं है, इसमें परिवर्तन करना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा देना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह बात निर्विवाद सत्य है कि कल्याणकारी राज्य में पुलिस के कर्त्तव्य और उसके उत्तरदायित्व बहुत बड़े होते हैं । यह एक ऐसा विभाग है जिसके जिम्मे इस प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था कायम करने का उत्तरदायित्व है । लेकिन यदि हम प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था की ओर देखें तो एक अराजकता की स्थिति आज उपत्पन्न हो गई है । पुलिस का रवैया अंग्रेजों के समय में जैसा था, आज १७ सालों के बाद भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब इस प्रदेश में पुलिस राज्य ही खड़ा हो गया है । जब मैं यह कहता हूं तो यों ही नहीं कहता, इसके कुछ आधार भी हैं । यह बात नहीं है कि हम विरोधी पक्ष के लोग ही इसके भुक्तभोगी हैं, बल्कि सरकारी पक्ष के लोगों ने भी ऐसी शिकायत की है । मैनपुरी जिले के एक माननीय सदस्य से यहां के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट यह कहते हैं, कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें कैरों का तिहास भूला नहीं होगा । अगर तुम ठीक से नहीं रहे, तो तुम्हारी भी वही हालत होगी,

जो कैरों की हुई । तो इस प्रकार से जब आदरणीय सदन के सदस्य आतंकित हैं, और वह यह कहते हैं कि इस राज्य की पुलिस हमारी रक्षक नहीं, हमारी भक्षक हो गई है, तो न निश्चित रूप से कहना पड़ता है कि पुलिस आज या तो भ्रष्टाचार का एक केन्द्र बन गई है या उसके जिम्मे जो कार्य है, उस कार्य से वह अनभिज्ञ सी हो गई है। मुझे दुःख इस बात का है, जब हमारे इस माननीय सदन में बोलते समय गृह मंत्री जी यह कहते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं, वह बाहर कहें, तो मैं देख लूंगा, तो इसके बाद जो पुलिस के कर्मचारी हैं, या अफसर हैं, उनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाता है । मैं समझता हूं कि यह कहना अनुचित न होगा कि जैसा इस प्रदेश का पुलिस मंत्री होगा, उसी प्रकार से उसकी पुलिस भी चलेगी । जनता से सम्पर्क की बात तो छोड़ दीजिये, मैं पुलिस कमेटी की बैठक में कई बार माननीय मंत्री जी के साथ रहा, कई बार मैंने उनसे कहा भी कि हमारे एस० पी० महोदय कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं ? वह बोले कि प्रति ३ महीने बाद मीटिंग करते हैं और जनता से सम्पर्क स्थापित करते हैं । मैं कहता हूं सम्पर्क करने की बात तो दूर रही, माननीय विधायक लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो लोग डकैती और चोरी में दिलचस्पी नहीं लेते, वह कभी भी उनके यहां जाते नहीं और कभी भी उन्होंने उनको देखा नहीं । मान्यवर, पुलिस विभाग के ऊपर माननीय मंत्री जी का आज इतना जबरदस्त होल्ड है कि पुलिस के लोग इस बात को कहते हैं, खुलेआम, हमारे जिले में और दूसरे पूर्वी जिलों में भी कि हम काम नहीं कर सकते जब तक कि मंत्री जी इस पद पर विराजमान हैं । और मैं आपको बताऊं जैसा कि पाण्डेय जी ने अभी कहा कि हमारे जिले के एक थानेदार की ईमानदारी के बारे में सन्देह नहीं किया जा सकता । एक जगह पर तेजाब डाल दी गई थी और उससे २ आदमी अस्पताल में जाकर मर गये । लिखित रिपोर्ट की गई और इनके लाडले जिला भ्रष्टाचार कमेटी के चेयरमैन साहब जब आये, २९–३० जून को नैनीताल में पुलिस कमेटी की मीटिंग थी, मैंने देखा कि घोड़े पर वे चढ़कर माननीय मंत्री जी के यहां जा रहे थे. . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

यह माननीय केशरीप्रसाद पाण्डेय जी की स्पीच जब हो रही थी, तब शायद आप थे, यह सब बातें वह कह चुके हैं ।

श्री जगन्नाथ राव—

नहीं, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने क्या किया । उन्होंने आकर उन से बात-चीत की, तो उस पर मन्त्री जी ने तुरन्त कहा कि मैं सी० आई० डी० के सुपुर्द करता हूं । मेरे कहने का मतलब यह है, यदि किसी भी काम को इन के दोस्त या इन के भ्रष्टाचार कमेटी वाले इन से कह देते हैं, यह तुरन्त उसको करते हैं । एक जगह पर मान्यवर, हमारे जिले में एक कत्ल हो गया और कत्ल होने के बाद इन के नेता आकर थानेदार से बोले कि इस में हमारे खास आदमी का हाथ है, इस तरह से तुम करो, इस पर थानेदार के कुछ कहने पर उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हिमाकत, तुम अपना बिस्तर बांध कर रखो और यहां से सवेरे तुम्हें जाना होगा । वह मुझ से मिले बस स्टेशन पर, बोले कि लखनऊ जा रहा हूं, उस के बाद मन्त्री जी के यहां से सीधे फोन पहुंचता है कि इस दारोगा का ट्रांस्फर कर दो, इसलिए कि वह झगड़ा करता है । पुलिस मन्त्री केवल मन्त्री ही नहीं हैं, बल्कि वह हमारे जिले में और पूर्वी जिलों में पुलिस अधीक्षक भी हैं और थाने के दारोगा भी हैं। वहां पर वह गाड़ियों को भी पकड़ते रहते हैं । तो इस प्रकार से पुलिस का जो शासन है, उस में पुलिस मन्त्री इस प्रकार से व्यक्तिगत तरीके से अपने साथियों को लेकर पुलिस को चलायेंगे तो इस प्रदेश की पुलिस का भ्रष्टाचार किसी रूप में कम नहीं हो सकता ।

आज माननीय सदस्यों को एक बड़ी चिन्ता है इस बात की है कि उनके जान-माल की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । हर नागरिक आतंकित है कि किसी भी समय उन के यहां डाका पड़ सकता है, बलवा हो सकता है । इस सदन के माननीय सदस्य भी इस बात के लिए बड़े

[श्री जगन्नाथ राव]

चिन्तित हैं कि किसी न किसी दिन और कभी न कभी कोई ऐसा दिन आ सकता है जब कि राजनीतिक हत्यायें हो जायं। आप इस विभाग को जब सम्भालते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि आप इस प्रदेश के पुलिस मन्त्री हैं। क्यों आप यह बात मन में रखते हैं कि आप जौनपुर के हैं? जौनपुर में जो आप करते हैं, वह आप के लिए शोभाजनक नहीं है। सारे प्रदेश में फैली हुई अराजकता, डकैती को आप दूर नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप पुलिस विभाग, जो अंग्रेजों के समय का है और जिस स्थिति में पुलिस विभाग को आपने रख रखा है, उसको अपने हाथ से किसी दूसरे को दे दें। यदि आप रखना चाहते हैं तो पुलिस के कार्यों को देखिये, उस के अच्छे कार्यों को भी समझने की कोशिश कीजिये, जो कर्मचारी ईमानदार हैं, उन की कद्र कीजिये। और अगर भाई बिरादरी, पट्टीदारी और रिश्तेदारी इस उच्च पद पर रह कर आप करेंगे तो सारे प्रदेश की जनता त्राण नहीं पा सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि इस विभाग में कुछ सुधार हो, तो क्रान्तिकारी पग उठाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सुधार हुआ था। लेकिन आज यह स्थिति है कि पुलिस विभाग का काम ही लोगों को आतंकित करना हो गया है इसलिए लोगों का विश्वास हो गया है कि उन की अस्मत किसी भी समय लूटी जा सकती है। यह आम धारणा जनता में बन गयी है। मैं चाहूंगा कि जनता की इन धारणाओं को, शिकायतों को दूर करने की कोशिश कीजिये। पुलिस के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए आवश्यक होगा कि इन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो और यह तभी हो सकता है जब कि स्वतन्त्रतापूर्वक इन्हें काम करने दें और उन के गलत कामों की आप देख-भाल करें।

अब एक बात मुझे पुलिस के छोटे कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना है। छोटे कर्मचारियों के लिए जो थानों में रहते हैं उन के लिए मकान की कोई व्यवस्था नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सिपाहियों के रहने के लिए कुछ मकान बनवा दें। इन को आपने साइकिल दी नहीं, आपने कहा कि साइकिल अलाउन्स देते हैं। इन की तनख्वाह थोड़ी होने के बाद भी सहानुभूति की कोई गुन्जाइश आप की तरफ से नहीं है। आप ने स्वयं स्वीकार किया है कि निरन्तर हमारे विभाग में पैसे की कटौती होती जा रही है। इसलिए पुलिस के रवैये को बदलने के लिए आप को निश्चित कदम उठाने चाहिये। इस पर आप विचार कीजिये और बुद्धिमान लोग आप को इस काम के लिए सुझाव देने के लिए मिल सकते हैं। आप कोई कमेटी मुकर्रर करें जो इस बारे में सुझाव दे। यदि आप चाहते हैं कि प्रदेश में कल्याणकारी राज्य स्थापित हो तो पुलिस के रवैये को आप को ठीक करना होगा। मैं कहता हूं कि जो सुविधायें उनको दी जा सकती हैं, दीजिये, हम को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका रवैया सेवक का होना चाहिये। इस के लिए जरूरी है कि पुलिस के कार्यों का रिओरियेन्टेशन कीजिये, ताकि प्रदेश की जनता को पुलिस पर विश्वास हो सके। यदि आप चाहते हैं कि पुलिस ईमानदार और अच्छी हो तो आवश्यक है कि जहां पर आप उनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं उसके पहले उन्हें १, २ वर्ष ऐसी शिक्षा दें, जिस से नैतिकता उनके जीवन में आवे, समाज की सेवा करने की भावना की प्रेरणा उन्हें मिले। अन्यथा जिस तरह से ट्रेनिंग दे कर जनता को तंग करने का रवैया तथा दृष्टिकोण उनका शुरू से बना दिया जाता है, उस से पुलिस को कभी भी जनता का विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता और प्रदेश में कभी भी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

श्रीमन्, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जब किसी विभाग का अनुदान प्रस्तुत किया जाता है तो उस के कार्यों की विवेचना और समीक्षा होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रजातन्त्र में बगैर इसके हम किसी भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग के कार्यों को या उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को नहीं समझ सकते। जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध है, मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस विभाग का नाम जैसे ही जबान पर आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दासता के युग का एक चिह्न हमारे समाज में आज भी बाकी है। श्रीमन्, समाज बदल गया, नागरिक बदल गये, जमीन बदल गयी, सब कुछ बदला लेकिन पुलिस विभाग जैसा अंग्रेजी हुकूमत में था आज भी वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इसलिए आवश्यक था कि जब देश में जनतन्त्र आया तो इसका नाम भी जन सुरक्षा दल या जन सेवक के नाम से होना चाहिये था ताकि जो अधिकारी हैं उन के दिल में सेवा की भावना जागृत होती, वे समझते कि हम जनता के सेवक हैं और अत्याचार करने वाले नहीं हैं।

करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है जो मन्त्री जी की निगाह में तो छोटा हो सकता है, लेकिन इस गरीब प्रदेश के लिए यह बजट छोटा नहीं है, उन कार्यों को देखते हुये जो पुलिस विभाग द्वारा किये जाते हैं। प्रजातन्त्र में हम पुलिस से आशा करते हैं कि वह सेवा की भावना से देश और जनता की सेवा करेगी। लेकिन जब उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तो मैं समझता हूं इस बड़ी रकम का सिवाय वेस्टेज के और कुछ अर्थ नहीं है। मैं तुलना कर रहा था अंग्रेजों के जमाने के तथा इस जमाने के पुलिस प्रशासन की। नाम वही है, वर्दी वही है, जो प्रशिक्षण है वह भी वही है, जो उन की मेन्टैलिटी है वह भी वही है और जनता के दिलों में जो भावनायें इस विभाग के बारे में अंग्रेजों के जमाने में थीं वह भी वही हैं। इन सब में कोई तब्दीली नहीं हुई।

आप को याद होगा कि हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने पुलिस के लिए कुछ शब्द कहे थे और सभी साथी जानते हैं कि पुलिस एक गिरोह है, कानूनी गिरोह है.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

वह एक्सपंज हो गये।

श्री सूबेदारसिंह––

उन को एक्सपंज करके हमारी सरकार और हम शान्ति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उनकी बातों में कितनी सत्यता थी इस बात को छिपाया नहीं जा सकता और आने वाली जेनेरेशन उन शब्दों को ऐतिहासिक रूप में मानेगी और आदर करेगी। श्रीमन्, जब तिलक पर अभियोग हो रहा था और अंग्रेज न्यायाधीशों के सन्मुख जब वे प्रस्तुत थे तो उन्होंने यह वाक्यांश कहा था अंग्रेज शासकों के लिए अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए––"यू आर दि प्रासीक्यूटर, यू आर दि जज, ऐन्ड यू आर दि जेलर'। वही बात आज हम पुलिस वालों के लिए कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने इस उद्धरण के लिए श्रीमन्, आप के सामने कुछ केस, कुछ मामले और कुछ घटनायें जो हुई हैं, जो मेरी जानकारी में हैं, उन को प्रस्तुत करना चाहता हूं, हालांकि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करना चाहता था, मगर घटनाओं से सम्बन्धित कोई बातें हों जो किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप की भी हों तो मुझे आशा है कि आप क्षमा करेंगे। श्रीमन्, आपके प्रजातन्त्र में जिसे हमारे मन्त्री जी समाजसेवी पुलिस बतलाते हैं, हमारे एक साथी श्री बलबीर सिंह, जो जसराना तहसील, जिला मैनपुरी के हैं उनके यहां के पुलिस के बड़े दारोगा ने एक सभ्य नागरिक के मुंह में पेशाब की धार मारी। (विपक्ष की ओर से "शेम शेम" की ध्वनि) जब वहां के नागरिकों ने माननीय उप मन्त्री श्री शिव प्रसाद जी से शिकायत की तो उन्होंने आई० जी० से कहा। आई० जी० ने उस पर कहा कि यह बात गलत है। श्रीमन्, हम लोग जो आंखों से देखते हैं उन की बात तो झूठी है और यहां के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यह बात झूठी है.....।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)––

क्या आपने स्वयं देखा ?

श्री सूबेदारसिंह--

श्रीमन्, मैंने देखा नहीं परन्तु मेरे और साथियों ने बतलाया।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, मुझे सम्बोधित करें। आप सब स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उस बीच क्या माननीय मन्त्री जी को अधिकार है कि वे उनको धमकावें?

श्री अधिष्ठाता--

आप इसे ही अगर धमकाना कहते हैं तो यह उचित नहीं है।

श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)--

श्रीमन्, जो प्रमुख आदमी मौजूद थे, वे डिप्टी मिनिस्टर के पास आये। आज तीन महीने का समय हो गया उस घटना को, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस से ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, प्रजातन्त्र में हर बात की उपेक्षा पासिबिल है। इस में फिर क्या आपत्ति है?

श्री अधिष्ठाता--

पालीवाल जी, आपको तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? माननीय सदस्य आप अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री सूबेदारसिंह--

श्रीमन्, मैं दूसरी घटना मैनपुरी जिले के रोज थाने की प्रस्तुत कर देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप इस बात का ध्यान रखें कि आप दो मिनट ही बोल सकते हैं।

श्री सूबेदारसिंह--

श्रीमन्, दो तीन व्यापारियों की हत्या पुलिस अधिकारियों द्वारा कर दी गयी थी। पुलिस ने उनको यह बतलाया कि ये डाकू हैं और उन्हें ए काउन्टर में मारा गया है। तो इस प्रकार की घटना हुई थी। श्रीमन्, मैं इसी तहर से फर्रुखाबाद जिले की भी एक घटना प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां एक छिबरामऊ थाना है। वहां डकैत प्रताप सिंह की हत्या हुई थी। वहां की पुलिस उस डकैत से डकैतियों को कराया करती थी। जब वह अलग हो गया तो उसे पकड़ा। और इसलिए मार डाला कि वह सब हमारी कार्यवाहियों को खोलेगा। श्रीमन्, ऐसा भी बताया जाता है कि उस के पास तीस हजार रुपया था और वहां फर्रुखाबाद जिले के एस० पी० और वहां के दारोगा ने उस रुपये को हड़प लिया और इस तरह की वीरता प्रदर्शित करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा, वहां की पुलिस द्वारा यह डकैत का मर्डर रिकमेन्ड हुआ है। श्रीमन्, महमूदाबाद की एक घटना भी गृह मन्त्री के सन्मुख आयी होगी। उस पर पता नहीं, क्या जांच हुई? उस के सम्बन्ध में भी हम लोगों ने आप से प्रार्थना की थी। पुलिस के बारे में मैंने अपनी घटना रखी और वह स्वीकृत होकर प्रिविलेज मोशन के रूप में विचार में है। उस के बाद वहां के एस० पी० की प्रतिक्रिया क्या हुई? उस ने वहां पर कहा था कि देखिये,

एम० एल० ए० को जवाब कैसे मिलता है और देखें कौन बचाता है। आज भी दमन-चक्र वहां के एस० पी० का चल रहा है। उसने न जाने कितने डकैतों को पनाह दी है। उसकी रोजाना की खूराक है ४ बोतल शराब और ४ मुर्गी, ६ महीने में उसने २ कारें अपनी निजी प्रापर्टी के रूप में खरीदी हैं। इसकी जांच होनी चाहिये। मन्त्री जी ने कहा कि न्यायालयों में दण्ड का हाई रेट है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह केवल इसीलिए है कि जुडिशियरी को भी पुलिस वालों का डर रहता है। आपने सुना होगा कि कहीं मैजिस्ट्रेट के यहां चोरी होती है, कहीं न्यायाधीश के यहां होती है। इन सब में पुलिस अधिकारियों का हाथ रहता है।

*श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने, जैसे पहले साल किया वैसे ही, पुलिस विभाग की तारीफ की। मैं उनका ध्यान पड़ोस के प्रदेश, मध्य प्रदेश, के चीफ मिनिस्टर के भाषण की ओर दिलाऊंगा, जो अभी उन्होंने १७ तारीख को मध्य प्रदेश की विधान सभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की पुलिस का डाकुओं से गठबन्धन है और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डाके डाले हैं। हमारे मन्त्री जी को चाहिये था कि पुलिस की तारीफ न कर के इस्तीफा देते कि मैं बजट पेश करते हुए इस्तीफा देता हूं। आज उत्तर प्रदेश की तराई के इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम और गांजे का नाजायज व्यापार होता है, जिस में पुलिस का हिस्सा होता है। मन्त्री जी ने कहा कि क्राइम में इजाफा हुआ है। डकैती, सन् १९६३ में १,८०० और १९६४ में २,१४२ हो गयी। अगर इस पर वह गर्व करते हैं तो उस से बढ़कर बुरी और शर्म की बात और क्या हो सकती है? आज प्रदेश में ब्लैक करने वालों को पूरी छूट है, कोटा परमिट बेचने वालों को खुली छूट है। किसी को पकड़ा नहीं गया है। एक बात मन्त्रीजी ने जरूर की कि उन लोगों की हिफाजत की है और जन-सेवी उन कार्य-कर्त्ताओं को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया है जिन्हें आप साम्यवादी के नाम से पुकारते हैं। अगर मन्त्री जी में हिम्मत है तो जिनको उन्होंने बिना कसूर बन्द किया हुआ है उनके ऊपर खुला मुकदमा चलावें, कि तुम्हारे ऊपर यह इलजाम है। मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुन कर आया हूं। मैं इस्तीफा देता हूं, या मन्त्रीजी इस्तीफा दें, और उनका ट्रायल करायें। आपने उन्हें इसलिए बन्द किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी आप की गलत बातों को बरदाश्त नहीं करती है। १३ तारीख के सरकारी गजट में लिखा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का श्री उमाशंकर सिंह, आत्मज श्री जमादार सिंह, निवासी हरपुर, पुलिस स्टेशन बांसडीह, बलिया, के सम्बन्ध में यह समाधान हो गया है कि उन्हें ऐसी रीति से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से, जो भारत सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए हानिकर हो, निरुद्ध करना आवश्यक है। उन्होंने शक के ऊपर पकड़ा है। मन्त्री जी, वे कौन से आरोप हैं? उन्हें वे साबित करें। आज असेम्बली का सेशन चलते एक महीना हो गया है। कौन सी आपकी श्री छांगुर राम के ऊपर शंका है? उनकी फेमिली की उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाती है। चूंकि वे लोग अपोजीशन के हैं, आप की बातों का विरोध करते हैं, इसलिए आप उन्हें बन्द किये हुये हैं। एक आदमी जो जनरल असेम्बली में हार जाय और इन्डाइरेक्ट तरीके से चुनकर आवे, वह तो मिनिस्टर बनता है और उसे बन्द रखा जाय जो जनता द्वारा चुनकर आया है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। माननीय नन्दा जी ने आरोप लगाये कि चीन का साथ देने वाले थे। यह २ जनवरी का हिन्दुस्तान अखबार है। इसमें लिखा है कि सरकार को उलटने के लिए वामपक्षी साम्यवादी नेता अपने आप सदस्यों को देश के अन्दर सशस्त्र क्रान्ति के लिए और छापामार युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यानी सरकार को यह विश्वास करने के कारण हैं कि वामपक्षी भारतीय साम्यवादी दल पेकिंग की प्रेरणा से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

स्थापित किया गया है। मैं भी उसी पार्टी का हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण हैं, जिनसे आप का यह यकीन या शुबहा हुआ कि हम सशस्त्र युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह किस मीटिंग में हमारी तय हुआ? कहां हुआ? नन्दा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एक दल ऐसी हरकत कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों वे ओपेन ट्रायल से घबराते हैं। चीन के सवाल को आप बार-बार उठाते हैं, लेकिन इसे आप क्यों नहीं कहते कि जब आपने राज्य की बाग-डोर सम्भाली उस समय ३ सेर का अनाज था और अब १३, १४ छटांक का है? क्या यह शर्म की बात नहीं है? अगर आप के अन्दर जुर्रत है तो आप खुली अदालत में ट्रायल कराइये। आप के कदम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। यह जनतन्त्र के लिए खतरा है। आप पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते जिस ने हजारों मील जमीन पर काश्मीर में कब्जा कर रखा है और हमारी सीमाओं पर रोजाना झगड़ा करता है, डंगर चुराकर ले जाता है। उनसे एक टेबिल पर बैठकर आप के चीफ मिनिस्टर और सेन्टर के मिनिस्टर बातें करते हैं लेकिन चीन से बात करते आपको डर लगता है, झिझक होती है। यह किस बात का सबूत है? (व्यवधान) हम उससे भी बातचीत करना चाहते हैं, चीन ही नहीं चाहता, यह आप गलत कहते हैं। मैं आपसे यह कह रहा था कि एक ओर तो आप पाकिस्तान से बातचीत करते हैं और दूसरी ओर चीन से बात नहीं करना चाहते और यहां कुछ लोगों के लिए आप कहते हैं कि उनको चीन से प्रेरणा मिलती है। आपके पास इसका क्या सबूत है? अगर आप के पास कोई डाक्युमेंटरी प्रूफ है तो उस को सामने क्यों नहीं लाते? उनके खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं? अगर है तो अदालत में उन के खिलाफ मुकदमा चलाइये और सजा दिलाइये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप के पास उनके खिलाफ कुछ नहीं है। एक माह हो गया लेकिन आप उनके खिलाफ कोई चीज ला न सके। यह पेपर शाया किया गया है उसमें आपने यही कहा है कुछ लोग सशस्त्र क्रान्ति करने वाले थे, लेकिन उसके फेवर में आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। कोई दूसरा स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया गया। सिर्फ यह कहा गया कि जेड०ए० अहमद, डांगे और फलां-फलां ने फलां-फलां जगह ऐसा-ऐसा कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ आप के पास क्या प्रूफ है जिसकी बिना पर उनको आप ने बन्द कर के रखा है? आपने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया और उस के खिलाफ सारे देश ने आवाज उठायी कि यह बिलकुल गलत है। आज तक साबित नहीं किया गया कि उन के खिलाफ क्या चीज थी। हिन्दुस्तान के सारे पेपर्स ने यह कहा कि सरकार का यह कदम गलत है। अगर आप सही कहते हैं तो आप को इसका पूरा सबूत देना चाहिये।

(इस समय १ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मैं अन्त में इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह समझती है कि उनके खिलाफ उस के पास कुछ है तो अदालत में मुकदमा चलाये, वरना जितने लोग आपने गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दिया जाय। आप ने शिव वर्मा जैसे लोगों को जेल में डाल रखा है जिन्होंने भगत सिंह के साथ काम किया और २० साल की जेल काटी। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से मतालबा करूंगा कि वह मेरे विचारों पर गौर करके उन लोगों को छोड़ दें।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने जो तथ्य प्रस्तुत किये उनसे पता चलता है कि उनके पास कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिए कोई तथ्य नहीं थे, क्योंकि पुलिस संगठन के बारे में, उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यावधि के बारे में, अपराधों के बारे में, सरकार की क्या नीति होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई बुनियादी बात या कोई ठोस आधार अपने कथन में नहीं बताया। उन्होंने माननीय मन्त्री जी को निजी तौर पर सम्बोधित करते हुये कुछ आरोप लगाये, कुछ लांछन इस असेम्बली में लगाये। असेम्बली में हम सब कुछ बातें कह सकते हैं। उन कही हुई बातों पर साक्ष्य में जाने, कोई ऐक्शन लिये जाने आदि सब प्रकार की जिम्मेदारियों से हमें मुक्त रखा गया है। इसलिए हम यहां कोई भी बात कह सकते हैं।

श्रीमन्, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम अपने हृदय में या अपने मस्तिष्क में किसी बात को सच समझते हैं तो उसे देश का प्रदेश के नागरिकों के सामने प्रकाश में लायें। अगर अपराध बढ़े हैं तो कानूनी तौर से अदालत के सामने या बाहर पुलिस के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने या पत्रों द्वारा खुले तौर से सारे तथ्य जनता के सामने आ जाने चाहिये। अगर कोई व्यक्ति जान बूझ कर भी इसे नहीं करता और केवल मनगढ़न्त बातों के आधार पर ही मन्त्रि-मण्डल के किसी एक मन्त्री की शिकायत या किसी एक मन्त्री की प्रशंसा करता है तो यह सही नहीं कहा जा सकता। मन्त्रि-मण्डल का संयुक्त दायित्व होता है, उससे किसी मन्त्री का अलग करके किसी की प्रशंसा करना और किसी की बुराई करना ठीक नहीं है। अगर इतना भी किसी माननीय सदस्य को न मालूम हो तो उन की बुद्धि के लिए मैं क्या कहूं। उनको समझना चाहिये कि चाहे मुख्य मन्त्री हों, चाहे वित्त मन्त्री हों, चाहे विकास मन्त्री हों, उन में किसी एक मन्त्री की प्रशंसा करना या किसी एक मन्त्री की निन्दा करना, सारे ही मन्त्रिमण्डल या सरकार की प्रशंसा करना या निन्दा करना होता है। और इस तरह से सारी बातों का उत्तर सरकार ही देगी।

अपराध वृद्धि के सम्बन्ध में माननीय पुसिल मन्त्री जी ने कुछ आंकड़े रखे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि अपराधों में वृद्धि हुई है। जैसे डकैती बढ़ी है, चोरी बढ़ी है, बलवे हुये हैं, राजनीतिक उपद्रव सम्बन्धी जरायम की भी तादाद भी बढ़ी है, जिसका उत्तरदायित्व गांव की लीडरशिप पर आता है। इसमें कोई शुभ या अशुभ की बात नहीं है, लेकिन यह एक संक्रमण-काल है, जिसमें पहले जहां एक व्यक्ति की लीडरशिप थी वहां अब पंचायतराज सामूहिक रूप से लोगों के हाथ में आया है जिससे जनता में कुछ जागृति आयी है और इस बीच में तमाम तरह के अपराधों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। जब पंचायत राज जनता के हाथों में आ रहा है तो उस की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि गांव की लीडरशिप में कुछ लोग अपने दूषित मन्तव्य को सिद्ध करने के लिए भी सामने आ जाते हैं, तो जाहिर है कि इस से अपराधों में वृद्धि होगी। कहीं राजनीतिक उपद्रव होते हैं, कहीं भूख हड़ताल सम्बन्धी उपद्रव होते हैं, और भी अन्य तरह-तरह के उपद्रव आन्दोलन होते हैं, उन सब की पृष्ठभूमि केवल यही है कि दूषित मनोवृत्ति वाले लोग किसी न किसी बहाने सरकार का विरोध करना चाहते हैं और करते हैं।

कनविक्शन के आंकड़ों का जहां तक प्रश्न है, यह कहा गया कि उनकी तादाद बहुत कम है। इसका कारण यह है कि पुलिस की विवेचना करने वाले और कनविक्टिंग अथारिटी के संगठन का आज काफी फैलाव व विस्तार है तथा आज लोकतंत्र में जनता के अन्दर ऐसी भावनाओं का भी काफी विकास हो गया है कि जिस अपराध को वे पहले चुपचाप सहन कर लेते थे उसे अब बर्दाश्त नहीं करते तथा उसे अब सामने लाते हैं, जिस चीज को बतलाने में वे पहले हतक इज्जती समझते थे उसे अब बतलाने में संकोच नहीं करते, तो इस तरह से इस लोकतांत्रिक युग में बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं, इससे भी अपराध वृद्धि की संख्या अधिक दिखलायी पड़ती है। यह केवल आज जनता की भावनाओं में परिवर्तन हो जाने का ही नतीजा है, लेकिन अभी उसके अनुरूप पुलिस प्रशासन का विस्तार नहीं हुआ है। उसका संगठन कमजोर है, न वहां संख्या ही काफी है और न विभाग का बजट ही इतना काफी है कि उससे आज की परिस्थिति में काम चलाया जा सके। यह बहुत बड़ा प्रदेश है उसके लिए एक सुसंगठित, विस्तृत विभाग की आवश्यकता है ताकि वह एक आदर्श रूप में काम कर सके। अब जनता में भावनाओं की अभि-व्यक्ति की शक्ति आई है और शिकायतें और अपराधों की अभिव्यक्ति अब पहले से कहीं अधिक

[श्री बेचनराम]

होती है। आज की आर्थिक व्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस संगठन विशाल हो, विस्तृत हो, जो पूरे तौर पर कंट्रोल कर सके और आज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर काबू पा सके। आप को पुलिस बजट को बढ़ाना होगा और जो न्यूनतम वेतन है उस को बढ़ाना होगा, उनको सीक्योरिटी आफ सर्विस देना होगा ताकि वह लोग बिना किसी परेशानी के ईमानदारी से काम कर सकें और उन को मौका हो कि वह मेहनत से और एक शानदार तरीके से, सच्चाई से विभाग के कार्य का संचालन कर सकें। केवल उसी हालत में हम उन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह ईमानदारी से मेहनत से काम करेंगे जब हम उन को उचित वेतन और उन की जरूरतों भर पारिश्रमिक दें।

इसके अलावा जो हमारा मौजूदा कानून है, सी० आर० पी० सी०, उसमें भी बहुत कुछ संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता है, विशेषकर जो साक्षियों के विषय में व्यवस्था है उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। आज हमें जनता का सहयोग नहीं मिलता और इसलिए कनविक्शन नहीं हो पाता और केस छूट जाते हैं। कोर्ट आफ ला में, कानून में कुछ ऐसा है कि साक्षी के न मिलने पर कुछ नहीं हो पाता और लोग साक्ष्य नहीं देते और मुकदमें अक्सर फेल हो जाते हैं और इस दिशा में जनसहयोग की बहुत आवश्यकता है। जब हमारी यह व्यवस्था ठीक हो तभी हम आज की परिस्थिति में और बढ़ते हुए क्राइम्स का मुकाबला कर सकते हैं। अभी इन प्रवत्तियों में हमारी जनता में भी कमजोरी है कि वह सहयोग दे। आज की आर्थिक समस्याओं में और नई व्यवस्थाओं में जो हमारे सार्वजनिक जीवन की नई नई समस्यायें हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थायें बदल रही है, उनमें हमें सब चीजों को एक नये दृष्टिकोण से देखना होगा तभी हम पुलिस से आशा कर सकते हैं कि वह आदर्श पुलिस साबित हो।

आज सामाजिक न्याय जनता को मिले इसकी बहुत आवश्यकता है। मात्स्य न्याय के अनुसार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। अगर बलवान से निर्बल का झगड़ा होता है तो निर्बल ही सताया जाता है। इसके विरुद्ध हमें हर कमजोर आदमी तक न्याय पहुंचाना है और इस दिशा में जो हमारे मौजूदा कानून हैं उनको भी हमें कार्यरूप में परिणत करना है; जैसे हमारा अस्पृश्यता निवारण कानून बना हुआ है, अनटचेबिलिटी का कानून बना हुआ है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह पुलिस फोर्स को इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग दें कि वह ऐसे केसेज में अच्छी तरह से कार्य करें ताकि जो पिछड़े हुए हैं, जो कमजोर हैं उनको सामाजिक न्याय मिल सके। जो पीड़ित हैं और जिन को आप ने अपने कानून में संरक्षण दिया है, नौकरियों में भी १८ प्रतिशत का संरक्षण दिया है वह पूरा किया जाय। पुलिस संगठन में भी जो बड़े-बड़े पद हैं जैसे आई० जी, डी० आई० जी०, आदि के वह जब तक इन निम्न श्रेणी के लोगों को नहीं दिये जायेंगे तब तक वास्तविक सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जब तक पुलिस मंत्री हरिजन नहीं होगा, यह समस्यायें हल नहीं होंगी।

(श्री लखपतराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने श्री लखपतराम शर्मा को बुलाया है।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो १६,४६,२९,७०० रुपये का पुलिस बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसी के समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, जिस प्रकार किसी सेना के अधिकारी का असर उसकी सेना पर पड़ता है ठीक उसी प्रकार से राजा का असर उसकी प्रजा पर पड़ता है। मुझे माननीय मंत्री जी के एक उत्तर को सुनकर, जो उन्होंने एक माननीय सदस्य के प्रश्न में दिया था, अत्यन्त दुख हुआ। प्रश्न यह था कि क्या कुछ भूतपूर्व मंत्रियों पर पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है या नहीं? अगर माननीय मंत्री जी यह कहते कि गोपनीय है तो भी कोई बात थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी चीज नहीं, कोई बात नहीं है। जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान अखबारों की ओर गया है जिसमें यह छपा है कि कुछ भूतपूर्व माननीय मंत्रियों की पुलिस द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है तो भी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मुझे उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के अखबारों से सी० आई० डी० या संबंधित विभाग कटिंग काट कर माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाते हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा का प्रबंध हो और माननीय गृह मंत्री जी को इस बात का पता न हो? इसका असर हमारे आम कर्मचारियों पर पड़ता है जब कि हमारे गृह मंत्री जी ही इस प्रकार के उत्तर देते हैं।

एक और घटना, श्रीमन्। मैं माता टीला बांध के संबंध में निवेदन कर रहा हूं। माता टीला बांध के संबंध में मैंने कई रिपोर्ट्स माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को दीं लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैंने स्पष्ट रूप से शिकायत की थी कि फलां फलां सामान अमुक अमुक स्थान पर मिल सकता है और वह पकड़ा जा सकता है। मैंने कई बार इस विषय के संबंध में बात चीत भी की पर मुझे बताया गया कि मामला सतर्कता पुलिस को दे दिया गया है। आपकी सतर्कता पुलिस जब ६ महीने में कोई इन्क्वायरी नहीं कर सकती है, कोई रेड नहीं कर सकती है तो फिर सबूत कैसे मिलेगा? जब मैं माननीय मंत्री जी से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या यह भी आपने लिखा कि यह सामान यहां यहां पकड़ा जा सकता है, तो मैंने यह भी कहा कि यह सब चीज मैंने लिखी हैं, तो माननीय मंत्रीजी ने बताया कि मैंने उसको पढ़ा नहीं। श्रीमन्, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में जिसमें करीब एक करोड़ का कोष यदि बारीकी से व तहसील से जांच की जावे तो गड़बड़ियां मिल सकती हैं, उन्होंने बिना पढ़े ही भेज दिया। इससे भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब उन्होंने यह कहा कि उन्होंने बगैर पढ़े ही भेज दिया। मैं व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं करता लेकिन ऐसे मामले देश की जम्हूरियत को जहन्नुम में ले जायेंगे।

इस माननीय सदन में एक कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य ने यह कहा था कि अमुक ३ आदमियों को पुलिस ने पुरस्कार लेने के लिए उठा लिया और उन्हें पेड़ों से बांध कर गोली से मार दिया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर साधारण आदमी इल्जाम लगाता तो कौन पूछता? जबकि सदन का एक माननीय सदस्य यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाये कि फलां फलां मौके पर, फलां फलां स्थान पर पुरस्कार पाने के लिए ३ आदमियों को गोलियों से उड़वा दिया तो कितने पुलिस के कर्मचारी आपने गिरफ्तार किये, कितनों को न्यायालय को सुपुर्द किया गया? भोपाल के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश के अन्दर डकैती डालती है। यह सही है। मैं झांसी का रहने वाला हूं। वहां पर मिलिटरी और पुलिस के कर्मचारी डकैतियां डाल रहे थे। कुछ दिन हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि हमने १३-१४ डकैतियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डाली हैं। यहां के मिलिटरी के सिपाही सरकारी बंदूकों और गाड़ियों से डकैतियां डाल रहे हैं। एक पुलिस के अफसर हैं उनका लड़का भी डकैती में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी का वारंट हुआ लेकिन आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ। यह सत्य है कि वहां के कप्तान पुलिस द्वारा वक्त पर गिरफ्तारियां कर ली गईं। श्रीमन्, मैं समझता हूं

[श्री लखपतराम शर्मा]

कि अगर देश में प्रजातंत्र को कायम रखना है तो हकूमत का इकबाल रहना लाजमी है। इसी से प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। आप और हम दोनों मिलकर उसको सुचारु रूप से चलायें।

गांवों की सुरक्षा के लिए चौकीदार दे रखे हैं, पर उन चौकीदारों को आप क्या दे रहे हैं? आप उसको ३ रुपये से लेकर ५ रुपये तक ही तनख्वाह देते हैं। यह सही है कि आप ईमानदार आदमी की कद्र करना नहीं जानते हैं। जो भ्रष्ट कर्मचारी आपके विभाग में हैं वे इसलिए जिन्दा हैं कि उनकी सिफारिश होती रहती है और आप उसको सुनते हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं तो बहुत से माननीय सदस्यों ने अपना यह पेशा अख्तियार कर रखा है कि उनकी वे जाकर सिफारिश करते हैं थानेदार से। मैं यह जानना जाहता हूं कि उनका थानेदार से क्या संबंध है? माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, उनको इस तरह से सिफारिश नहीं करनी चाहिए।

श्रीमन्, मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की पुलिस के अन्दर जरूर कोई न कोई खराबी है। आज आम जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ गया है। गांव के लोग कहते हैं कि अगर किसी के यहां डकैती पड़ती है तो थानेदार सब से पहले वहां जाकर कड़ाही चढ़वाता है, जिसके यहां कत्ल होता है उसके यहां खाना खाता है। मैं इसका जवाब श्रीमन्, आपके मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अगर आपकी पुलिस ज्यादा खराब नहीं है तो उसकी बुराई क्यों की जाती है? आज सब लोग सी० आई० डी० की क्यों तारीफ करते हैं और लोग उसका क्यों विश्वास करते हैं, सदस्य क्यों उसकी तारीफ करते हैं और सब लोग क्यों कहते हैं कि संगीन मामले सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिये जायं? जितनी भ्रष्ट आपकी पुलिस है उतनी सी० आई० डी० नहीं है। आपकी सिविल पुलिस के तौर तरीके अच्छे नहीं रहे हैं और आम जनता का उस पर से विश्वास उठ चुका है, यह आपको मानना पड़ेगा।

श्रीमन्, यह कहा गया कि अदालतों से पुलिस के बहुत से मुकदमे छूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत से संगीन मामलों में निरपराध लोगों को पुलिस द्वारा फांस दिया जाता है। इसलिए जरा से शक होने पर ही अदालत से आदमी छूट जाता है। आप अदालतों के फैसले देख लीजिए तो मालूम होगा कि पुलिस निरपराध लोगों को फांसती है। अगर आप इसमें संशोधन चाहते हैं तो यह होना चाहिए कि अगर अदालत में निरपराध लोगों को फंसा दिया जाता है तो आपको उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन लोग सिफारिश करने के लिए चले जाते हैं और उनकी बात आपको सुननी पड़ती है।

श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि आज आपकी पुलिस जनता में बहुत बदनाम हो चुकी है। जो विभाग जनता का विश्वास खो चुका है वह जनता पर शासन नहीं कर सकता है, इसलिए सी० आई० डी० का स्टाफ बढ़ाया जाय क्योंकि उसके ऊपर लोगों को नाज है। आप पुलिस के कर्मचारियों को मिलिटरी में तब्दील कर दीजिए और मिलिटरी के सिपाहियों को इंतजाम सुपुर्द कर दीजिए। इससे इंतजाम ठीक होगा और जनता की सुरक्षा का इंतजाम भी अच्छा होगा।

श्रीमन्, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कत्ल, डकैती और राहजनी के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां पुलिस किस काम आयेगी अगर डकैतियों की समस्या हल नहीं कर सकती है। आज बुंदेलखंड में सुरक्षा से रहना मुश्किल हो गया है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, दिन दहाड़े लोगों का अपहरण हो जाता है और लोगों को गोली का शिकार कर दिया जाता है। लेकिन आप हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप डाकुओं से जनता की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो प्रदेश के हित में यह अच्छा होगा कि आप हमारे यहां का इंतजाम मिलिटरी के सुपुर्द कर दें या वहां की जनता को मध्य प्रदेश में जाने दें। वहां की पुलिस डाकुओं से जनता की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझती है।

श्रीमन्, आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि जनता के हित में यह जरूरी है कि कितना ही आपका हितैषी सिफारिश करने वाला क्यों न आये, आप उसको सी० आई० डी० को बुलाकर

गिरफ्तार करवा दीजिए। अगर आपको प्रदेश को जिन्दा रखना है, अगर आपको मानवता को जिन्दा रखना है तो सिफारिश करने वालों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाय, चाहे वह बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो या कोई विधायक हो। आपकी जिम्मेदारी इस सूबे की रक्षा करने की है। इसलिए आपको ऐसे कार्य होने चाहिए जो अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बन सकें। दुनिया से हर इंसान को एक दिन चला जाना है, किसी को रहना नहीं है। इसलिए आपके काम इतने सुन्दर होने चाहिए जिससे जनता के ऊपर असर पड़े। जैसा कि माननीय मायर साहब ने कहा था और यह सही भी है, मैं भी एक दो बार मंत्री जी के पास गया तो जो उनका तौर तरीका व व्यवहार है, वह हमने कहीं नहीं देखा और बड़ी बेरुखी पाई। ऐसा व्यवहार डाकुओं और कातिलों के साथ होता है, इससे न प्रदेश जिन्दा रहेगा और न मानवता जिन्दा रहेगी। मैं समझता हूं इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ यह अच्छी चीज नहीं है।

†श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सामने पेश है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अभी विरोधी पार्टियों के नेताओं के भाषणों को बड़े गौर से सुन रहा था। उसमें मैं देख रहा था कि वह कोई रचनात्मक सुझाव भी देते हैं या सब विध्वंसात्मक बातें ही करते हैं। इसके पहले ही अभी अनुदान पेश करते हुए जिस स्पष्टता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को मंजूर किया था कि बहुत सी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वह पुलिस में ठीक ठीक दर्ज नहीं की जाती हैं उसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने जिस राजपूतानी शान से उसे माना है, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जहां तक पुलिस का संबंध है, उसने कुछ ऐसे उत्तम काम भी किये हैं, जिनके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हर बात में आप उसकी आलोचना करें, उसको बुरा बतायें, यह ठीक नहीं है। जो काम अच्छे हैं उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छे कामों के लिए उनको दाद दें, उनकी तारीफ करें तभी वह अच्छा काम कर सकेंगे।

आप यहां आते हैं, जिम्मेदारी के साथ आप यहां आते हैं। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वकालत करते हैं उन लोगों की, उनकी हिमायत करते हैं, जो देशद्रोह के अपराध में बन्दी किये गये हैं, जिनके खिलाफ इस बात के आरोप हैं कि वे चायना से संबंधित हैं, उनकी मदद करते हैं, और चीन को इस देश की गुप्त खबरें देते हैं। एक आदमी चोरी करे और सब लोग जानते हैं कि यह बदमाश है, चोर है, इसका चालचलन ठीक नहीं है, लेकिन उसको सजा न दिलवाई जाय, ऐसे भी अवसर होते हैं। लेकिन आज जो ऐसे लोग उनका समर्थन करते हैं, यह इसी देश में संभव है और अन्य किसी देश में नहीं है कि ऐसे देशद्रोही लोग इज्जत और शान के साथ रह सकते हैं। एक बात मैं आपसे कहता हूं, उनके साथ जिनकी कार्यवाहियां समाज के लिए घातक थीं, विघटनकारी लोग थे, उनको बन्द किया गया तो यह काम सरकार ने प्रशंसनीय किया है और इसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इस सरकार ने जहां कुछ काम किये हैं वहां मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस के बड़े बड़े अफसरों में कुछ दोष और कमियां भी हैं। इस पुलिस विभाग में कुछ अफसर ऐसे हैं जिनके ऊपर खुल्लमखुल्ला इस प्रदेश की जनता का आरोप है कि यह पब्लिक के दलाल हैं और पब्लिक से रुपया लेकर सरकार का मुकदमा खराब कर देते हैं और बड़े बड़े संगीन मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। मैंने, इस संबंध में पारसाल एक का नाम भी जिक्र किया था, आई० जी० महोदय ने उसका नाम भी नोट किया था, और यह भी माना था कि वह आदमी ठीक नहीं है लेकिन वह अब भी उसी तरह से बरकरार है। सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उनके लिए मैं उसको बधाई अवश्य दूंगा।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द पाण्डेय]

आपने प्रशासन में काफी सुधार किया है। आपके उपमंत्री महोदय ने अचानक थानों पर धावा बोलकर इस सूबे में सरकार की साख को कायम किया है। इसके लिए वे बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज यह कहा जाता है कि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और घटनायें घट रही हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इतने जन प्रतिनिधि यहां पर हम लोग आते हैं, अगर ईमानदारी से हर पार्टी के लोग इस बात का निश्चय कर लें कि किसी गलत आदमी का समर्थन नहीं करेंगे तो बहुत सी घटनायें रुक सकती हैं और समाज का काम व्यवस्थित ढंग से चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी जब यहां पर सत्याग्रह चला तो उसमें बहुत से इस तरह के लोग भी आये जो डकैती और कत्ल करने वाले लोग थे और जिनको पुलिस तलाश कर रही थी किन्तु उनको लोगों ने संरक्षण दिया।

एक घटना मैं अपने जिले की भी बतलाऊं और जिले की तो मुझे मालूम नहीं है। अपने जिले कानपुर के संबंध में यह बात कह सकता हूं और मजबूती के साथ कह सकता हूं कि हमारे जिले में, हमारी तहसील में एक गांव है बनीपारा, वहां पर एक बहुत बेहूदा घटना घटी। एक आदमी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके साथ ही उसको गोली से मार दिया, लेकिन उसकी जमानत समाजवादी दल के एक आदमी ने अपनी जायदाद से दी। इस तरह से यदि मदद करते हैं तो इस तरह की घटनायें रुकना कठिन है। इसी तरह से हमारे जिले में कुछ डकैत पकड़े गये। उन लोगों ने यह बयान दिया है कि एक ठाकुर साहब की बंदूक उस काम में लाई गई है। उस मामले में अभी जांच हो रही है लेकिन उस मामले को भी पुलिस कुछ लेकर दबाना चाहती है। इसी तरह से कुछ लोगों ने एक डकैत को मौके पर पकड़ा और उसने बयान दिया है, लेकिन तहकीकात के लिए पुलिस वहां पर गई है और अब मेरी जानकारी यह है कि एक हजार रुपया उन लोगों ने जमा कर लिया है उनको देने के लिए और उस केस को रफा दफा करने के लिए देने की तैयारी है। इस तरह से अगर किया जाता है तो इससे जन बल घटता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर आप विचार करें।

जहां तक मंत्री जी का संबंध है मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं उन घटनाओं को लेकर उनके पास गया तो उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना और विचार करके आश्वासन दिया और कार्यवाही की; लेकिन फिर भी इतना लंबा प्रदेश है और इतनी तरह के काम होते हैं तो पुलिस का कार्य कठिन हो जाता है। वह जस्टिस करते हैं और सख्ती करते हैं, लेकिन जिसके साथ सख्ती हुई उसको इंसाफ नहीं मिलने की शिकायत होती है और किसी को रुपये के बल से इंसाफ नहीं मिल पाता है। एक बात मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि आज ऐसा हो गया है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है वह चाहे जो कुछ कर ले लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है; लेकिन यह बात किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। मैं चाहता हूं सरकार की तवज्जह इस तरफ हो और ध्यान हो। आज अगर आप देखें तो बहुत से लोगों के बारे में मैं जानता हूं कि जनता में उनके दलाल होते हैं। जो लोग ऊंची जगहों पर है उनके पब्लिक में दूसरे किस्म के दलाल होते हैं। यह आम चर्चा है। जब सरकार के पास इन सब चीजों का पता लगाने के लिये साधन हैं तो उन साधन और जरियों से पता लग सकता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे तो जन साधारण में एक आस्था और विश्वास की भावना पैदा होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसमें कुछ खामी है। हां, कुछ ऐसी बातें हैं कि थाने में आप कागज के लिये पैसा नहीं देते हैं। वह कहां से लावें? अगर कोई कहीं कत्ल हो जाता है और लाश को ले जाने के लिए गाड़ी भाड़े की जरूरत पड़ती है तो अगर कोई २० रुपये किराये के मांगता है तो पुलिस वाले कहेंगे कि दो ढाई-रुपये से ज्यादा प्रावीजन नहीं है। अक्सर पब्लिक को चन्दा करके इन्तजाम कराना पड़ता है। तो आप इस ओर जरूर खयाल करें कि थाने में इस प्रकार के खर्चे के लिये कुछ धन अवश्य रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

†श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह अनुदान इस प्रदेश की सुरक्षा से संबंधित है और इस अनुदान पर ही यहां के नागरिकों की सुरक्षा और उनके रहन सहन की सुरक्षा का प्रश्न निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा अंश पुलिस पर सरकार खर्च करती है और पुलिस के रवैये के बारे में इधर और उधर के माननीय सदस्यों का एक मत है कि वह अवांछनीय है और जिस सतर्कता से उसे कार्य करना चाहिये वह नहीं कर पाती है। पुलिस जनता के साथ मुंह देखा बर्ताव करती है। जिन आदमियों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, चारों तरफ से जिन पर अत्याचार होते हैं और जिनकी सुरक्षा परम आवश्यक है उनका इतना कम ध्यान रखा जाता है कि उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बहुत से केसेज की रिपोर्ट नहीं होती है जिससे वह सरकार की नजर में नहीं आ पाते। ऐसे केसेज और किसी के नहीं, गरीबों के होते हैं जो कि दबा दिये जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उन रेगुलेशंस में परिवर्तन करे जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। बहुत से केसेज अदम-पैरवी में दबा दिये जाते हैं, एस० डी० एम० के पास जिनकी रिपोर्ट जानी चाहिये वह थाने में ही गुम हो जाते हैं। मंत्री जी ने कहा कि १४ प्रतिशत के करीब केसेज में आदमियों का कनविक्शन हुआ, यानी १०० में ८६ केसेज निकले जो बिलकुल छूट गये। सब से बड़ी बात यह है कि जानबूझ कर कुछ ऐसे तथ्यों को पुलिस केसेज में सम्मिलित कर देती है जिससे कि बेनिफिट आफ डाउट सबसे ज्यादा मिलता है। एक केस में मैं कह सकता हूं कि ब्राड डे मर्डर हुआ और हथियार पर शक से संबंधित जितने आदमी थे सबके सब बे बुनियाद छूट गये। तो जिस तरह से तथ्यों को दबाकर पुलिस अपने कर्त्तव्य का पालन करती है उसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। रिपोर्ट भी गलत की जाती है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश की जाय।

कुछ थानेदार इस बात की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी मर्जी पूरी नहीं होती है तो केस खराब कर देते हैं। अक्सर गवाह जो रखे जाते हैं वह रिक्शे वाले या जो आमतौर पर खरीदे हुए होते हैं उनको दबाव या धौंस में लेकर गवाही दिलवाई जाती है और आगे चलकर जब उनको इनड्यूस किया जाता है तो वह बदल जाते हैं और निरपराध आदमियों को सजा मिल जाती है। मर्यादा तो यह कहती है कि ९९ आदमी अपराधी भले ही छूट जायं मगर एक निरपराध को जरूर बचाना चाहिये, लेकिन यहां पर मैं जानता हूं कि ९९ निरपराध आदमी फांसे जाते हैं, एक अपराधी भले ही छूट जाय और बच जाय, उसका उल्टा उदाहरण हमें यहां देखने को मिलता है। तो इस ओर मंत्री जी को कड़ी निगाह रखनी चाहिये और ऐसे मामलों में पक्षपात की बात नहीं आनी चाहिये तभी प्रदेश की नागरिक सुरक्षा का प्रश्न हल हो सकता है।

रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सत्याग्रह हुआ, कुछ लोगों को उसमें अपराधी घोषित किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। देश के नेताओं से और हमारे नेताओं के बीच समझौता हुआ और उसके आधार पर सत्याग्रह वापस ले लिया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री नन्दा जी ने यह आश्वासन भी दिया कि जो लोग सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए हैं वे छोड़ दिये जायंगे, लेकिन आज डेढ़ महीना हो गया, अभी तक उन आदमियों को नहीं छोड़ा गया है। कुछ आदमियों के लिये यह कहा गया कि हमने उनके केसेज को मांगा है जिनको अपराधी घोषित किया गया है। मान्यवर, जब सत्याग्रह चलता है तो कानून की अवहेलना होती ही है, उस समय सभी अपराधी हो जाते हैं। किन्तु सत्याग्रहियों के साथ जो बर्ताव होना

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

चाहिये वह नहीं होता। बहुत से सत्याग्रहियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट तक ले जाया गया। प्रजातंत्र में इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कतई उचित नहीं कहा जा सकता और न ही इससे प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकती है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से और अपराधों के संबंध में यह विभाग काम करता है, और दूसरे कानूनों की अवहेलना करने पर अपराधियों को पकड़ता है, वैसे अनटचएबिलिटी ऐक्ट की अवहेलना करने वालों पर यह विभाग कुछ नहीं करता। इस विभाग ने कोई केसेज ऐसे दर्ज नहीं किये हैं। केवल ७३ केसेज बताये गये कि दर्ज हुए जब कि गांव और शहरों में तमाम केसेज होते रहते हैं। मान्यवर, इस देश में इन मानवों को सम्मान से दूर रखा गया है, हर तरह से इन लोगों को सताया गया है, उनकी रक्षा के लिये जिस कानून को बनाया गया उसको इस तरह से नजरअन्दाज किया जाता है। जब तक यह होता रहेगा हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने इनके उद्धार के लिये एक आवाज उठाई थी, डाक्टर अम्बेदकर ने उनके लिये अपना सारा जीवन लगा दिया था, आज वे लोग जो उनके पद चिह्नों पर चल रहे हैं, उनकी भावनाओं का आदर नहीं कर रहे हैं। इन अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस द्वारा समान व्यवहार नहीं मिल रहा है।

इसके अलावा, इस विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं उनमें भी इन लोगों को नहीं रखा जाता। जब रिट्रेन्चमेन्ट होता है तब सबसे पहले और सबसे अधिक संख्या में इन्हीं लोगों को निकाला जाता है। जब नियुक्ति का वक्त होता है, इन लोगों को कम से कम रखा जाता है। अभी होमगार्डस की भर्ती हुई थी, एक लड़के को १४ मैडिल मिले हुए थे, एन० सी० सी० की परीक्षा भी पास कर चुका था, हर तरह से उस पद के लिये योग्य था, किन्तु फिर भी उसको नहीं लिया गया। ९ आदमियों के लिये स्थान सुरक्षित था, लेकिन उसमें भी दो आदमी ही लिये गये। इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने विभाग को पूर्णतया सुधारने की कोशिश करें और जो दोष उनके विभाग में हैं उनको दूर करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि सन् ६२ के बाद आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय गृह मंत्री जी ने जो पुलिस से संबंधित अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करने तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं समझता था कि विरोधी पक्ष से कोई मौलिक सुझाव दिया जायगा मगर उन्होंने धनुष यज्ञ का पूरा परशुराम का पार्ट अदा किया। जिस प्रकार राम द्वारा धनुष तोड़ने पर परशुराम बिगड़ने लगे थे और गुस्से में जो जी में आया था बकने लगे थे, और उसका कोई असर राम लक्ष्मण पर नहीं हुआ था, उसी तरह से आज विरोधी पक्ष की ओर से तमाम बातें कही गयीं। जो माननीय गृह मंत्री जी के लिये लागू नहीं होती। जब रावण अनर्गल बात कह रहा था तो अंगद ने उससे कहा था, "अन्धहुं बहिर न कहहि अस, श्रवण नयन तव बीस," वही हालत इन लोगों की भी है जो झूठा आरोप लगा रहे हैं।

मान्यवर, एक विजय बहादुर की बात कही गयी। अगर वही विजय बहादुर है जो मेरे पास भी आया था, तो मैं उसके किस्से को बताना चाहता हूं। मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूं। मान्यवर, कुछ लोगों ने मिलकर उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलवाया। उस मुकदमें में वह छूट गया। केस चाहे सच रहा हो या झूठ, मगर वह मुकदमें में छूट गया। उसको इन लोगों ने गांव में रहने नहीं दिया। कई वर्ष तक वह ससुराल में रहा। उसका

सारा मकान वगैरह गिरा दिया गया। इनको शर्म आनी चाहिये इस सबके लिये। उसके बाद उसके खेतों पर कब्जा कर लिया। (व्यवधान) पहले की बात मैं नहीं जानता, उसने क्या किया या नहीं किया, अब जो मैंने देखा है और मैं जानता हूं उसको सुनिये। उसका मकान गिराने के बाद उसके खेत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक उसके रिश्तेदारों ने गुण्डों आदि को भड़काया और उसको तरह-तरह से परेशान किया गया। उसका मकान गिराया गया, उसके खेत पर कब्जा किया गया, उसको गांव में काफी समय तक रहने नहीं दिया गया, और तरह-तरह से जब उसके साथ अन्याय किया गया तो उसने अपनी रक्षा के लिये पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और अब पुलिस उसकी रक्षा करती है, नहीं तो उसका कत्ल हो जाय। इस तरह का काम यह लोग करते हैं। विजय बहादुर के बारे में अगर यह वही हैं जिनको मैं जानता हूं, तो उनका यह किस्सा है। उसकी हरगोविन्दसिंह ने नहीं, मैंने मदद की है।

हमारे यहां जो हरिजन हैं उनको खेत नहीं जोतने दिया जाता। कई मुकदमें भी चले मगर वे अपना खेत नहीं जोत पाते हैं। यह काम विरोधी पार्टी करती है। पट्टा उनके नाम है, लेकिन वह खेत जोत नहीं पाते हैं या उनके खेत काट लेते हैं। मैं किसी खास पार्टी के लिये नहीं कहता। हर पार्टी के अन्दर ऐसे आदमी हैं और अगर इसकी जांच करने के लिये कोई कमेटी बनाई जाय, तो मैं अपने जिले में दिखा सकता हूं विरोधी पार्टियों की करतूत। एक इंच बात भी मेरी गलत हो जाय तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी तरफ जब देखो पुलिस को गाली देना शुरू करेंगे, हमारे विरोधी भाई, जोर से गाली देने के बाद अपना काम फतह करायेंगे, उनसे कहेंगे कि तुम हमारा फलां काम कर दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। यह कुछ मुनासिब बात नहीं है। आज पुलिस की दलाली कौन करता है, चलकर पूछ लीजिए हमारे जिले में चलिए, विरोधी पार्टियों के नेताओं के नाम मैं बताता हूं, जो पुलिस की दलाली करते हैं, अगर आम जनता कह दे कि पुलिस के दलाल हैं तब मानिए। एक पार्टी का नेता जो डकैती में सजा पाकर छूटा है, आज वहां का नेता बना हुआ है। जनता भयभीत है, आतंकित है।

एक सदस्य—

अब तो एम० एल० ए० है।

श्री गुप्तारसिंह—

एम० एल ए० होता तो यहां बैठकर जवाब देता, एम० एल० ए० अभी नहीं हुआ। उसके बाद एक डकैती की बात और बताता हूं, एक डकैत जो बहुत पुराना फरार था, उसका नाम चेला था, जब वह पकड़ा गया, तो उसके पकड़ने पर समस्त पार्टियों ने एक बड़ा भारी जुलूस पुलिस के खिलाफ निकाला, जा करके जांच लीजिये, वह शायद आज भी जेल में बन्द है।

तो दूसरे की फूली निहारने से पहले, अपनी आंख का ढेंढर देख लो। मैं भी पुलिस का बहुत बड़ा विरोधी हूं, लेकिन क्या उस पुलिस का भी विरोधी हूं जिनके कि शरीर पर तेल डालकर मद्रास में जला दिया गया, जो कि मुरैना में गोली से मारे गये, क्या वह किसी से कम देशभक्त हैं, जिनकी सीमा पर लाशें मिली हैं? कहने का मतलब यह कि हर पार्टी में गुण्डे हैं, बदमाश हैं, और हर पार्टी में शरीफ लोग हैं, मेरे खयाल से कांग्रेस में सब से अधिक भले मानुस और शरीफ लोग हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे जिलों के कप्तान साहबों को एक बीमारी हो गयी है, और यह बीमारी सभी कप्तानों को हो गई है। वह अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं।

[श्री गुप्तारसिंह]

जनसंघ से भी, सोशलिस्टपार्टी से भी, प्रजा सोशलिस्टपार्टी से भी और कम्युनिस्टपार्टी से भी। यह भावना उनको छोड़ देनी चाहिये। अगर दुष्कर्मी है, चाहे वह कांग्रेस का सदस्य हो, विधायक हो, मिनिस्टर हो, सोशलिस्ट पार्टी का हो, प्रजासोशलिस्ट का हो या जन संघ का हो, उनके नेताओं के दबाव में आकर, उनकी हुल्लड़बाजी के दबाव में आकर या उनके नारों से डरकर कोई काम नहीं करना है। मैं किसी जुर्म में पकड़ा जाऊं, तो मुझे भी जेल भेज दिया जाय, मैं इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं चाहता। दूसरी चीज यह है कि राजनीतिक पार्टियां जब से बढ़ी हैं, तब से करेप्शन ज्यादा बढ़ा है। दो आदमियों में लड़ाई होती है, चार उसमें लिखा दिया या पांच लिखा दिया। तो गलत आदमी लिखाने से नतीजा यह होता है कि कोर्ट में मुकदमा जिरह में गड़बड़ा जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि १६९ का जो अधिकार है, वह कप्तान को दिया जाय। वह जांच कर ले और अगर गलत आदमी लिखाये गये हैं, तो उनका नाम निकाल दे। इसके बाद मुझे यह कहना है कि दूसरे के नाम में इन्दराज किये गये खेतों पर लोग कब्जा कर लेते हैं, फसल काट लेते हैं, दरख्त काट लेते हैं, पुलिस कहती है कि खेत पर तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, गरीब आदमी मुकदमा नहीं लड़ पाता। तो इस तरह के मामलों को दस्तंदाजी पुलिस समझा जाय और ऐसा कानून बना दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबूलाल श्रीवास्तव (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जब कभी भी मुझको बोलने का अवसर मिलता है, तो आपके ही द्वारा मिलता है। यह मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य समझिये कि मेरी आयु और मेरा पेशा वही है, जो माननीय मंत्री जी का है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जरायम का पेशा ?

*श्री बाबूलाल—

हां ठीक, मंत्री जी ने कहा, वह मैं अभी मंत्री जी से सीखूंगा, वकालत का पेशा हमारा और उनका एक रहा है। मैं तो यह नहीं समझता और संभव है कि कुछ लोगों का संदेह ऐसा हो कि जनसंघ की सरकार कभी हो, जल्द हो या देर में हो, परन्तु यदि सरकार हुई और मुझको इतनी गालियां और अपमान सुनना पड़ा, जितना कि मंत्री जी को सुनना पड़ता है, तो मैं लौट करके अपनी वकालत करना अच्छा समझूंगा और इस जिल्लत से बाज आऊंगा। माननीय मंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं और यह गृह मंत्री का पद है। अच्छा होता कि जिसको जनता का विश्वास प्राप्त होता वह इस पद पर होता। यह मुझे कहने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि माननीय मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर रहा है और जौनपुर के हमारे जगन्नाथ राव जी ने और केशरी प्रसाद पाण्डेय जी ने बहुत सी बातें कहीं हैं। उनको स्थानीय बातें मालूम होंगी, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उसमें कुछ प्रतिशत गलत भी हो सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मंत्री जी वहां से हराये हुए हैं, जनता के विश्वासपात्र वे नहीं रह गये। बैकडोर से आने के लिये उनको मेरा जिला प्रतापगढ़ मिला। मेरे जिले से लोकल बाडीज की तरफ से वे चुनकर आये हुए हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी उस जिले के प्रति भी होती है। लेकिन वहां के बारे में जब मैं बातें बताऊंगा तो और भी कहानी ज्यादा बढ़ जायगी। लेकिन मैं समय कम होने के कारण यही इतना कहूंगा कि दोनों दलों के लोगों से पुलिस पर बहुत टिप्पणियां हुई। उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं। यह भी सही है कि अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और बड़ी कठिनाइयां होती हैं। उनके सतत प्रयत्न भी चल रहे हैं। उन प्रयत्नों का नतीजा यह हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। आपके प्रयत्नों का नतीजा यह है कि हरएक चीज बढ़ गई, मैं उन सब आंकड़ों को नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने जिले प्रतापगढ़ के आंकड़े ही आपके सामने रख दूं। ६३ और ६४ के बीच में जहां डकैतियों की संख्या २६ थी वह बढ़कर ४३ हो गई। कत्ल की संख्या जहां २४ थी वह बढ़कर ३० हो गई है। बलवों की संख्या १०६ से बढ़कर १२८ हो गई। डाकेजनी की संख्या ३५२ से बढ़कर ५२९ हो गई है। यह तो प्रतापगढ़ जैसे छोटे से जिले की बात है। इस जिले की आवाज यहां तक बहुत कम पहुंच पाती थी। मंत्रियों के लोग उनकी ही तरफ की बात करते थे। इस बार ऐसा मौका मिला है कि एक छोटा मोटा उन्मूलन हो गया है। कांग्रेसी तो वहां नाम के ही रह गये हैं। आप लोगों के जो क्रिया कलाप हैं, वह उन लोगों को शरण देना हो गया है। हां, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक पुस्तिका पुलिस का वार्षिक कार्य विवरण छपी हुई है। मैंने इसमें देखा कि इसमें हत्या और डकैती का विवरण देते देते कहीं एक दो जगह जहां भी नाम देंगे कि कोई मारा गया तो कांग्रेसी का ही नाम देंगे। लिखा है कि हत्या हो गई एक जिआउल हक, जिला परिषद् के सदस्य आदि। इसके अलावा प्रतापगढ़ का भी नम्बर रहा है। लिखा है कि प्रतापगढ़ में दीर्घकालीन वैमनस्य के कारण शीतल प्रसाद ब्राह्मण और उसके चार लड़कों को दम घोटकर मार डाला गया। मामले का सही सही पता चल गया है और सभी अपराधियों पर सेशन न्यायालय में मुकदमा चल रहा है यही केवल तीन लाइनें लिखी गई हैं ऐसी बातों के लिये। परन्तु जहां पर पुलिस की बहादुरी को दिखाया गया है वहां पर १०–१५ लाइनें उनकी बहादुरी में लिख दी गईं। आपको सुनकर हैरत कि संग्राम गढ़ थाने में दो अढाई मील की दूरी पर एक भवन गांव है वहां पर एक बद्रीगिरि नाम के आदमी हैं, जो कांग्रेस पार्टी का तो नहीं है, और न मेरी पार्टी से संबंधित है, बल्कि वह किसी और ही पार्टी का है, उनका काम पुलिस की खिल्ली ही उड़ाना था। उसने कई मुकदमे पुलिस पर चलाये, पुलिस उससे रुष्ट थी। और यह जिस दिन का वाकिया है, उन लोगों पर पुलिस के चलाये हुए मुकदमे चल रहे थे। उसके अलावा उसके चार लड़कों के ऊपर भी पुलिस के चलाये हुए मुकदमे चले। यह जो पुलिस का चलाया मुकदमा था उसमें यही बताया गया उसका अपराध कि पुलिस की मुखालिफत की है, इसलिये मुकदमा चलाया गया। उसी दिन वह बद्रीगिरि, उसके लड़के प्रधान और अदालती सरपंच सायंकाल मुकदमे से छूटते हैं। यह बात पुलिस को नागवार मालूम होती है और जैसे ही वे सबेरे अपने घर पर ८ बजे पहुंचते हैं दो कनस्तर मिट्टी का तेल मकान पर छिड़कवाया जाता है और ६ आदमियों को बन्द करके आग लगा दी जाती है। सैकड़ों व्यक्तियों का जमाव होता है लेकिन पुलिस निकट नहीं आती है। उनके ४ मकान थे, चारों लड़कों के अलग-अलग मकान थे, हर मकान में आग लगा दी गयी और दरवाजा नहीं खोला गया। गांव के १०० आदमी इकट्ठा होते हैं और कोई दरवाजा नहीं खोल पाता है और जब आग बुझती है तो १ कमरे से ६ व्यक्ति मरे निकलते हैं। पुराना वैमनस्य था तो पुलिस को जब यह खबर थी कि छूट कर पहुंच रहे हैं उसके लिये कार्यवाही करती। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुराना वैमनस्य था लिहाजा पुलिस मुकदमे को खराब करना चाहती थी जिसने उसने मुकदमे को खराब किया और सब आदमी निर्दोष छूट गये। आप कहते हैं कि १४ परसेंट कनविक्शन होता है लेकिन कनविक्शन वही होता है जिसमें गलत आदमी फांसे जाते हैं और पुलिस की उसमें साजिश रहती है और सही मुकदमा कभी कामयाब नहीं हो पाता है।

उत्तर प्रदेश में जो सबसे मशहूर डाकू रहा है वह मेंहदी डाकू रहा है। अन्तू थाने में एक दरोगा थे। उनकी घूसखोरी के बारे में कहा जाता है कि अगर उनको ५०० रुपये एक दिन में नहीं मिलते थे तो दूसरे दिन उपवास करते थे। जब मुकदमा उन पर चलाया गया और पुलिस ने तलाशी ली तो २५ हजार रुपये नकद उनकी बीबी के पेटीकोट के अन्दर से मिले। तारीफ की जाती है इस पर कि पुलिस २४ घण्टे कमर कसे रहती है। हमारे यहां एक जथवारा थाना है जिसमें खरवई गांव है। जिस मकान में डाका पड़ा उसके पड़ोस

[श्री बाबूलाल]

के मकान में दरोगा जी पड़े हुए थे। रात्रि में जिस बनिये के घर से पूड़ी आई उसी के घर डाका पड़ता है। वह दरोगा जी को पुकारता है लेकिन दरोगा जी ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। उलट कर एक फायर ही कर देते तो शायद डाकू हट जाते लेकिन घर का माल-मत्ता लेकर डाकू चले गये तब दरोगा जी सवेरे निकल कर आते हैं। मैं मौके पर गया था और मैंने दरोगा जी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं तो गया था लेकिन जो बन्दूक वाले थे कोई तैयार नहीं हुए। मैंने कहा गलत है। यह भी मैंने कहा कि मेरे साथ चलो और एक साक्षी दिला दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी और तुम कोठे से नहीं उतरे। तो क्या आशा की जा सकती है ऐसी निकम्मी पुलिस से जिसकी आज आप तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसको पैसा कम मिलता है। मैं कहता हूं कि आप पैसा यह भी बन्द कर दीजिये। यह जो तबका पुलिस का है यह ४० रुपये पर नहीं रहता। आप आनरेरी भर्ती कर लीजिये। लाखों की तादाद में भरती होने लोग आ जायंगे। वह स्वयं अपना इन्तजाम करती है। ४५ नहीं आप ९० पर रखिये तब भी यह रिश्वत उनकी बन्द नहीं होगी।

प्रतापगढ़ में ठाकुर उदयपाल सिंह, फर्स्ट क्लास आनरेरी मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू आफिसर की विधवा बीबी हमारे घर दौड़ी आई। १५ दिन पहले चोरी हो गयी थी और जब पुलिस में इत्तिला की तो पुलिस का आदमी नहीं पहुंचा। परसों १२ दिन के बाद एक कान्सटेबिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान दें और जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं उसका जरा खयाल करें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

*श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान रखा गया है गृह मंत्री की तरफ से मैं उसके समर्थन में और उसके साथ-साथ कुछ अपने सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस की रिश्वत इस हद तक बढ़ गयी है कि उस पर शर्म आती है। तो यह बात बहुत हद तक सही है और खास कर सिविल पुलिस के बारे में। ऐसा क्यों है, इस पर सोचना पड़ेगा।

पहली बात यह है कि प्रोसीजर पर थोड़ी रोशनी मुझे डालनी होगी। रात को हमारे यहां मिसाल के लिये चोरी हो गयी। सुबह को रिपोर्ट लिखा दी कि हमारा इतना इतना सामान चोरी हो गया है। हम यह नहीं कह सकते कि चोर कौन थे और कैसे चोरी हुई? अब आप चाहें जहां से हमारा माल बरामद करें। थानेदार साहब आये। उन्होंने तफतीश शुरू की। हम केवल दो, तीन दिन सामान की फेहरिस्त देते रहे। दरोगा जी ने मुश्तहब आदमियों को खड़बड़ाया। मुख्तलिफ जरियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद उनको यह पता लग गया कि फलां फलां चोर हैं। लेकिन हमने कोई निशानदेही नहीं की थी, न करते हैं। अब उन चोरों को उन्होंने घेरना शुरू किया। फर्जी गवाह बुलाये। गवाहों ने बतलाया कि फलां आदमी इधर से आ रहा था रात को और माल लिये जा रहा था। तो झूठी शहादत पुलिस नें फराहम की तब जाकर उसे वह सजा करा पाई। पुलिस ने सोचा जब उसने २४ घंटे खराब किये और सरकारी काम में जितना सच झूठ बोला जा सकता था उतना बोला, तब जाकर शहादतें फराहम कीं तो फिर अपने पेट के लिये भी वह कर सकती है और करती है। लिहाजा अगर रिश्वत पुलिस में कम करनी है तो कवानीन को बदलना होगा जिसमें यह व्यवस्था हो कि पुलिस वाले बिना झूठ बोले हुए खुद ही गवाह हों। माल बरामद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जाने की शक्ल में शहादत न फराहम करने पर भी सजा वह दिला सके तब तो रिश्वत कम होगी वर्ना नहीं हो सकेगी। यह तो रही सिविल पुलिस की रिश्वत।

रही आर्म्ड पुलिस और पी० ए० सी० की तो उसमें रिश्वत है नहीं। १ परसेंट भी नहीं है। इससे तो मेम्बर भी एग्री करते होंगे। होम मिनिस्टर, पूरा हाउस, आई० जी० सभी जानते हैं कि रिश्वत कहां है और कितनी है। और इसका तदारुक हम नहीं कर सकते इसलिये कि जब तक हम लोगों की कास्ट आफ लिविंग पर पूरा कंट्रोल नहीं करते तब तक रिश्वत खत्म होने का सवाल नहीं पैदा होता। आदमी भूखा नहीं मरेगा। वह रिश्वत लेगा इसलिये कि उसे अपना पेट पालना है। तो इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पी० ए० सी०, आर्म्ड पुलिस और सिविल पुलिस की तनख्वाहों में कोई नुमायां फर्क होना चाहिये ताकि वह लोग भी आसानी से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें।

दूसरे, जरायम जो बढ़ते जा रहे हैं यह बात बहुत हद तक सही है, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि बहुत से लोग झूठी रिपोर्टें लिखा देते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। दफा १८२ को इसके लिये आपको ज्यादा एफेक्टिव बनाना होगा। कई मामलों में मैंने देखा कि चालान हुए और मालूम हुआ कि पुलिस ने गलत चालान कर दिया था। जब पुलिस वालों से कहा गया तो उन्होंने कहा कि १८२ में सजा कराना बहुत ही मुश्किल काम है और सजा बहुत ही कम केसेज में हो पाती है। इसलिये यह जरूरी है कि १८२ का इस्तेमाल ज्यादा किया जाय ताकि झूठी रिपोर्ट पुलिस के सामने ज्यादा न जायें और लोगों को परेशानी से बचाया जा सके और पुलिस की दौड़ और परेशानी भी बच सके।

तीसरी चीज होम मिनिस्टर के मतलब की कम है, लेकिन आई० जी० पुलिस के मतलब की ज्यादा है। इधर यह देखा जा रहा है कि अफीम की स्मगलिंग का काम काफी जोरों पर है। इसकी रोकथाम करना उनका काम है। आपका एक्साइस विभाग जो है उसके पास इसके लिये काफी अमला है, लेकिन उनकी रिश्वतें बंधी हुई हैं और वह कायदे से काम नहीं कर रहे हैं। आज पोजीशन यह है कि जब हम लोग पुलिस अफसरान से कहते हैं कि मामला ऐसा है, आपको तस्वीर का यह रुख दिखाया गया है, असली रुख यह है, तो उनको ऐसा मालूम होता है कि हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में मदाखलत कर रहे हैं। इन स्मगलर्स के पास बहुत ज्यादा रुपया है। अच्छाई की बात यह है कि उनकी तवज्जेह अभी इलेक्शन की तरफ नहीं है। अगर वह एलेक्शन लड़ने लगें तो मेरा खयाल है कि इस सदन में ७० फीसदी स्मगलर्स ही दिखायी देंगे और कोई ताज्जुब नहीं कि फिर हमारे होम मिनिस्टर भी कोई स्मगलर साहब ही हों। उस वक्त आई० जी० साहब क्या करेंगे? इस समय तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मदाखलत मालूम पड़ती है, लेकिन जब मिनिस्टर ही स्मगलर होंगे तो वह क्या करेंगे? इसलिये मेरा सुझाव है कि इस मामले में सख्ती से काम लिया जाय।

चौथी बात यह है कि करप्शन पुलिस के साथ साथ और दूसरे महकमों में भी है। दूसरे महकमों में करप्शन को रोकने के लिये हमको सी० आई० डी० का सहारा लेना पड़ा है। सी० आई० डी० का स्टाफ इस सूबे में बहुत कम है। यह गोविन्द चन्द्र साहब का ही कहना है कि वह स्टाफ बहुत कम है और अगर वह बढ़ाया जाता है तो हो सकता है कि कायदे के आदमी न मिलें और नतीजे के तौर पर उसका स्टैंडर्ड लो हो जाय। इस बात का उनको खतरा है। उससे फायदा न होकर नुकसान हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सी० आई० डी० को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। खास खास मामलों को ए० ग्रेड की सी० आई० डी० देखे, उनकी जांच करे और जो छोटे मामले हों, उनकी जांच बी० ग्रेड की सी० आई० डी० के जिम्मे की जाय।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि आज करप्शन गवर्नमेंट सर्वेंट्स से ज्यादा पब्लिक में है और इस की वजह से अफसरान और ज्यादा करप्ट हो जाते हैं। इस के लिये विजिलेंस कमीशन

[श्री मुहम्मद रफी खां]

का दायरे अख्तियार बढ़ाया जाय और उसे हम लोगों के खिलाफ भी चेक करने की पावर्स दी जायं ताकि करप्शन दूर होने में सहूलियत मिले ।

बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट गौर करेगी ।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने कहा, पुलिस का शासन उत्तर प्रदेश में किस दृष्टि से देखा जाता है, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता । मैं केवल उन कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि चूंकि पुलिस हमारे प्रशासन की रीढ़ है इसलिये इसका संगठन एक स्वतंत्र देश और प्रदेश में किस ढंग से होना चाहिये । इस ओर हमारी सरकार का ध्यान पिछले १६, १७ सालों में नहीं गया है । अंग्रेजी राज्य में पुलिस जितनी बदनाम थी और जैसी उसकी व्यवस्था थी वैसी ही आज है । उसके बाद हरगोविन्द सिंह जैसे उसके व्यवस्थापक ! एक करेला, दूसरे नीम चढ़ा, उसकी व्यवस्था सुधरे कैसे ?

मैं आपसे निहायत अदब से उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सचमुच इस प्रदेश की व्यवस्था बनानी है तो फिर से एक पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन बिठालना चाहिये जिसमें पुलिस का ढांचा किस प्रकार का हो, इस पर विचार किया जाय । यूरोप के देशों में देखा जाय कि अंग्रेज और दूसरे देशवासी किस प्रकार अपने यहां की पुलिस का शासन चलाते है । इंगलैंड में काउन्टी पुलिस की व्यवस्था है । जैसी हमारे यहां जिला पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज हैं वैसे ही वहां काउन्टीज हैं और उनके मातहत ही यह पुलिस है । वह राज्य के मातहत नहीं है ।

दूसरे, आज पुलिस इतनी बदनाम क्यों हो रही है इस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पुलिस को जनता के संपर्क में रहना है और कैसे वह उसके साथ व्यवहार करती है इसे आप देखियेगा । ग्रेट ब्रिटेन में एक रायल कमीशन पुलिस का कायम था और उसने जो रिपोर्ट दी है उसे मैं पढ़ना तो नहीं चाहता, लेकिन खास-खास बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । सबसे पहली बात इस सिलसिले में यह है कि जो आपका ताजीरात हिन्द का कानून बना हुआ है उसमें आपको आमूल परिवर्तन करना होगा । अगर आप चाहते हैं कि पुलिस का संगठन ठीक हो और पुलिस और पब्लिक के संबंध ठीक हों तो दफा ११०, १०९, १०८, १०७ और ११७ सी० आर० पी० सी० आपको निकाल देनी चाहिये । दफा ११० के बारे में जो एक सरकुलर जारी हुआ था उसकी एक फोटो मेरे पास है । अंग्रेजी राज में पुलिस राज था । उस समय नियम बने हुये थे कि ११० और १०९ में इतने इतने आदमियों का चालान हर एक थानेदार को करना होगा । इसके लिये आदेश थे । मैं कहना चाहता था मंत्री जी से, लेकिन उनसे मुझे कोई आशा नहीं है । हुकूमत कुछ करेगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं आज इस हुकूमत के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इस सड़ी गली व्यवस्था में आप क्या जो व्यवस्था अंग्रेजी शासन काल में सौ, डेढ़ सौ साल तक चलती रही, उसे ही आप चलाना चाहते हैं? ११० में सरकुलर जारी होते थे, वही ढर्रा आपका भी है । यह मेरे पास एक सरकुलर है जो नैनीताल के एस० पी० महोदय । श्री के० पी० श्रीवास्तव ने जारी किया है जिले के तमाम थानेदारों के नाम कि यह आपका कोटा है और इसके मुताबिक थानेदारों ने ११० में चालान क्यों नहीं किया । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हर थाने का कोटा इसमें लिखा गया है:----किछा का ४, सितारगंज का ४, रुद्रपुर का ४, काशीपुर का ४, रामनगर का २, इसी तरह से तमाम थाने लिखे हुए हैं । इस तरह की वहां व्यवस्था है । ११० में लोगों का चालान होता है कैसे ? पुलिस कहती है कि इनके पास जरिये माश नहीं है । उनको शुबहे में पकड़ लेती है । मैं कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के ६० प्रतिशत खेतिहर मजदूर, इस प्रदेश की डेढ़ करोड़ आबादी ऐसी है कि जिसके पास कोई जरियाये माश नहीं है और आपके यहां आपके इस धारा के अनुसार उनमें से हर एक १०९ का मुलजिम है । दफा १०९ में जिन लोगों को मुलजिम बनाया जाता है, अगर उसको चालू करना चाहें तो इस प्रदेश की डेढ़ करोड़ जनता को मुलजिम बनाया जा सकता है । अंग्रेजी राज्य के जमाने में डाक्टर भगवान दास ऐसे फिलासफर को दफा १०९ का शिकार बना दिया गया था । वही सिलसिला इस राज्य की पुलिस ने जारी किया है और जब तक यह दफा रहेगी तब तक इसी तरह का राज्य चलता रहेगा और पुलिस और पब्लिक के संबंध अच्छे नहीं हो सकते ।

आजकल जनता, राजनैतिक पार्टियों और पुलिस में आये दिन मुठभेड़ हुआ करती है । हमें कानून बनाना होगा, नियम बनाने होंगे कि किन-किन हालतों में लाठी चार्ज किया जाय, किन हालातों में गोली चलायी जाय । इस बारे में विदेशों में किताबों की किताबें भरी पड़ी हैं। पिछली एक शताब्दी से यूरोप में किसी पुलिस को गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इंग्लैंड की पुलिस को भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हुई । रानी एलिजाबेथ पर गद्दी के बैठने के समय जो बड़ी भारी भीड़ वहां हुई थी, वहां उस भीड़ को हटाने के लिये क्या किया गया ? इंग्लैंड एक ठंडा मुल्क है वहां पर भीड़ को हटाने के लिये ठंडे पानी के होज से बड़े फोर्स के साथ पानी को छोड़ा गया और उससे भीड़ तितर बितर हो गयी । यहां पर गर्म पानी काम में लाया जा सकता है । मेरे विचार में गोली ऐसी हालतों में कभी भी नहीं चलाई जानी चाहिये । लेकिन यहां तो आपने पुलिस कानून में लिख दिया है कि जब स्थिति काबू से बाहर होती जा रही हो तो पुलिस को अख्तियार है कि वह गोली चलाये । इस जनतांत्रिक प्रणाली में आपने पुलिस को अनफेटर्ड अधिकार दे दिये हैं । मैं बता देना चाहता हूं कि गोली केवल तीन हालतों में ही चलायी जानी चाहिये—१—जब व्यापक रूप में किसी राजनैतिक दल या भीड़ की तरफ से हत्या की जा रही हो या हत्या होने की संभावना हो, लोगों की जानें जाने की संभावना हो, २—कोई दल आर्म्ड रेबॉलूशन के लिये तैयार हो, शस्त्रास्त्र का प्रयोग कर रहा हो, और ३—जब डाकेजनी और लूट मच रही हो । इन्हीं तीन परिस्थितियों में पुलिस को गोली चलाने का अधिकार होना चाहिये। यह नहीं कि कहीं भीड़ जा रही है और आपने दनादन गोली चला दी । इस तरह के सुधार पुलिस में तुरन्त हो जाने चाहिये । पुलिस को रिआर्गेनाइज किया जाय ।

श्री रामसूरत सिंह का एक केस हो गया है । उस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने हमको धमकी भी दी । लेकिन हम उनकी धमकियों की परवाह नहीं करते । श्री जनेश्वर जैसे बहादुर व्यक्ति को डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर रखा है, आज ७ महीने से वह जेल में है और केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर । रामसूरत सिंह एक डकैत था और उसको छोड़े जाने की बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार की । माननीय जज महोदय ने अपने फैसले में साफ लिखा है—

> "In my opinion, the material on the record does not show that there was any justification for the release of Ram Surat Singh at this stage without even putting him up for test identification."

माननीय हाईकोर्ट के जज महोदय कहते हैं कि राम सूरत सिंह को छोड़ना गैर कानूनी था और उसको छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था । इसको छोड़े जाने के बारे में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। इसी बात पर माननीय मुख्य मंत्री जी को इन्हें अपने कैबिनेट से डिस्मिस कर देना चाहिये था, जिन्होंने इस प्रकार की अनैतिक रिलीज की । इसके छोड़ने की बात गृह मंत्री जी खुद मंजूर करते हैं ।

एक केस और है जिसको आपकी आज्ञा से बता देना चाहता हूं । श्री के० एल० मिश्रा हमारे एडवोकेट जनरल हैं । उनका फोन वहां से गृहमंत्री जी से लगा हुआ था, मालूम होता है उन्हीं से पूछ कर माननीय कन्हैयालाल मिश्र काम काज करते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में कहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

सुप्रीम कोर्ट से इसका क्या संबंध है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इससे ला ऐंड आर्डर का संबंध है और आम जनता का जो सिलसिला है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है । सुप्रीम कोर्ट ने नन्दलाल वर्सेज कन्हैयालाल केस में जो फैसला दिया है, उसमें जस्टिस सुब्बाराव ने लिखा है :—

"In the courts of law, there cannot be a double standard of justice—one for the highly placed and another for the rest : the magistrate has no concern with personalities, who are parties to the case before him, but only with its merits".

यानी श्री कन्हैयालाल मिश्र एक प्रभावीशाली व्यक्ति हैं जिनका पुलिस पर बराबर दबाव रहता है और यही वजह है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा उन के केस में जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं की गयी । आज इस पुलिस के संरक्षण में बड़े बड़े लोग पलते हैं और उन के द्वारा साधारण आदमियों का चालान किया जाता है । क्योंकि आज जो पुलिस के आफिसरान हैं और पुलिस मंत्री हैं वे इस बात पर आमादा हैं और चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में अराजकता रहे, कोई कानून न रहे, जो मन में आवे, करें । यदि आज पुलिस के ऊंचे ऊंचे आफिसर और गृह मंत्री इस राज्य में आम जनता के अन्दर अराजकता ही फैलाने पर आमादा हैं तो मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि इस को रोकने के लिये एक ही तरीका है कि आम जनता में बगावत पैदा करने की भावना पैदा की जाय । क्योंकि जब तक आम जनता अराजकता करने पर उतारू न होगी, जब तक इस हुकमत को खत्म करने के लिये कोई उपाय नहीं करेगी, तब तक इस तरह की चीज चलती ही रहेगी । इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप से और आप के माध्यम से सरकार से कुछ बातें कहनी हैं । पहले मैं अपनी सफाई आप के सामने प्रस्तुत कर दूं कि इन मित्रों से मैं कुछ नहीं कहूंगा, वे लोग परेशान न हों । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की पुलिस के संबंध में जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह अनुदान मैं समझता हूं कि बहुत कम है । क्योंकि इस मर्दुमशुमारी के पहले जो मर्दुमशुमारी हुई थी उसके आंकड़े और जो अभी सेंसस हुआ है, उसके आंकड़े में कम से कम दुगने का भेद है । और जो पहली मर्दुमशुमारी में पुलिस की तादाद थी वही आज भी है । हमारे प्रदेश की जनसंख्या तो इतनी अधिक बढ़ गयी, लेकिन पुलिस इस्टेबलिशमेंट में ४ कांस्टेबिल्स भी नहीं बढ़े । मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कतें हैं और दिक्कतों का होना लाजिमी है । जनता हो गयी दुगनी, एक एक थाने के अन्तर्गत ७०–७५ हजार की आबादी है और कांस्टेबिल्स वही, सब-इंस्पेक्टर आदि को मिला कर १५–१८ तक हैं । तो काबू का जहां तक संबंध है, स्थिति पर तब तक काबू नहीं किया जा सकता है जब तक कि सरकार द्वारा बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से पुलिस इस्टेबलिशमेंट को बढ़ाया न जाय ।

उस मर्दुमशुमारी में तो जरायम की रोकथाम के सारे काम पुलिस के पास थे लेकिन इस मर्दुशुमारी में रोकथाम का काम तो चला गया बिलकुल नीचे । झंडा लेकर खड़े हैं कि बाजार लूट लो, कारखाने लूट लो, मजदूरों हड़ताल कर दो, लड़कों बगावत कर दो । पुलिस की सारी ताकत तो कौंसिल हाउस के सामने खड़ी रहती है । जिला कप्तान, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बंगलों के सामने खड़ी रहती है । पुलिस के काम को बढ़ाया किसने है ? पुलिस का यह सारे का सारा काम बढ़ाने वाला कौन है ? वह उन्होंने ही पुलिस को अपने काम से हटाकर

दूसरी तरफ लगाया है, इसको आप स्वयं समझ लें कि वह कौन है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात नहीं है, इसको सूबे की जनता और आप श्रीमान बहुत काबिल हैं समझते होंगे । मैं इतना और आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक थानेदारों का ताल्लुक है अगर रिश्वत की शिकायतें हैं तो जहां तक एक तरफ रिश्वत की शिकायतें हैं वहां पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उच्च अधिकारियों ने किस तरह से लोगों को बरखास्त किया है, सस्पेंड किया है, ग्रेड कम किये हैं, कितनी सजायें दी गई हैं और मुकदमे चलाये गये हैं, यह मेम्बर लोग उधर के भूल जाते हैं जो उन्हें भूलना चाहिये भी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है । इतना बड़ा सूबा है, एक जिले के एक दो थानों से हम आये हैं, मेरे क्षेत्र में ढाई थाने हैं जबकि सूबे में दो हजार के लगभग थाने हैं । ढाई थाने की बात सहारनपुर, बलिया, हरदोई, नैनीताल सबमें तो एक सी नहीं हो सकती । मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि मैं श्री काशीनाथ जी की एक बात से सहमत हूं कि विभाग के रिआर्गेनाइजेशन का काम कम हुआ है, यह काम मजबूती से किया जाय और आबादी के लिहाज से पुलिस संगठन को बढ़ाया जाय, स्टाफ बढ़ाया जाय और शान्ति को बढ़ावा दिया जाय ।

जहांतक पुलिस के अचीवमेंट्स की बात है, वह हैं और आंख में पट्टी बांध कर या कान में रुई लगाकर नहीं रहा जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले २–३ सालों में कोई साम्प्रदायिक झगड़े की खबर आपको अखबारों में मिली है ? जो हिन्दू मुसलमान के झगड़े, साम्प्रदायिक झगड़े, अक़लियत के और बहुमत के झगड़े जो आये दिन हुआ करते थे, मजहब दीन ईमान को लेकर तमाम बातें होती थीं वह कहीं अब सुनने में आती है ? यह सब किसकी बदौलत है, इसका क्षेत्र ठाकुर हरगोविन्दसिंह और उनकी पुलिस को नहीं है तो और किस को है और उन्होंने ही कम्युनल स्थिति पर काबू पाया है । इन अचीवमेंट्स की तरफ से आंख पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती । हमें कहना पड़ेगा ठाकुर हरगोविन्दसिंह और उनकी पुलिस ही यहां पर कम्यूनल शांति रखने के लिये जिम्मेदार है । जिस तरह से चीन के हमले के वक्त पी० ए० सी० ने काम किया और जिस तरह से चीन व पाकिस्तान के स्पाई की आमद पर कंट्रोल सी० आई० डी० ने किया है और हिफाजत की है वह तारीफ की बात है । यहां की सी० आई० डी० और पी० ए० सी० के लिये विरोधी दल के सदस्यों की आलोचना के लिये सिर्फ जीरो हैं, एक शब्द खिलाफ नहीं है । उनके पास वही ठाकुर साहब के रिश्तेदार हैं क्योंकि ठाकुर साहब का डंडा मजबूत है, वह किसी का रोब नहीं समझते, वह किसी की फिक्र नहीं करते । मैं तो ठाकुर हरगोविन्द सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह चिटिठयों की फाइल निकलवा लें और उसमें से निकलवाकर छपवा दें और यहां सदन में बता दें तो मालूम हो जायगा कि इधर के लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव डाला है या उधर के लोगों ने डाला है । सच्ची बात मुंह पर अपने आप आ जाती है, श्रीमन, मुझे जो कहना है वह यह है कि जहां तक पुलिस के काम का ताल्लुक है और रैम्युनरेशन का ताल्लुक है, उसमें बहुत ही डिस्पैरिटी है । पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस भ्रष्ट नहीं है । अगर २, ३ फीसदी हो तो उनकी तरफ सतर्कता से निगाह है । हमारे माननीय केशरी प्रसाद जी को खटकती है कि सी० आई० डी० के लोग उनके (मा० मंत्री जी के) दायें और बायें घूमती रहती है । आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि आज आप एक शिकायत माननीय पुलिस मंत्री के पास कीजिये और उसका परसों ही जवाब आ जायेगा । आज तक की हिस्ट्री में २–३ दिन के अन्दर कोई भी पुलिस मंत्री इन्क्वायरी नहीं करा सका । यह केवल माननीय हरगोविन्द सिंह जी के ही जमाने में हुआ है । दूसरे इनकी पुलिस भी बड़ी ओबिडियन्ट है । अगर वे चाहें तो ४८ घंटे के अन्दर इत्तिला आ सकती है ।

आखरी बात, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कह देना चाहता हूं और वह यह है कि किसी हद तक मैं पुलिस की बात कह देना चाहता हूं और वह यह है कि जो १६४ के कलम बन्दी बयान हैं और जो शिनाख्त के तरीके हैं, यद्यपि यह हमारा विषय नहीं, यह विषय केन्द्रीय सरकार का है, लेकिन फिर भी इंडियन पेनल कोड एवं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलना होगा, उसमें एमेंडमेंट करनी होंगी, उसमें तरमीम करनी होगी । मेरी दुश्मनी है किसी से तो नाम

[श्री जे० पी० मिश्र]

ले लिया गया। यह कलम बन्द बयान और जो शिनाख्त करने की कार्यवाहियां है, उनमें तबदीली लानी होगी, न्याय को सस्ता करना होगा गरीब जनता तक पहुंचाने के लिये। अन्त में मैं माननीय मंत्री हरगोविन्द सिंह जी को और उनकी पुलिस को बधाई देता हूं इस माने में कि इतनी दिक्कतों के बाद भी १९६४–६५ में अच्छी तरह से अमनोअमान इस प्रदेश में रहा। यह उनके आई० जी०, डी० आई० जी० का ही काम था कि प्रदेश में शांति रही। इन्होंने बहुत चाहा कि दुकान लूट लें, अशांति पैदा कर दें, लेकिन इन मजबूत अफसरों के बैठे होने के कारण इनकी सारी स्कीमें फेल हो चुकी हैं। इनकी नाकामयाबी का इतिहास गाली गलौच में बदलता है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी ही जबान में अपनी तारीफ की। उन्होंने बताया कि सन् १९६१ में सजा पाये १४.८ मुकदमें, १९६२ में १३.३ और १९६३ में १४.८ यानी कोई तरक्की नहीं हुयी। इसके साफ माने यह हैं कि उन मुकदमों की जांच तफतीश गलत थी और वह यह कि मुकदमें झूठे हैं।

अफसोस की बात है कि १७ साल के गुजरने के बाद भी आज गांवों के आदमी पुलिस के सिपाही और महकमें का कोई विश्वास नहीं करते हैं। आज भी वे यह समझते हैं कि सिपाही हमारे सेवक नहीं है, हमारे रक्षक नहीं हैं बल्कि वे यह समझते हैं कि हमारी हकूमत है और इसका काम झूठे सच्चे मुकदमों में फंसाना है। मैं मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आज जो देहात में व्यवस्था है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं मेरे कहने का मतलब यह है कि आज देहात में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वे जो अपना अखलाकी फर्ज समझ कर, जो उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है, चाहे वह पुलिस का कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, उसकी इज्जत करता है, उसकी खातिर तवाजुह करता है। दूसरा वह तबका है जो देहात में पुलिस अधिकारियों को इसलिये खातिर तवाजुह करता है कि वह सिपाहियों को और थानेदार को आड़ बना कर, सीधी सादी जनता को लूटता है और वह जनता से १,०००/५०० रुपये कमाता है और १००/२०० रुपये पुलिस पर खर्च कर देता है और बाकी रुपया अपनी जेब के हवाले करता है। आज पुलिस में दूसरे किस्म के तबके की ही ज्यादा इज्जत है जिस से थानेदार को और पुलिस कर्मचारियों को आमदनी होती है और जो शरीफ तबका है, वह अपना अखलाकी फर्ज समझकर उनकी इज्जत करता है, उसकी बात का कोई वजन नहीं होता है। वह तबका इसलिये खातिर तवाजुह करता है कि पुलिस के माध्यम से वह जनता को लूटे और झूठे-सच्चे मुकदमें चलाकर वह जनता को परेशान करता है। आज हर गांव में पार्टी बन्दी है, चाहे वह ग्राम सभा की वजह से हो या जनरल इलेक्शन की वजह से हो, इसलिये एक पार्टी के लोग पुलिस को फेवर गेन करके मुखालिफ पार्टी के लोगों को झूठे सच्चे मुकदमों में फंसाते हैं। चोरी, डकैतियों में उनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। नतीजा क्या होता है? अगर मुकदमें में वह आदमी छूट भी जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने इसका चालान किया था इसलिये इसकी निगरानी अवश्य होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनमें यह साफ दिया हुआ है कि किसी भी शख्स के ऊपर पुलिस अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह यह पूछें कि वह कहां जाता है और क्यों जाता है। किसी को निगरानी करने पर मैं समझता हूं कि पुलिस का महकमा कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का मुलजिम है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। इसलिये जस्टिस टंडन, मुकर्जी, मनचन्दा, आयंगर और अस्थाना साहब ने रूलिंग्स १९६१ से आज तक दी हैं और उन्होंने कहा है कि किसी शख्स की आजादी में कांस्टीट्यूशन की रूह से कोई पुलिस अधिकारी दखल नहीं दे सकता है कि वह कहां जाता है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्यों जाता है। लेकिन इस के बावजूद आज देहात में क्या होता है ? थानेदार कह देता है कि हमने मुकदमे में चालान कर दिया, मुकदमा भले ही छूट गया, लेकिन हम निगरानी अवश्य करेंगे इसके माने यह हैं कि पुलिस के द्वारा कंटेप्ट आफ कोर्ट होता है।

इसके अलावा आप देखिये कि थानों में जो दरख्वास्तें जाती हैं उनमें से जो ऐसी होती हैं जिनके लिये पुलिस वाले यह समझते हैं कि आमदनी नहीं होगी, वे दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में पड़ी रहती हैं। लेकिन जो दरख्वास्तें ऐसी होती हैं जिनमें आमदनी होने की उम्मीद होती है तो उसमें लड़ाई होती है कि थानेदार इंक्वायरी को जाय, दीवान जी जायं या कांस्टेबिल जायं इसके अलावा झूठे सच्चे मुकदमें चलाये जाते हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया इन मुकदमों में मदद के लिये इनाम बांटे जाते हैं, लाइसेंस दिये जाते हैं। वह लोग कह देते हैं कि हमने आपके मुकदमें में गवाही दी थी इसलिये हमारी जान खतरे में है। उन्होंने अपने आदमियों को लाइसेंस दिला दिये। जब दूसरी तरफ भले आदमी दरख्वास्त देते हैं तो दरोगा जी कहते हैं कि १००/२०० रुपये दो तब सिफारिश लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। इसके अलावा मैं आपके पुलिस अधिकारियों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी समाजवादी व्यवस्था कैसी है। उसकी थोड़ी-सी मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं। जरा गौर कीजिये। माननीय मंत्री जी ने ब्लिटज पढ़ा होगा देखा होगा, २४ अक्तूबर में १३ पृष्ठ पर तफसील में चार्ज हैं। वह शायद माननीय मंत्री जी को भी दिया गया है और शायद उसकी मंत्री जी जांच कर रहे हों। लेकिन यह जो ताजमहल, लखनऊ के अन्दर बना है वह कैसे बना, उसके लिये पत्थर कहां से आया, लकड़ी कहां से आयी ? यह सब तफसील इसके अन्दर दी गयी है। लखनऊ में यह ताजमहल है श्री निगम डी० आई० जी० महोदय का है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि वह इस समाजवादी सरकार में एक ऊंचे अफसर हैं। अब दूसरा मामला सुनिये एक बेचारे छोटे कर्मचारी का कि उसको किस तरह इस समाजवादी सरकार ने अपना शिकार बनाया। श्री रिजवान अहमद, हेड कांस्टेबिल, मुरादाबाद पर चार्ज सिर्फ यह था कि एक शख्स को जिसको हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमें में, किसी चोरी, डकैती में नहीं, सिर्फ कत्ल के मुकदमें में बइज्जत बरी कर दिया था। वह इत्तिफाक से उस टी-पार्टी में आ गया जो थानेदार साहब के तबादले के सिलसिले में हो रही थी। श्री रिजवान अहमद पर यह चार्ज लगाया गया कि उन्होंने उसको एक मुसलमान होने के नाते से बुलवाया है, क्योंकि हेड कांस्टेबिल और मुकदमे से छूटने वाले दोनों मुसलमान थे। तो उन्होंने हेड कान्स्टेबिल पर यह चार्ज लगा दिया कि उन्होंने उसे चाय पार्टी में बुलाया था और चाय पर बुलाने के बाद इस चार्ज में २८ फरवरी, १९५६ को उसे नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। उस बेचारे नें डी० आई० जी०, बरेली, को अपील की और वह अपील २३ अगस्त, १९५६ को वहां से रेजेक्ट हो गयी। उसके बाद उसने आई० जी०, लखनऊ को अपील की और वह यहां से भी २० मार्च, १९५७ को रेजेक्ट हो गयी। इसके बाद उसने न्याय पाने के लिये हाईकोर्ट में रिट किया, जो वहां से २१ दिसम्बर, १९५९ को इस आर्डर के साथ नामंजूर हो गया कि इस मामले के लिये सिविल कोर्ट जाओ। तब उसने सिविल सूट फाइल किया जो तारीख ३ मई, १९६१ को रिजेक्ट हो गया। फिर उसने सिविल जज के यहां अपील किया जो २२ दिसम्बर, १९६१ को मंजूर हुई मय खर्च के। और साथ में यह हुक्म हुआ कि इसे हेड कांस्टेबिल की जगह पर वापस किया जाये। लेकिन उस फैसले के खिलाफ उस पुलिस फोर्स के उच्च अधिकारियों ने सरकार से हाई कोर्ट में अपील करवाई, जिसे कि २४ सितम्बर, १९६४ को हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और हेड कांस्टेबिल के पक्ष में अपना फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे सारा खर्चा मिलना चाहिये, लेकिन आज तक ६ मास गुजर चुके हैं। जो ८ साल से पुलिस के सरकारी अधिकारियों का शिकार बना हुआ है, ८ साल से फाके कर रहा है और कर्ज ले कर जाने कैसे अपना गुजर कर रहा है और ८ साल के बाद अब कामयाब हुआ है, लेकिन अब तक उस से नहीं कहा गया कि तुम्हारा क्या हिसाब है और तुम्हारी कहां पोस्टिंग हुई। तो यह है आपकी पुलिस सरकार का काम। मैं अदब के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ईमानदार आदमी को किस प्रकार तंग किया गया और भूखों

[श्री रियासत हुसैन]

मरने के लिये मजबूर किया गया और जिसको हाई कोर्ट ने साफ छोड़ दिया उसके साथ यह हालत है कि अब भी सरकार अपने रास्ते पर नहीं आ रही है। एक छोटे से अपराध के लिये उसको कितनी बड़ी सजा दी गई और अब भी सरकार जिद्द पर अड़ी हुई है। इसके दूसरे तरफ दूसरा नमूना है जो मैंने आपको पहले बताया कि मि० निगम डी० आई० जी० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इतना गड़बड़ घुटाला करने के बाद भी।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे १ मिनट और दे दें। अब मैं सुझाव देना चाहता हूं। अब मैं सुझाव यह देना चाहता हूं कि आप उनकी जरा तनख्वाह बढ़ाइये। इसके अलावा हर थाने के अन्दर कम से कम टेलीफोन अवश्य कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

बस अब आप बिलकुल समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

थोड़ा समय और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

बस अब कोई लाभ नहीं आप बोल नहीं पायेंगे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, सरकार के विभिन्न विभागों को देखते हुये पुलिस विभाग एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि सरकार प्रत्येक विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिये पुलिस का सहयोग अनिवार्य है। इसलिये मैं उचित नहीं समझता जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि पुलिस को काफी अधिकार दिये गये हैं। यदि पुलिस को अधिकार सम्पन्न नहीं रखा जायगा तो उनसे हमें प्रशासन सुविधापूर्ण ढंग से चलाने में मदद कैसे मिलगी? बिना अधिकार के वह विषम परिस्थितियों में कैसे काम कर सकेगी?

श्रीमन्, साथ ही साथ मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उसके अधिकार बढ़ाये जायें वहां सरकार तत्परता एवं सावधानी के साथ इस विभाग की देखरेख रखे। अगर ऐसा नहीं होता तो यह सम्भव हो सकता है कि इस विभाग में कोई दोष आ जाय और इस विभाग में शिथिलता आ जाय और अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक विभाग पर उसका प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमन्, मुझे और सब बातों को देखते हुये एक बात का ज्यादा संकेत करने की अभिलाषा हो रही है कि उधर के बहुत से माननीय सदस्य यह कहा करते हैं कि पुलिस कांग्रेस पक्ष वालों की कुछ हिमायत करती है या सहयोग देती है, यह सत्य नहीं है। मैं इसका ज्वलन्त उदाहरण आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। यदि ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि मैं जिले एटा से अकेला कांग्रेस का सदस्य हूं और विरोध में ७ सदस्य आये हैं। अगर हमारे विरोधी सदस्य हमारे स्थानीय एस० पी० की बुराई कर दें या यह कहें कि एस० पी० कांग्रेस की मदद करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वह हमारी हिमायत करते हैं और अगर बुराई नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमारे यहां के एस० पी० निष्पक्ष भाव से अपना काम करते हैं। यह एक ज्वलन्त उदाहरण मैंने अपने जिले का रखा जिससे यह साबित होता है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कहा करते हैं। बल्कि बात उल्टी है। मैं आपके माध्यम से एक यह भी बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में निःसंकोच मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार है। यह बात निर्विवाद है, लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि केवल काशीनाथ जी

मिश्र को छोड़ कर सब लोगों ने अपनी व्यक्तिगत बात कही। किसी ने कोई सुझाव माननीय गृह मंत्री के सामने नहीं रखा। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हर एक थाने के स्तर पर एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति की स्थापना की जाय और ऐसा किया जाय कि उसको कुछ अधिकार दिये जायं। जो थाने के स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक समिति बने वह थाने के स्तर पर जितनी शिकायतें हों उनकी जांच हो और उन शिकायतों को विभाग भी जांचे तब उस समिति की जांच का और विभाग की जांच का मुकाबला किया जाय। उसके बाद आरक्षी अधीक्षक द्वारा उस पर ध्यान दिया जाय। जिला स्तर पर जो जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति हैं वह लुंजपुंज पड़ी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति है उनको अधिकार दिये जायं जिस से वह कुछ काम कर सकें और उनको कुछ प्रोत्साहन मिल सके क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि जो जिला भ्रष्टाचार निरोधक समितियां हैं वह निरुत्साहित दशा में हैं और बहुत से सदस्य उस समिति की बैठक में भाग लेना पसन्द नहीं करते हैं। पर बात हमारे उस तरफ बैठने वाले भाई मानेंगे कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कभी भी भ्रष्टाचार करने में सफल नहीं हो सकता जब तक कि वहां के लोकल गैर सरकारी आदमी कोई उसका साथ न दें। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिलाधीश को ऐसा एक सर्कुलर जारी करना चाहिये कि वह यह मालूम करें कि प्रत्येक थाने के स्तर पर कितने दलाल हैं और कौन हैं। वे दलाल, जो समितियां मैंने कही हैं, उस में भाग न लें और न उनको सदस्य ही बनाया जाय और उन्हें दंडित करने के लिये कानून में प्राविधान किया जाय यदि ऐसा हो जाय तो मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार रुक सकता है और कुछ न कुछ इस से लाभ हो सकता है। यह भी आप करें कि जिले के स्तर पर जितने गजटेड अफसर हैं उन सबकी खुफिया जांच निरन्तर होती रहनी चाहिये। भ्रष्टाचार समिति के सदस्यों की खुफिया जांच होनी चाहिये। विधायक कैसे हैं इसकी भी जांच होती रहनी चाहिये। श्रीमन्, जहां से इस भ्रष्टाचार का जन्म होता है उस बात को मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमन् मैंने इस पर बहुत कुछ विचार किया है कि क्या कारण है कि हम इधर और उधर के बैठने वाले सदस्य अलापते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है? हमारे अधिकारी और कर्मचारी सब पढ़े-लिखे विद्वान हैं, उनको भी अपने उत्तरदायित्व का ध्यान है, फिर भी इस रोग का निराकरण नहीं हो रहा है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस का जन्म शिक्षा संस्थाओं से होता है। उधर के साथी अंग्रेजी को जितना कोसते हैं उतना अंग्रेजियत को नहीं कोसते हैं। जब तक शिक्षा की प्रणाली में अंग्रेजीयत का आमूल परिवर्तन नहीं किया जायगा इस भ्रष्टाचार रोग से हमको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। पहले तो शिक्षा इतनी खर्चीली हो गयी है कि हम इस वेश भूषा में बहुत से गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं और जो पढ़ते हैं वे लड़के जब निकलते हैं तो उनका जीवन स्तर इतना ऊंचा और खर्चीला हो जाता है कि छोटी-मोटी नौकरी से उनका जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता।

एक सदस्य----

यह शिक्षा पर बोल रहे हैं या पुलिस पर?

श्री रघुवीरसिंह---

मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कह रहा हूं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के टोकने से उखड़ नहीं सकता हूं। तो उनकी वेशभूषा और आदतें ऐसी बन जाती हैं कि उनको भ्रष्टाचार करने के लिये बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि आमदनी उनकी है नहीं। तो जब तक कि शिक्षा की प्रणाली में और शिक्षा संस्थाओं में ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जैसा कि पुरानी संस्कृति में था कि सादा जीवन, उच्च विचार, तब तक हमारे किये कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से

[श्री रघुवीरसिंह]

मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी इस बात को मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा दें कि शिक्षा संस्थाओं में कुछ अध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिये जिससे कि हमारे बच्चे पाप-पुण्य, कर्म, कुकर्म इत्यादि आचरण को समझ सकें और पाप और कुकर्म करने से डरते रहें। आज किसी आदमी को न तो अकर्मण्यता करने में ग्लानि होती है, न भ्रष्टाचार से उसको कोई गर्दन पकड़ कर से रोकना चाहे तो नहीं रोक पाता।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं जैसा कि अभी तक पुलिस की मैनुअल और पुलिस कोड आफ कंडक्ट उस शासन काल का है जब कि हम गुलाम थे, इसका आमूल परिवर्तन होना चाहिये। अगर नहीं होता है तो उसी ढांचे की पुलिस रहेगी जैसी कि अभी तक थी। हमारी पुलिस को अब अपने को जनता का सेवक समझना चाहिये। मैं निःसंकोच कहना चाहता हूं कि आज वह सेवक न समझ कर अपने को शासन करने वाला समझते हैं। उनको यह भी ध्यान नहीं होता कि हमको रक्षा का काम कितना करना चाहिये, हमारा उत्तरदायित्व कितना है। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक शोध होनी चाहिये कि लोग कानूनों में निपुण होते जा रहे हैं। उनको राय दे कर हमारे वकील मुकदमें की पेशबन्दी बना देते हैं। एफ० आई० आर० जब नाम से दर्ज होती है तो जानते हुये भी कि रिपोर्ट झूठी है पुलिस के अधिकारी, थानेदार या एस० पी० भी उसमें दखल देने में संकोच करते हैं कि इस में नाम दर्ज है तो कैसे क्या करें। इसके लिये हमें सोचना समझना है और कुछ कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुये सरकार को प्रत्येक गांव में २ लाइसेंस उदारतापूर्वक देने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पुलिस मंत्री जी ने १६,४६,२९,७०० का पुलिस अनुदान पेश किया और अपने विचार व्यक्त करते हुये जो यह बताया कि यह अनुदान पिछले वर्षों के अनुदानों से कम है, यह भी बतलाया कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में भी कम है और यह भी कहा कि फिर भी हमारे यहां पुलिस का इन्तजाम बहुत अच्छा है। परन्तु दूसरी तरफ उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सन् १९६२-६३ के मुकाबले १९६४-६५ में जुर्म बढ़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन जुर्मों के बढ़ने का फिर कारण क्या है? क्या माननीय मंत्री जी न इस पर भी विचार किया है? मंत्री जी को मालूम है कि उनकी पुलिस के इतने तत्पर होते हुये भी जुर्म बढ़ रहे हैं और जब ऐसा है तो जरूर कहीं कुछ खराबी है। मंत्री जी ने यह भी बताया कि उनके पी०ए०सी० और सी० आई० डी० विभाग बड़े सुन्दर हैं और बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि चम्बल की घाटी के जंगलों में जो आजकल पी० ए० सी० पड़ी हुई है, उनको वहां जो एक्स्ट्रा भत्ता मिलता था, उसको बन्द करके क्या सरकार ने उन्हें निरुत्साहित नहीं किया है और क्या उसका ही यह फल नहीं हुआ कि आज वहां डकैतों की भरमार है? खारों का कोई सुधार न होने के कारण आज भी चम्बल के खारों में डकैत राहत पा रहे हैं। परन्तु मंत्री जी कहते हैं पुलिस की व्यवस्था बड़ी सुन्दर है।

गांवों के बारे में मंत्री जी ने बताया कि पुलिस का इन्तजाम बड़ा सुन्दर है और जो खराबी है वह वहां के नेताओं के कारण है। मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि गांव में जो सामन्तवादी वर्ग के नेता हैं वे पुलिस के एजेन्ट हैं और पुलिस स्वयं उनको नेता बनाये हुये हैं और पुलिस सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं से प्रतिस्पर्धा की भावना रखती है। जो सही मुकदमें होते हैं पुलिस द्वारा उनको दबाया जाता है और मुकदमों में, गलत आदमियों को फंसा कर उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जाते हैं? गलत चालान किये जाते हैं। ऐसे केसेज में इन नेताओं की पुलिस सहायता

लेती है। एक ओर तो यह दलाल नेता पुलिस से गठबन्धन किये हुये हैं, गरीबों को चूस रहे हैं और दूसरी ओर पुलिस का यह रिवाज हो गया है कि चाहे किसी जुर्म की रिपोर्ट हो वह उसको ५०४/५०६ में ही दर्ज करती है और जिनमें उसको पैसा मिलता है, उनमें मामूली जुर्म को भी संगीन धारा के अन्तर्गत लिखती है। यही कारण है कि जुर्म दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। गांवों की गरीब जनता को न राहत है और न उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध है। जिस से प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची है। ऐसा लगभग प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस कर रही है। अतः उदाहरणार्थ मैं फतेहपुर जिले की कुछ घटनाओं को प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, फतेहपुर जिले में आये दिन डकैतियां तथा कत्ल आदि की घटनाओं की भरमार मची है। लगभग सभी मुकदमें जो चलाये जाते हैं छूट जाते हैं। मैंने एक प्रश्न किया था, उसमें बताया गया कि फतेहपुर जिले के थरियांव थाने में १९६२-६३ में १० कत्ल, ८ डकैती, १७६ चोरियां हुईं। इन में से केवल ३ चोरियों के केस ही कामयाब हो पाये बाकी सब डकैतियां, कत्ल और चोरियां छूट गयी हैं। मैंने यह भी प्रश्न किया था कि फतेहपुर कोतवाली में ६ डकैतियां, १३ कत्ल, ५२३ चोरियां हुई, उनमें केवल १ कत्ल, २ डकैती और १४ चोरियों में कामयाबी हुई है। इस तरीके से जो डकैतियां व कत्ल करने वाले मुल्जिम छूटे, उसके सम्बन्ध में या तो यह कहा जा सकता है कि ये मुकदमें गलत आदमियों पर चलाये गये या पुलिस ने मुल्जिम से मिलकर छूटने में उनकी मदद की। श्रीमन्, और बातें जाने दीजिये, सुरक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी व पुलिस थानेदार खुद जुर्म करते हैं। अभी हाल का किस्सा है कि एक थानेदार श्री सुरेश सिंह थाना हथगाम, जिला फतेहपुर ने एक गरीब कहार की स्त्री कमला देवी के साथ बेजा हरकत की, ५ नवम्बर, १९६४ को उसका बयान परगनाधीश, फतेहपुर के यहां हुआ, इस तरह से उसकी दुर्दशा की गई थी कि उसको टिटनेस हो गई और वह मर गई। उसकी शिकायत व सबूत भी हुआ, लेकिन न आज तक उस दरोगा को सस्पेंड किया गया और न उसके खिलाफ कोई ऐक्शन हुआ। यही नहीं एक थानेदार श्री जवाहरलाल कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने ग्राम गलाथा, जिला फतेहपुर की १,८०० बीघा जमीन में से ४००–५०० बीघा जमीन अपने व अपने परिवार के नाम फर्जी नीलाम द्वारा दो हजार में ली और दूसरे लोगों को डरा कर नीलाम के पास से भगा दिया, जब कि उस जमीन के ३०० बीघा की ११,००० रुपये कीमत लग रही थी, इस तरह से पुलिस प्रशासन में बहुत ही बड़ा पक्षपात व भ्रष्टाचार है, भले ही हमारे माननीय मंत्री जी, इसके सुधार में चाहे जितनी बड़ी दिलचस्पी लेते हों। भ्रष्टाचार, पक्षपात और मुल्जिमान से मिलकर उनको बचाना पुलिस का मुख्य कर्तव्य बन गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस कप्तान किस काम के लिये जिलों में मुकर्रर किये गये हैं, क्या उनका काम नहीं है कि वे जिले के थानेदारों को देखें और उनकी गल्तियों पर उन्हें सजा दें, नियंत्रित करें, जनता को राहत पहुंचायें? लेकिन मैं देखता हूं कि फतेहपुर के पुलिस अधिकारी और एस० पी० जितने हैं, वह जब कभी किसी थानेदार के खिलाफ कोई शिकायत होती है, तो उसका पक्ष लेते हैं और जनता की शिकायतें रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। मान्यवर, पुलिस प्रशासन में अनुदान और फोर्स की कमी के कारण खराबी बताना उचित दलील नहीं बल्कि खराबी का कारण पक्षपात व भ्रष्टाचार है। अतः जो जुर्म होते हैं, उनको रोकने का प्रबंध होना चाहिये। जहां तक इस पुलिस विभाग में अछूतों के रिजर्वेशन का सवाल है, पुलिस विभाग में प्रथम तो रिजर्वेशन शून्य के बराबर हैं। दूसरे जो थोड़े से हरिजन थानेदार माननीय पंत जी ने रखे थे, उनमें से १९६१–६२ में ३०० के करीब निकाल बाहर कर दिये गये। अभी नवम्बर १९६४ में होमगार्ड में स्टाफ आफीसरों का चुनाव हुआ, उसमें क्वालीफाइड हरिजन आदमी आये थे, लेकिन ४८ जगहों में से ४० सवर्ण और केवल २ अछूते रखे गये, जब कि उसमें से बहुत से हरिजन बी० ए० पास भी थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस गरीब व पददलित वर्ग की सुरक्षा के लिये पुलिस की आवश्यकता है, उस गरीब वर्ग की कोई रक्षा नहीं हो रही है और जिनको सरकार ने बराबरी के स्तर पर लाने के लिये संरक्षण दे रखे है, उन हरिजनों को इस पुलिस

[श्री रघुबीर सहाय कैथवार]

विभाग में कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से नम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से मंत्री जी पुलिस को नियंत्रित करने में अपनी विलक्षण योग्यता का परिचय दे रहे हैं, उसी तरह गरीबों, पददलितों की फतेहपुर की भांति जहां पुलिस और उसकी दलाली करने वाले उन्हें तबाह कर रहे हैं, वहां उनकी रक्षा की ओर भी ध्यान दें। परन्तु दुःख है कि जब मंत्री जी २० अक्तूबर, १९६४ को फतेहपुर पधारे थे, मैंने उनसे बताया था कि गरीबों की रक्षा का यहां कोई प्रबन्ध नहीं है। गरीब तबाह हैं, परेशान हैं, कत्ल व डकैतियों की भरमार है, तो मंत्री जी ने कहा था कि प्रजातंत्र बड़ा कमजोर होता है, आज मैं ही बैठा हूं मुझे कोई गोली मार दे, तो क्या किया जा सकता है? तो इस तरह की बात से कैसे गरीबों की रक्षा की जा सकती है? मेरा सुझाव है कि जो घटनाएं गांव या शहरों में घटती हैं, उनकी कम से कम सही रिपोर्ट लिखने का आदेश तो आप अपने अधिकारियों को देंगे दूसरी प्रार्थना यह है कि वह सही मुकदमें चलाने के लिए पुलिस को सख्ती के साथ आदेश दें, ताकि जुर्मों में कमी हो और जनता को राहत मिले।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन् हमारा एक निवेदन है। यह पुलिस कोई लखनऊ या लखनऊ के आसपास के जिलों में ही तो नहीं है..

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये आपकी पार्टी के २ आदमी बोल लिये, अब हर जगह पर राधेश्याम शर्मा जी बोलना चाहें, तो यह तो नहीं हो सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

नहीं आप बतावें कि मेरठ और आगरा डिवीजन के किसी भी एक आदमी को आपने बोलवाया है, तमाम पूर्वी जिलों का भाषण करा रहे हैं। मेरठ और आगरा डिवीजन से किसी को नहीं बोलवाया है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं आप बैठिए।

श्री राधेश्याम शर्मा--

आगरा, एटा, बुलन्दशहर, मेरठ जिलों के लोग भी अपने यहां की बातें रखना चाहते हैं, तो आप कृपा करके माननीय लखीसिंह जी को जरूर मौका दीजिए, हमारे यहां की बहुत बड़ी समस्या है...

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें कृपा करके।

*श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान के मौके पर बोलने का अवसर दिया। जो गृह मंत्रालय है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके आजकल जब कि हमारी सीमा पर संकट आया है और हमारी सीमा पर पी० ए० सी० के जवान और अधिकारी जिस तत्परता से काम कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। पुलिस के बारे में भ्रष्टचार की बात, भ्रष्टाचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह पुलिस अधिकारी जो हैं, यह कहां से आये? यह हमारे आपके ही इधर बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, मामा, भतीजे, साले, बहनोई, चाचा, ताऊ तो हैं। हम राजनीति में आ गये तो हम पर ईमानदारी की मोहर लग गई और ये सर्विसेज में चले गये, तो बेईमान हो गये? बेईमान और ईमानदार अधिकारियों में भी हो सकते हैं और हम लोगों में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने गरेबां में झांक कर देखना होगा कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी कितनी महसूस करते हैं। श्रीमन्, पहले ब्रिटिश रूल में पुलिस स्टेट थी, आजकल प्रजातंत्र है, हमको राइट्स मिले और साथ ही साथ ड्यूटीज भी मिलीं, लेकिन राइट्स के लिए तो हम व्याकुल हो गये, राइट समझने लगे, लेकिन अपनी ड्यूटीज के बारे में कुछ नहीं जान पाये। जब तक हम अपनी ड्यूटीज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इसी तरह की बातें पैदा होती रहेंगी। श्रीमन्, एक बात और कही जाती है कि मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया जाय। हमारी पुलिस के ३ अंग हैं—सिविल पुलिस, सी० आई० डी० और पी० ए० सी०। तो श्रीमन्, यह भी बात मेरी समझ में नहीं आई कि सी० आई० डी० और पी० ए० सी० के आदमी तो ईमानदार हैं, सिविल पुलिस के आदमी बेईमान हैं। वही सिविल पुलिस का आदमी जब सी० आई० डी० में पहुंच जाता है, तो ईमानदार हो जाता है, जिसके लिये बराबर मांग की जाती है कि इस मामले को सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया जाय, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है? हम लोगों को उन परिस्थितियों को भी देखना चाहिए कि आजकल डकैतों के सामने, उनकी गोलियों का मुकाबिला भी हमारे थाने के थानेदार या सिपाही करते हैं और गोलियां खाते हैं। यहां हम लोग रात में अपने घरों में आराम से लेटे रहते हैं। पुलिस वाला बुलाने भी आता है तो हम पीछे रहते हैं। सरकार ने पिछले वर्ष यह जो एलान कर दिया कि पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी कोई यदि एनकाउन्टर में मारा जायेगा तो उसकी बेवा को ५८ साल तक पेन्शन मिलती रहेगी। इससे उनके उत्साह में वृद्धि हुई है कि सरकार ने उनके घर वालों की लायबेलिटी ले ली है। उनकी बेवा को पेन्शन मिलती रहेगी यह सरकार का बड़ा अच्छा कदम है। इससे उनके मारेल में भी वृद्धि हुई है।

श्रीमन् जैसा कि कहा गया है कि क्राइम्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आये, उससे ही हम इसका अनुमान न लगा लें। श्रीमन् पहले रिपोर्टें बहुत कम लिखाई जाती थीं। अब रिपोर्टें थाने में लिखाई जाती हैं, वे आंकड़े उसी की वजह से बढ़े हैं। श्रीमन्, मैं गृह मंत्री के बारे में यह जरूर कहूंगा कि उन पर जो बात कही जाती हैं वे उस पर प्राम्प्ट ऐक्शन लेते हैं। इसका नतीजा यह है कि डी० एस० पी० और एस० पी० आदि सब सतर्क रहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में शाहजहांपुर की इन्स्टान्स देता हूं। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में गड़बड़ी हुई थी तो मैंने उसके बारे में गृह मंत्री जी को लिखा। उन्होंने तुरन्त वहां के एस० पी० को कान्टेक्ट किया और मेरी बात की ताईद होने पर सदर बाजार के थाने के थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकार शाहजहांपुर जिले में कुछ शिकायतें एक दारोगा के विरुद्ध आईं। उसके बारे में चालीस, पचास आदमी मेरे पास आये। मैं उनको लेकर गृह मंत्री के पास गया। उन्होंने एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों को फोन किया। उनसे सब हालात मालूम किया। मालूम करने के बाद उन्होंने तुरन्त कार्यवाही के लिये उनसे कहा। एस० पी० ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया। सी० आई० डी० की इन्क्वायरी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि सी० आई० डी० को भी काफी सबूत मिल रहे हैं और जैसी बात मैंने कही वह वैसी हो गई। यह जरूर है कि कहीं-कहीं अधिकारी या कर्मचारी बेईमानी की जहनियत से काम करते हैं जिससे हमें यहां पर सुनना पड़ता है। श्रीमन्, मैं उसकी भी एक मिसाल दे देना चाहता हूं और मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि उस मामले को देखें। मेरे पड़ोस में दातागंज थाना, जिला बदायूं में किसी व्यक्ति की गोली से एक सुनार का लड़का अस्पताल के सामने मर गया था। वहां के जो उस समय इंचार्ज थे उन्होंने एक बन्दूक सील की, जिससे मर गया था। बाद को उन्होंने बन्दूक की सील फाड़ कर फेंक दी और बाद में बहादुर सिंह नाम के आदमी को बुला कर बन्दूक सील की और चलान कर दिया। टूटी हुई सील

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

और रिश्वतखोरी की बात बहुत कही गई, मैं आपके द्वारा केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी ठेकेदार के हाथ लग गई। किसी सिपाही या मुंशी ने दे दी है। जब जज के सामने मुकदमा पेश हुआ और सील पेश की तब जज साहब ने मुकदमा छोड़ दिया। अगर यह बात सही है तो मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बेईमान दारोगा को जरूर दण्ड दें जिससे हमारे खिलाफ कहने वालों को मौका न मिले। श्रीमन्, मैं एक बात और कहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग के कारण बहुत डिफिकल्टीज हैं। हमारे हर दस हजार आदमी के पीछे एक पुलिस कर्मचारी है। आजकल के जमाने में जब कि हमें आजादी मिल गई है और सोचने का तरीका भी बदल गया है। पुलिस फोर्स कम है हालांकि थोड़ी-थोड़ी बढ़ाई जा रही है। थानों में सम्भव हो सके तो टेलीफोन का इन्तजाम कर दिया जाय क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। पी० ए० सी० की मदद के लिये या अन्य अधिकारियों से कन्टेक्ट करने के लिये, टेलीफोन न होने पर देरी हो जाती है। इसी तरह से बहुत से पुराने थाने नदी के किनारे हैं या सर्किल के मध्य में नहीं हैं। यह ब्रिटिश रिजीम में बने। मैं चाहूंगा कि थाने जहां तक हो सके सेन्टर में हों ताकि आसानी से कान्टेक्ट हो सके। मंत्री जी ने बताया कि कुछ थाने और चौकियां बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह बढ़ ही रहे हैं तो थाना जैतीपुर में गढ़िया रंगी गांव में एक चौकी खोल दी जाय तथा थाना परौर में खजुरी गांव में एक चौकी स्थापित करना चाहिये। वहां रात में गाय-बैल बहुत खोले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री विजयसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, हम तो उठते बैठते थक गये...

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। अभी माननीय राधेश्याम जी ने कहा था पूर्वी जिले के माननीय सदस्यों को ही बुलवाया जा रहा है यह गलत है।

श्री विजय सिंह—

श्रीमन, मैं माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज के युग में पुलिस का जो सम्पर्क जनता के साथ है वह सब को भली भांति विदित है। मेरी राय में समाजवादी विचारधारा में इसका संगठन कैसा हो इस बात पर सोच विचार करके पुनः संगठन होना चाहिये। अभी तक पुलिस का जो संगठन है वह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है जिसके मूल आधार पर परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। आज समाज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और पुलिस संगठन व उसके आचार-विचार पुराने ही हैं उनमें मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। आज जो अपराधों की संख्या बढ़ रही है जैसा कि पुस्तिका में दिया हुआ है, उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर यह बात अवश्य है कि जनता का पुलिस विभाग के प्रति विश्वास घट गया है। मान्यवर, उसका मुख्य कारण यह भी है कि ईमानदार आदमी जो इस विभाग में हैं उनको उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा जिसके बारे में वह और विभाग के लोग विचार करें और मुझे उस बारे में जवाब दें। आपके यहां ४ प्रकार का रेक्रूटमेंट होता है, सिपाही, सब-इन्सपेक्टर, प्राविन्शियल लेबिल पर डी० वाई० एस० पी० और केन्द्र से आई० पी० एस० अफसर। मान्यवर, पुलिस विभाग में सिपाही को आपने कभी एस० पी० होते नहीं सुना होगा और कभी किसी दरोगा को आई० जी० या डी० आई० जी० होते नहीं देखा है इसलिये उन्हें कोई प्रोत्साहन की गुंजायश नहीं है। दरोगा यदि अपने पद से एक भी I. G. या D. I. G. हुआ होता तो उससे उसको ईमानदारी

से काम करने में प्रोत्साहन मिलता। जैसे मिलिटरी में आप देखते हैं कि एक सिपाही अपनी योग्यता के आधार पर सी–एन–सी तक हो सकता है। इसकी मिसाल हर जगह आपको मिलेगी, हमारे यहां भी माननीय कमांडर इन चीफ कैरिअप्पा की मिसाल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बारे में सरकार अपनी विचारधारा बदले और निश्चय करे कि सर्वश्रेष्ठ पदों पर दरोगा भी पहुंचने पायेंगे। रेक्रूटमेंट में एक व्यवस्था यह है कि सब-इन्स्पेक्टर का एक ही काडर है पूरे प्रान्त का। जब सब-इन्स्पेक्टर एक जिले से दूसरे जिले में जाता है तो वह इंचार्ज की जगह सब-इंचार्ज बना दिया जाता है। कभी-कभी एस० पी० अपनी इच्छा से इंचार्ज दरोगा को भी सब-इंचार्ज बना देते हैं क्योंकि वह S. P. की इच्छा से अनुचित कार्य नहीं करता है। अगर उसका इंचार्ज काडर स्थायी होगा उसे विश्वास होगा कि वह इंचार्ज से सब इंचार्ज नहीं बनाया जायगा तो वह अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि उसका स्थान निश्चित होना चाहिये। एक इंचार्ज का और दूसरे सब-इंचार्ज का मामला एस० पी० की स्वीट बिल पर डिपेंड करता है। इसलिये एस० पी० जो चाहता है वही दरोगा करता है चाहे उसकी कांशेन्स उस काम के लिये अलाऊ न भी करे। जो स्ट्रांग और ईमानदार आदमी होते हैं उनको विभाग में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार इन दो काडर्स के बारे में भी विचार करे।

इसी तरह से प्रान्तीय स्तर पर डी० एस० पी० का रेक्रूटमेंट होता है उनकी पे वगैरह तथा और पदोन्नति, उनके नेचर आफ वर्क को देखते हुए बढ़नी चाहिये। तीसरी बात यह है कि एस०पी० की स्वीट बिल पर पूर्णतः सी० आई० की पोस्ट की पदोन्नति निर्भर करती है कि वह किस सब-इन्स्पेक्टर का नाम रिकमेन्ड करे सी० आई० होने के लिये। मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था के बदले यह होना चाहिये कि एक परीक्षा ली जाया करे ताकि ईमानदार और मेहनती आदमी अपनी योग्यता के आधार पर उस प्रतियोगिता में आ सकें और पदोन्नति प्राप्त कर सकें। निष्पक्ष परीक्षा दरोगा लोगों में इंचार्ज केडर तथा सी० आई० पद की होनी चाहिये।

सेलेरीज के बारे में मुझे यह कहना है कि जो तनख्वाह दरोगा को मिलती है वह प्रारम्भ में १५० रुपये मिलती है और सिपाही को तो और भी कम मिलती है। आपके यहां इसी प्रकार के एक स्टेटस के हिसाब से उसका यानी दारोगा का खर्चा अधिक होता है। उसको जो अलाउन्स मिलता है वह भी कम है। एस० पी० को सरकार ७५ रुपये सवारी का घोड़ा का अलाउन्स देती है और सब-इंस्पेक्टर को ३५ रुपये ही मिलता है। समाजवादी व्यवस्था में इस प्रकार का भेद नहीं होना चाहिये। घोड़ा एक प्रकार का ही दाना खाता है, एक प्रकार का सईस रखा जाता है और बाजार भाव भी एक ही है। मैं चाहूंगा कि वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होना चाहिये और जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं उनके बारे में वह जवाब देते समय बतायें कि उनका उस बारे में क्या विचार है। मैं चाहूंगा कि पुलिस का जो कोड आफ कंडक्ट है उसे कुछ बदलना चाहिये और नया होना चाहिये, जो रेक्रूटमेंट का तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है उसमें रद्दोबदल होना चाहिये। ताकि जो लोग चुन कर आयें वह ठीक से काम करें। उनका नैतिक स्तर उच्च रहे। इस विभाग में अपराध में इनवेस्टीगेशन और करप्शन की जानकारी का पुराना तरीका ही चल रहा है। मैं चाहूंगा कि पुलिस में इस काम के लिये जो अच्छे अफसर हों उनको दूसरे प्रदेशों में ऊंची ट्रेनिंग के लिये भेजा जाय। दूसरे देशों में जायें। मिसाल के लिये हमारे बम्बई की सी० आई० डी० अपराधों की छानबीन करने में मशहूर है। अतः अच्छे अधिकारियों को वहां ट्रेनिंग के लिये भेजा जाय ताकि वह अपने काम में दक्ष हो सकें। बड़े लोगों को रूस, अमेरिका और इंगलैण्ड भेजा जाय। अभी तक इस विभाग की सी० आई० डी० विंग में जनता का विश्वास जीवित है, और जो अच्छे लोग हैं वह इसमें जाना चाहते हैं क्योंकि वहां काम करने का मौका मिलता है। उनकी ईमानदारी की, परिश्रम की और सच्चरित्रता का पुरस्कार मिलता है। आपके यहां सी० आई० डी० बहुत कम हैं, मैं चाहूंगा कि उसकी स्ट्रेंग्थ जिले-जिले में बढ़ा देना चाहिये ताकि जरायम की जानकारी जल्दी हो सके। सी० आई० डी० का सीधा सम्पर्क माननीय मंत्री जी से होना चाहिये। आई०जी० और

[श्री विजयसिंह]

डी० आई० जी का जो काम है उसके अलावा उनको यह भी करना चाहिये कि ६ महीने तक बराबर जगह-जगह जाकर सरप्राइज विजिट करें। यदि ऐसा किया गया तो सम्भवतः पुलिस व्यवस्था में और उसके काम में कुछ सुधार हो सके।

अब मैं अपने बुन्देलखंड के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां १, १ महीने में १२ कत्ल हुए, किडनेपिंग हुई। मैं नहीं कह सकता कि पुलिस की क्या कमियां हैं, लेकिन यह जरूर है कि यह मसला अहम है। चम्बल तथा अन्य नदियों की रेवाइन्स में डाकू रहते हैं इसलिये या तो वहां सी० आई० डी० बढ़ायें या जो टुकड़ी लगी हुई है उन्हें और बढ़ायें नदियों के किनारे, उनको यातायात के उचित साधन न होने के कारण पुलिस को जानकारी नहीं होती। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको पोर्टेबिल ट्रांसमिटर्स देना चाहिये, टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये। क्योंकि मैं जानता हूं वह क्षेत्र ऐसा है जहां आदमी का पहुंचना आसानी से मुश्किल है। इसलिये आवश्यक है कि मोबाइल और पोर्टेबिल ट्रांसमिटर्स वहां दिये जायं जिसमें उनकी गति विधि जानी जाती रहे।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि थाने का जो वर्क लोड है उसको १ थानेदार नहीं कर सकता। आप उससे चाहे पेपर वर्क ले लें या मंत्रियों के दौरे आदि का प्रबन्ध का काम ले लें। जब कभी कोई मंत्री जाता है तो सारा पुलिस विभाग उस क्षेत्र का उनके काम में लग जाता है, जब विभाग आपकी सर्विस में लग जाते हैं परिणाम यह होता है कि वह अपना मुख्य काम करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिये थानों की संख्या बढ़ाइये और जो बड़े थाने हों उनका क्षेत्र कम करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

श्रीमन मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने खयालात को रखने का मौका दिया। पुलिस पर जो बजट आज हमारे सामने है इसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे लायक दोस्त केशरी प्रसाद जी ने जिस तरह से शुरू किया, मैं समझता था कि वह लायक आदमी हैं कोई काम की बात कहेंगे जिससे कुछ फायदा होगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने ऐसे जाती हमले और एतराजात किये जो इस सदन में नहीं होने चाहिये थे। हम धन्यवाद देते हैं काशीनाथ जी को कि उन्होंने इसे जरा सा मोड़ दिया, वरना जी चाहता था कि सदन छोड़ कर चले जावें। उन्होंने रिआर्गेनाइजेशन की बात शुरू की। यह हर एक के मन की बात उन्होंने कही। जैन साहब की सदारत में एक कमेटी बैठी थी जिसकी कुछ सिफ़ारिशात पर अमल भी हुआ है मगर अभी बहुत सी उसकी सिफ़ारिशात बाकी हैं जिन पर गौर होकर अमल होना जरूरी है। हम अभी पूरे तौर पर मुतमइयन नहीं हैं। उसकी तमाम सिफारिशों पर गौर होना चाहिये।

हम २, ३ साल से सुनते आ रहे हैं कि सर्किल इंस्पेक्टर की जगह तोड़ी जा रही है। डी० आई० जी० की पोस्ट तोड़ने की भी बात कही गई। यह मेरे खयाल में एक बहुत ऊंचा सवाल है कि कोई अफसर ही न रखा जाय। लेकिन जहां तक सर्किल इंस्पेक्टर की बात है, यह पोस्ट बिल्कुल गैरजरूरी है। उसे हटा देने में कोई हर्ज नहीं है।

यह भी कहा गया कि मंत्री जी टेलीफोन कर देते हैं। अगर किसी को मुश्किल पड़े और वह आकर मंत्री जी से कहे और मंत्री जी उस पर तवज्जह देते हुए टेलीफोन इस्तेमाल करें तो फिर यह कहना मुनासिब नहीं है कि टेलीफोन कर देते हैं। आखिर यह टेलीफोन है किस लिये अगर उसका यह भी इस्तेमाल न हो सके कि आनरेबिल मेम्बर या जनता के प्रतिनिधि आकर शिकायत करें और मंत्री जी उसकी जांच भी न करावें? छोटे पैमाने पर बहुत सी बातें सामने आती हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे सारे सूबे के लेविल पर कह देना कि सारी पुलिस निकम्मी है और जो ईमानदार हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। ये दोनों बातें एक ही सांस में कैसे कही जा सकती हैं कि सारी पुलिस खराब है और कुछ अच्छे भी हैं? ये दोनों बातें आपस में टकराव करती हैं। सी० आई० डी० के लिये

कहा गया कि मंत्री जी उन्हें बहुत काम दे देते हैं। यह भी कहा गया कि वह ईमानदार लोग हैं। तो इसके लिये फिर मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये। सी० आई० डी० अगर गैरजानिबदाराना जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने रख दे तो उन्हें बधाई देना चाहिये।

सन् १९५९–६० में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का बजट ९ करोड़ ४१ लाख कुछ का था और अब यह १६ करोड़ ४६ लाख कुछ का हो गया है। यानी, करीब दुगुना हो गया है। लेकिन मंत्री जी खुद बयान कर चुके हैं कि जरायम की रिपोर्ट बढ़ी हैं। मैं मानता हूं कि उसकी वजूहात में जाने की जरूरत है। लेकिन तादाद ज्यादा इसलिये भी है कि जब से चौधरी चरण सिंह जी इस महकमे के इंचार्ज थे तब से रिपोर्टें लिखी जाती हैं, किसी को लौटाया नहीं जाता है। उनका कायम किया हुआ तरीका अब भी कायम है। उसके लिये कांग्रेस हुकूमत धन्यवाद की मुस्तहक़ है।

जो अमला पुलिस में काम कर रहा है उसे बेईमान कह देना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं उनको जरा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि उनको कुछ सहूलियतें दें। हम उन्हें कम तनख्वाह देते हैं, जिस क्वार्टर में वह रहते हैं, वह खराब हालत में है, पुराना अंग्रेजी जमाने का ही बना हुआ है। इरिगेशन में, ब्लाकों में, तमाम महकमों में इमारतें बन रही हैं, लेकिन पुलिस में कोई थाना नया बनते हम ने नहीं देखा।

अनेक सदस्य—

बन रहे हैं।

काजी जलील अब्बासी—

बन रहे होंगे, आपने देखे होंगे, जब आपका बोलने का मौका आवे तब कहियेगा।

ताजीरात हिन्द बदलने की बात भी कही गयी। मैं इस से इत्तिफाक करता हूं। उस के लिए यह कहा गया है कि १०९, ११० और १०७ दफा निकाल दी जाय, मैं इस से मुत्तफिक नहीं हूं। क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ तब्दीली करनी होगी। वरना इनार्की हो जायगी। मैं समझता हूं कि मन्त्रीजी किसी मुखालिफत की परवाह न करें और अगर कोई दारोगा गलती करता है तो उसे सख्त वे सख्त सजा देना चाहिये जैसा कि मन्त्री जी करते भी हैं। माननीय रफी अहमद किदवई साहब का जमाना हमें याद आता है जब कि वह पुलिस मन्त्री थे। मैं मन्त्रीजी से कहूंगा कि उनकी एक बात अपना लें कि कभी-कभी खुफिया दौरा करके मालूमात किया करें। इस से काफी फायदा पहुंचेगा।

एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि शराफत हुसैन साहब ने पाकिस्तान को चीन के लेविल पर रख दिया है। पाकिस्तान कभी हम से लड़ने के लिए नहीं आया है।

अनेक सदस्य—

काश्मीर में कितना हिस्सा दबा रखा है और रोजाना जो छेड़छाड़ करता रहता है?

काजी जलील अब्बासी—

आप का मौका आवे तब कह लीजियेगा।

मैं यह नहीं कहता कि पाकिस्तान से कोई उनसियत है। क्योंकि चीन का हमसे झगड़ा काफी बड़े पैमाने पर है। यह कहना गलत है कि बातचीत हम नहीं करते। बातचीत वह नहीं करते हैं। हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वह ऐग्रेसर है, कोलम्बो प्लान मौजूद है और वह हम से बातचीत भी नहीं करता है, उसको भी नहीं मानता। जब जब पाकिस्तान वाले बातचीत करते हैं तो हम भी बातचीत करते हैं जब वे बातचीत नहीं करते तो हम भी नहीं करते। (एक आवाज) लोगों को बिला वजह जेलों में क्यों बन्द कर

[काजी जलील अब्बासी]

रखा है। आप लोग अगर यह समझते हैं कि उन को गलत बन्द कर रखा है तो बात दूसरी है, लेकिन सही बात यह है कि आप लोग भी यह समझते हैं कि किसी वजह से उन को बन्द किया गया है।

ग्राम सुरक्षा समितियों की ओर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे रक्षा के लिए बहुत काम कर रही हैं। हमें उन की तरफ और ज्यादा तवज्जह करनी चाहिये। इस के अलावा फायर ब्रिगेड की तरफ भी मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खलिहानों में आग लगा दी जाती है, लेकिन उस की कोई बचत हम कर नहीं पाते। इसलिए फायर ब्रिगेड को बढ़ाने की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा।

श्री रामसिंह (जिला एटा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय सदस्य श्री जे० पी० मिश्र ने गृह मन्त्री के बहुत बड़े अचीवमेंट्स के लिए उन को पुरस्कृत किया और उन्होंने यह भी कहा कि उनके गृह मन्त्रित्व काल में कोई कम्युनल रायट नहीं हुआ, लेकिन उस के साथ ही साथ और जो नये तरीके से जरायम पैदा हो गये हैं, उनका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। मैं एक बहुत ही गम्भीर जुर्म की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसका जिक्र आई० पी० सी० में भी नहीं है। डकैत लोग लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और बाद को फिरौती देने पर छोड़ते हैं। अगर उन की गिरफ्तारी हो जाती है तब ही उन पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन फिरौती का कहीं जिक्र तक नहीं है। कभी-कभी उन लोगों को जान से भी मार दिया जाता है। यह नया जुर्म माननीय मन्त्री जी के जमाने में ही पैदा हुआ है, इसका श्रेय उन्हीं को है।

एक बात यह कही गयी कि डकैतियां कम हो रही हैं। डकैती में कमी होने का मुख्य कराण यह है कि जिलों में आर्म्स के बहुत से लाइसेन्सेज इश्यू किये गये हैं। उन के द्वारा जनता अपनी रक्षा स्वयं कर लेती है, पुलिस या बाहर वालों की उसको जरूरत नहीं पड़ती। इस कारण से डकैतों के मन में यह शंका पैदा हो गयी है कि अगर हम डकैती डालने जायेंगे तो गोली चलने में हो सकता है हम भी मारे जायं और मारे भी जाते हैं। इसलिए देहात में और अधिक लाइसेन्सेज आर्म्स के दिये जाने चाहिये क्योंकि इस से जनता में अपने पैरों पर खड़े होने का आत्म बल आता है। यह कहा जाता है कि जुर्म कम हो गये, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जुर्म तो अभी भी उतनी ही तादाद में हैं बल्कि उस से ज्यादा बढ़ गये हैं। आप को मालूम है कि जितनी रिपोर्ट थाने में जुर्म की दर्ज होनी चाहिये, उतनी दर्ज नहीं होतीं। कुछ तो ऐसा आदेश है और कुछ थानेदारों को अपनी इज्जत का खयाल रहता है जिस से वे रिपोर्टों को दर्ज नहीं होने देते। जितनी चोरियां व डकैतियां होती हैं, उनको दबाया जाता है जिससे उन की बदनामी न हो जाय और यह साफ जाहिर हो कि उनका प्रबन्ध अच्छा है और जनता खुशहाल है। रिपोर्ट को इसलिए दबाया जाता है जिस से जाहिर हो कि जनता में इस तरह के केसेज काफी नहीं हैं, लेकिन वास्तव में जनता में इस तरह के केस ज्यादा हैं और बराबर होते ही रहते हैं और एक तरह से प्रदेश में अशान्ति और अव्यवस्था पैदा हो गयी है।

(इस समय ४ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

उस के साथ ही एक बात और है। पुलिस जिन लोगों पर अत्याचार करती है, वह इस कदर बढ़ रहे है कि अगर कोई शख्स इस्तगासा दायर करने जाता है तो वहां भी रिश्वत के बिना काम नहीं होता है और इस तरह से वहां भी भ्रष्टाचार है। ज्यादातर केसेज में हम देखते हैं कि पुलिस जब किसी रिश्वत के मामले को पकड़ती है तो रिश्वत मिल जाने पर उसे दूसरे दिन छोड़ देती है और इसी तरह से किसी व्यक्ति को इस्तगासा दायर करने की तब तक इजाजत नहीं दी जाती है जब कि वह इस के लिए सरकार से इजाजत न ले ले। देखा गया है कि ऐसे केसेज में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है और उन को इस्तगासा दायर करने की इजाजत बिलकुल नहीं मिल

पाती है। उसका कारण यह है कि जिस वक्त कोई अपनी दरख्वास्त कुल सुबूत और वाक्यात के साथ पेश करता है तो वह आई० जी० से डी० आई० जी० और डी० आई० जी० से होते-होते कप्तान के पास आती है और वहां से धीरे-धीरे वह उसी थाने में पहुंच जाती है जिस थानेदार के खिलाफ शिकायत होती है और वहां से मुकम्मल यह रिपोर्ट लिख कर आ जाती है कि यह बात झुठी है और उसकी शहादत कोई नहीं मिल पाती है। इसका नतीजा यह होता है कि उस थानेदार को भ्रष्टाचार करने का और भी मौका मिलता है और साथ ही जिस व्यक्ति ने उस के खिलाफ दरख्वास्त दी होती है उस के खिलाफ वह और भी ज्यादा दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो मेरी राय यह है कि सरकार को खुद ही देख कर कागजी सबूत जो उस के साथ होते हैं, और वाकयात को समझ कर बगैर किसी तहकीकात के अमूमन इजाजत दे देनी चाहिये जिस से इस्तगासा अदालत में पेश हो सके और वह पुलिस अधिकारी भी उस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अदालत के सामने उसका मुकाबला कर सके। साथ ही वह व्यक्ति भी जिस ने उस के खिलाफ आरोप लगाया है उसको एक मौका मिलता है कि वह अदालत के अन्दर अपने आरोपों को सिद्ध कर सके। जहां तक मुतफर्रिक दरख्वास्तों का सवाल है, वहां भी देखा कि जिस अधिकारी के खिलाफ दरख्वास्त दी जाती है, वह धीरे-धीरे उसी अधिकारी के साथी के पास या उसी के पास पहुंच जाती है और उनमें रिपोर्ट वही गलत या उनके माफिक लिख कर आ जाती है कि इस पर कोई कार्यवाही न की जाय। इसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो पाती है।

मैं अपने जिले के दो, एक उदाहरण रखूंगा, जिस में पुलिस का दुर्व्यवहार रहा और सही नीति से काम नहीं लिया गया है। थाना पटियाली में नगला प्रशादी में २ साल हुये कि एक डकैती हुई उस में दो आदमी मौके पर जान से मारे गये और २ सख्त घायल हुये, उस को रिपोर्ट नामजद हुई और एक बगैर नाम के भी हुई। उसकी तहकीकात अजीब ढंग से हुई, लेकिन उन केसेज में कोई कार्यवाही किसी तरह की नहीं हुई। जिस के घर डकैती हुई उस ने माननीय गृह मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री जी को दरख्वास्तें दीं। उस की तहकीकात के लिए उस वक्त के वहां के एस० पी० जो आजकल फर्रुखाबाद में मौजूद हैं वह जांच करने के लिए गये। उनको शिकार का बड़ा शौक है। जब वह गांव में तहकीकात के लिए पहुंचे तो बजाय तहकीकात के उन्होंने वहां पहुंच कर उसी व्यक्ति का तीतर गोली से मार डाला जिस के घर डकैती हुई थी। जब उसने कहा कि आपने मेरा पालतू तीतर मार डाला, बजाय तहकीकात करने के तो उन्होंने उल्टी उसके खिलाफ ही तहकीकात लिख दी और चले गये। ऐसा व्यवहार तो उस केस में हुआ, जिस में २ आदमी जान से मारे गये थे और २ सख्त घायल हुये थे।

एक और केस है थाना अलीगंज का जिस में पुलिस दीवान ने एक व्यक्ति का झूठा चालान चोरी में किया, चूंकि उस ने उन को दूध देने से मना कर दिया था। जिस वक्त वह केस अदालत में गया तो पूरा सबूत सुनने के बाद उस व्यक्ति को इस बात पर रिहा कर दिया गया कि केस झुठा है और अदालत ने दीवान के खिलाफ जजमेंट में एतराज किया कि उसने झूंठा केस बना कर यह चालान किया और कहा कि इस केस के जजमेंट की एक प्रतिलिपि एस० पी० को भेजा जाय, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं ने माननीय सदस्यों के विचारों को सदन में सुना। मैं समझता हूं कि पुलिस के विषय में माननीय सदस्यों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है क्योंकि जिस पुलिस के ढांचे को अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों की रक्षा के लिए और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए बनाया था और एक मशीनरी को खड़ा किया था आज वह हमारे देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब होगी, यह नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि आज पहली बार माननीय काशीनाथ जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और मैं उस के लिए उनको धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने समझदारी से काम लिया और स्पष्ट कहा कि यह पुलिस

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मशीनरी हमारे देश के हितों की रक्षा करने के लिए नाकामयाब है। यह तो मुल्क की लूट-खसोट के लिए, अंग्रेजों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनायी गयी थी। इसलिए सब से पहले हमें उस मशीनरी को रिप्लेस करना होगा, वह इतनी पुरानी, जर्जर, सड़ी गली हो गयी है कि पूरे ढांचे को ही हमें बदलना होगा। हमें नये पुर्जे उस में रखने होंगे जो हमारे देश के हितों को आगे बढ़ा सकें और शांति व्यवस्था का संचालन कर सकें।

पुलिस के ३ मुख्य काम होते हैं, पहला होता है प्रिवेन्टिव यानी कोई जुर्म न होने पावे, फर्स्ट क्लास पुलिस हलके में कोई जुर्म न होने पावे। दूसरा फंक्शन यह है कि टयुनिटिव यानी जुर्म करने वालों को सजा दिलाये जिस से उन को सबक हो कि उन के साथ जुर्म करने पर सख्ती होगी और तीसरा फंक्शन है क्यूरेटिव तरीका यानी किसी का दोष है तो वह पुलिस वालों का दोष है, मन्त्री जी का दोष है, लेकिन में ईमानदारी से कहूंगा कि अगर किसी का यहां दोष है तो पुलिस का कम और अधिक दोष सरकार का है और सब से अधिक दोष है माननीय सदस्यों का जोकि सदन में मुल्क की व्यवस्था के लिए बैठे हैं जिन्होंने नहीं सोचा और विचार नहीं किया कि पुलिस की मशीनरी को हमें तब्दील करना है, ऐसी मशीनरी से मुल्क को गुड्स डेलिवर नहीं हो सकते।

श्री अधिष्ठाता—

आप का भाषण अब कल होगा।

बाढ़ निरोधन कार्य के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, में आपकी आज्ञा से इस बात पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में राप्ती नदी की बाढ़ को कन्ट्रोल करने के लिए, उसके किनारे पर बसने वालों की रक्षा के लिए सरकार ने जो एक व्यवस्था की थी जलकुन्डी योजना की, इस प्रश्न के माध्यम से यह मालूम हुआ है कि जलकुन्डी योजना अब समाप्त कर दी गयी है। श्रीमन्, में आप की आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नदी से न केवल गोरखपुर जिला बल्कि बस्ती, गोंडा और बहराइच ये तीन जिले भी हैं जो इस से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ उस से देवरिया जिला भी प्रभावित होता है। इस प्रकार इन ५ जिलों में राप्ती की बाढ़ बहुत भयंकर नुकसान करती है और उससे हर साल बहुत सी जानें भी चली जाती हैं। यह सरकारी आंकड़ों से ही प्रतीत होता है। में गोरखपुर जिले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वहां पर १९५५–५६ में एक लाख १८ हजार एकड़ जमीन जलमग्न हुई राप्ती नदी से। फिर उसके बाद १९५७–५८ में एक लाख २ हजार एकड़ भमि जलमग्न हुई और उसके बाद १९६१–६२ में २ लाख ८७ हजार १०३ एकड़ जमीन जलमग्न हुई। इस प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो जन-संख्या जो इससे प्रभावित हुई वह १९६१–६२ में ४ लाख ५८ हजार पहुंच गयी। यह में केवल गोरखपुर के बारे में ही अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह से कटे हुये गांवों की संख्या सदर तहसील में २७ और बांसगांव में ६८ हैं। इसी प्रकार बाढ़ पीड़ित गांवों की संख्या सदर तहसील में ५३२, बांसगांव में ४३८, महाराजगंज में ३०६ और फरेंदा में २१३ है। इस प्रकार में यह समझता हूं कि अकेले गोरखपुर में लगभग एक हजार गांव प्रभावित हुये हैं। कितनी हानि हुई फसल की यह तो इस एकड़ संख्या को देखने से अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार देवरिया, बस्ती, गोंडा और बहराइच जिलों में भी है। अगर सरकार को नैपाल से जमीन मिलने में कोई दिक्कत पैदा होती है तो उस को सुझाव देना चाहिये। में इस बात को भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझने में असमर्थ हूं कि जिस प्रकार से नेपाल सरकार ने बांध बनाने के लिए जमीन दी है, उसी प्रकार जलकुन्डी योजना या रिजर्वायर बनाने के लिए जमीन कैसे नहीं देगी? इसके अलावा मेरा निवेदन है कि जलकुंडी या और कोई दूसरी योजना बनाने में सरकार को दिक्कत है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई मल्टी परपज स्कीम बनावें जिस से बिजली और पानी का भी प्रबन्ध हो सके, जो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अविलम्ब राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रभावकारी कदम उठाने का कष्ट करें।

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ एक ऐसी चीज है कि जिसका उपाय करना साधारण काम नहीं है। हम ने जो इस प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान का खाका सा-बनाया है, उससे पता चलता है कि करीब-करीब १०० करोड़ रुपये खर्च होने की बात है। इतना रुपया बाढ़ के काम के लिए एक साथ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। तब भी हमारा यह निरन्तर प्रयास है कि इस दिशा में काम आगे बढ़े।

श्रीमन्, जैसा कि जलकुन्डी योजना की बात है। इसका सर्वेक्षण कराया गया और उस में यह देखा गया कि यह बांध बन सकता है या नहीं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा हिस्सा जो जलमग्न होगा, वह नेपाल में है और उसका बड़ा भारी एरिया है। इसमें करीब ६० गांव हैं और इससे ९,८०० आदमी प्रभावित होने वाले हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि नेपाल सरकार को इस बात से कोई फायदा नहीं मालूम होता है कि इतना बड़ा एरिया छोड़ा जाय। इसलिए अगर नेपाल सरकार से हमें इजाजत नहीं मिलती है तो बांध नहीं बन सकता है। लेकिन फिर भी यह बात सही है कि राप्ती से बहुत बड़े एरिया को नुकसान हो रहा है। पहले गन्डक से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसका इलाज जैसा कि आदरणीय सदन को मालूम है कि नेपाल बांध बन जाने से हो गया है। इस वजह से देवरिया और गोरखपुर के बड़े भारी हिस्से को इस साल नुकसान नहीं हुआ और अब ऐसा मालूम होता है कि इसका परमानेंट इन्तजाम हो गया है और आइन्दा नुक्सान होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, जहां तक राप्ती की बात है हम ने बाढ़ को रोकने के लिए इस योजना में थोड़े काम किये हैं। उसकी सूची मैं आप को दे दूं। मलौनी बांध जिला बस्ती में है। इसके बाद मंझोलिया बांध है। इसके अलावा होबर्ट बांध जिला गोरखपुर में है। मलौनी बांध के ऊपर ६, ७ मील का मरम्मत का कार्य हुआ है और श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन को यह बता दूं कि यह कोई छोटा काम नहीं है। इस बांध की मरम्मत पर करीब १४ लाख रुपया खर्च हुआ है। श्रीमन्, मैं ने राप्ती की बाढ़ से नुकसान को बचाने के लिए ये कार्य किये। रूहा के निकट हटाकर बांध बनाना। मेवालाल तालाब एवं बेलगांव दिपवापुर बांध का निर्माण एवं मरम्मत। नगवां ग्राम पर बचाव कार्य। जिला गोरखपुर में मलौनी बांध पर एप्रिन डालना। मलौनी बांध एवं होबर्ट बांध को बचाने हेतु शोध कार्य करवा रहे हैं, हम यह कर रहे हैं कि किसी तरह से इसके बचाने का उपाय हो सके। जहां तक बस्ती और गोरखपुर का सवाल है, उनकी अलग-अलग सूची मेरे पास है। बस्ती में इसमें दिया है कि बांसी पनघटिया बांध बनाने की स्कीम है। डूमरगंज में भी हम एक बांध बना रहे हैं। मलौनी बांध के १५, १६ मील के बाद हम एक रिटायर्ड बांध बना रहे हैं। ये तमाम कार्य ऐसे हैं जो बस्ती जिले के हैं। गोरखपुर जिले में भी कुछ काम हम ने किये हैं। लेकिन यह बात सही है कि राप्ती में बहुत बड़ा काम इस पंचवर्षीय योजना में हम नहीं ले सके हैं क्योंकि उसमें बहुत रुपयों की जरूरत है। लेकिन कुछ स्कीम हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लेंगे और कुछ उसके बाद की योजना में। कुछ स्कीम्स ली गयी हैं और जो भी स्कीम्स हैं उनको समय के अनुसार और रुपये के अनुसार हम लेते रहेंगे और यदि रुपया मिल गया तो शीघ्र पूरा कर लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस ओर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि नैपाल सरकार ने चूंकि इजाजत नहीं दी, इसलिए जलकुण्डी योजना को ड्राप कर दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि नैपाल सरकार से आपको या केन्द्रीय सरकार के जरिए प्रदेश की सरकार को कोई विरोध-पत्र नहीं मिला है कि यह योजना हम पूरी नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

पांडेय जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यह नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप उधर दौरे पर गये तो क्या उधर के किसानों ने कोई विरोध किया ? तो अब तक सरकार के पास कोई विरोध-पत्र नहीं आया तो आपने कैसे उस योजना को ड्राप कर दिया ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

यह तो सही है कि नेपाल सरकार से हमारे पास कुछ नहीं आया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी केन्द्रीय सरकार से इस पर बातचीत हुई और उन्होंने हमें इस बात की सलाह नहीं दी कि हम इस जलकुण्डी योजना को लें । करीब-करीब इस प्रकार की राय उन्होंने हमको दी है कि इसको ड्राप कर दिया जाये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी इसे बताने की कृपा करेंगे कि करीब १०० करोड़ रुपया व्यय होगा बाढ़ से रक्षा करने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा यह तालिका तैयार की गई कि १०० करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सरकार की कितने रुपये की बचत होगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो बहुत बड़ा विषय है ।

श्री अधिष्ठाता—

बाढ़ से बचत का तो इस समय कोई सवाल नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का भी सर्वेक्षण करा रहे हैं राप्ती में बांध बनाने के अलावा कि नहरें बनाने से भी यह समस्या हल हो सकती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नहरें तो वहां निकाली जाती हैं, जहां नहरें निकाली जा सकती हैं । वहां के लिए ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि वहां पर से नहर निकल सकती है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले और मथुरा जिले में भी जो बाढ़ पिछले कई वर्षों से आ रही है उसको भी रोकने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किया है ?

श्री अधिष्ठाता—

एटा जिले का यह कोई प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि रावनगंज बांध, पनघटिया और करमैनी बांध जिनको बनाने के लिए १९ लाख रुपये का प्राक्कलन किया गया है, उसको बनवाने के बारे में आश्वासन देने की कृपा करेंगे, जिससे गोरखपुर जिले की बाढ़ रोकी जा सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

असल में जहां यह बंध बनाने की बात है । यह एक ऐसा सवाल है कि लघु बांध के बारे में सोचा नहीं जा सकता । एक हमारी टेकिनिकल कमेटी है जो इस पर विचार कर सकती है और वह यह सोचने लगे हैं कि नदी के एक ओर बांध बना दिया जाय और वह फिर छोड़ दिया जाय, वह ठीक नहीं है। वह सोचते हैं ऐसे मामलों में और एक्सपेरीमेंट करते हैं तब वह कोई डिसीजन लेते हैं । वह ध्यान रखते हैं कि कौन-कौन बांध पहले बने और कौन बाद में, उनकी प्रायरिटी तय होती है । एक बांध बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

डुमरियागंज-सहजनवा बांध बनने वाला है, वह कब तक बन जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी तो मर पास सूचना नहीं है कि वह कब तक बन जायगा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं तो मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो १०० करोड़ रुपये की बात कही गयी है, मतलब एक अरब । जलकुण्डी, मास्टर प्लान और मैनपावर यह तीन खास बातें हम इसमें सुनते हैं मास्टर प्लान, जलकुण्डी और मैन पावर तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिए योजना बनाई जाय हम रोकते नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जमुना की बाढ़ जो राजस्थान की तरफ से आया करती है तो इसके लिए भी इस १०० करोड़ की योजना में से कुछ दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

मास्टर प्लान का जिक्र गिया गया जिसमें १०० करोड़ रुपये की बात कही गई । इसमें कम से कम ५० हजार एकड़ जमीन हमारे सूबे की ऐसी आती है जिसमें ड्रेनेज, फ्लड और इसी प्रकार के दूसरे प्राब्लेम हैं तो इससे फसल को नुकसान होता है । इसमें जो आपने बात कही वह सब भी इसमें शामिल हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है या भविष्य में किसी ऐसी योजना पर विचार करेगी या कोई ऐसी योजना बनाने की कोशिश करेगी कि जिससे राप्ती का पानी सीधे सीधे सरयू के ऊपर ही ऊपर गिरा दिया जाय और वह गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के दूसरे हिस्से में न जाने पाये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने निवेदन किया राप्ती बहुत बड़ी नदी है और उसके बहुत बड़े प्राब्लेम हैं । उन सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफी रुपये व्यय करने की बात है । अब हमने गंडक योजना ली है और इस योजना के समाप्त होने के बाद दूसरी योजना लेंगे और उसके बाद राप्ती का अन्वेषण करने का प्रयास करेंगे जिससे बाढ़ रोकी जा सके ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय जो बाढ़ योजना चल रही है वह कितने रुपये की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कोई योजना राप्ती के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बांसी–पनघटिया के समानान्तर जो डुमरियागंज–सहजनवां बांध बन रहा है उसी बांसी पनघटिया बांध पर वह बन जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जितने भी बांध बनते हैं वह बहुत सोच विचार करके बन रहे हैं और इस पर विचार करने के लिए टेक्निकल कमेटी है । वह इस पर विचार कर रही है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो तीन मुख्य नदियां हैं, घाघरा, राप्ती और नारायणी इनके रिवर प्रोजेक्ट के लिए प्रांतीय सरकार और भारत सरकार के बीच कोई बातचीत हुई थी लेकिन उन पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय होने के कारण फिलहाल उनको मुल्तवी कर दिया गया ; तो क्या कभी न कभी इनको लिया जायगा, ऐसी कोई योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक जलकुंडी की बात मैंने कही । एक पंचेश्वर बांध की योजना है, उसको देखने के लिए हमारे कुछ लोग और केंद्रीय मंत्री आये थे । वह भी हमारे सूबे के और नेपाल के सरहद के बीच में है । उस पर विचार हो रहा है ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राप्ती नदी पर गोरखपुर, देवरिया की सरहद पर राप्ती के बायें किनारे पर जो देवरिया जिले में बांध बन रहा है ठीक उसके समानान्तर दक्षिणी किनारे पर जो हिस्सा गोरखपुर जिले में बांसी तहसील में पड़ता है जहां पर पहले बांध था और अब नहीं बांधा जा रहा है जिससे स्थिति यह होती है कि नदी का समूचा पानी एक ओर को गिरा दिया जाता है ; इसलिए भ्रम होता है कि जान बूझकर ऐसा प्रयास हो रहा है जिससे एक जिले में राप्ती का बहुत पानी चला जाता है तो इस भ्रम के निवारणार्थ समुचित व्यवस्था करेंगे कि पानी एक तरफ न जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तभी यह बात कही कि बांध एक डबुल एजेड वैपन है । इससे कुछ लोगों को नुकसान भी होता है और कुछ को फायदा भी हो जाता है । जहां तक आपकी बात का ताल्लुक है, वह हम देख लेंगे कि किसी को भ्रम न हो कि सरकार खामखाह किसी को डुबाने का इंतजाम कर रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १०० करोड़ रुपये कुल बाढ़ निरोधक कार्य के लिए हैं, तो इसमें से कितने रुपये की मांग प्रादेशिक सरकार ने की है और कितना रुपया मिला है ?

श्री गिरधारी लाल--

अभी यह प्रश्न सामने नहीं है। पूरा एक मास्टर प्लान बना है कि कितना रकबा ऐसा है हमारे सूबे के अन्दर और उसके लिए आज के समय के हिसाब से कितने रुपये की जरूरत है, यह हम लोगों ने निकाला है और इसके मातहत करीब ३८ करोड़ रु० अगले प्लान के लिए हमने रखा था। उसमें से मैं समझता हूं कि इतना रुपया मंजूर करने को वह तैयार नहीं होंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)-

श्रीमन्, मुझे यह भ्रम हो गया है कि १०० करोड़ का मास्टर प्लान और जलकुंडी और मैन पावर, उसमें, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका शामिल है या पूरा उत्तर प्रदेश शामिल है और दूसरी बात मैं मंत्री जी से इस बात में पूरी तरह सहमत हूं कि राप्ती और गंडक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नदियां हैं और गंगा, जमना और रामगंगा यह छोटी नदियां हैं तो १०० करोड़ के इस प्लान में क्या मेरे बदकिस्मत जिले को भी शामिल करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह १०० करोड़ का जो टेन्टेटिव प्रोपोजल है वह तमाम उत्तर प्रदेश के लिए है। जहां तक तीन नदियों का संबंध है---राप्ती, सरयू और घाघरा-यह नदियां बड़ी हों या न हों, लेकिन यह ज्यादा नुकसान करती हैं और प्रदेश के ऐसे हिस्से से जाती हैं कि जहां पानी भर जाता है और बहुत नुकसान उससे होता है, जब कि गंगा और जमुना ऐसी पवित्र नदियां हैं कि वह नुकसान नहीं करती हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस जलकुंडी का सर्वेक्षण हुआ तो विभाग ने कितने लाख रुपये खर्च किये और इतना रुपया खर्च करने के बाद क्यों इसे काटा जा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी तो सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन कितने की स्कीम बनी थी यह हमारे पास है और क्यों छोड़ दी यह तो आप जानते हैं। ५५ करोड़ की स्कीम यह पहले थी, बाद में ६४ करोड़ की हो गई। सर्वेक्षण में कितना खर्च हुआ था, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में भी तीन नदियां बहती हैं और बराबर बाढ़ से नुकसान हुआ करता है, तो क्या सरकार इसको भी रोकने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

गोंडे में भी कुछ बांध हमारे यहां प्रोपोज्ड हैं जैसे बलरामपुर बांध है और गोवर्धन या ऐसा ही कोई है, वहां भी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसे तात्कालिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पैसा नहीं है, तो जनशक्ति योजना में जो पैसा बचा हुआ है, उससे पैसा लेकर के इन योजनाओं पर खर्च करने में क्या दिक्कत उन्हें है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैंने यह नहीं कहा, छोटे-मोटे बहुत से बांध बनाने की स्कीम हमारी है, लेकिन राप्ती चूंकि बहुत बड़ी दरिया है जिसमें कि साढ़े चार करोड़ का खर्चा होने वाला है, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं, छोटे-मोटे काम तो करेंगे ही।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता था। हमारे गोंडे जिले में बलरामपुर राप्ती के तट पर गांव बसा हुआ है, जिसके कि बह जाने की उम्मीद है, यह गोंडे जिले का बड़ा सुन्दर शहर है, इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, वहां रियासत की तरफ से एक बांध बना हुआ था, वह टूट गया है, उसकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस बांध का भी पुनरुद्धार करायेंगे, क्योंकि उससे बहुत से गांव जलमग्न हो जायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी इसका उत्तर बाद में दे देंगे। अब माननीय कल्पनाथ सिंह जी दो मिनट के अन्दर अपनी बात कह लें।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं गोरखपुर जिले की फ्लड रिलीफ स्कीम १९६२ की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कई बांधों का जिक्र किया गया है। कोठा राखत, तिवाना हरिया, तरहिया, सहरिया तेवाना, छपरा, बसिया डीह, असवान द्वारपुर, गरयाकोल, असवानपुर आदि, ये दस, ग्यारह बांध हैं, ये बांध वहां के इंजीनियर्स की देख-रेख में टेस्ट वर्क से बनाए गए थे, जिनका कि जिक्र माननीय राम लखन शुक्ल ने अपने सवाल में किया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बांधों की मरम्मत के लिए अविलम्ब आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा, छोटे मोटे बांध बहुत से हैं, इनके अलावा कुछ और बांध हैं, जैसे अमिला घाट, करनैल....

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने हमारी बात को समझा नहीं। अगर मंत्री जी कहें, तो मैं उनके पास यह पुस्तक भेज दूं, और पेज बता दूं वे इसको पढ़ लें। राप्ती पर गोरखपुर जिले में, जिन बांधों का जिक्र माननीय राम लखन शुक्ल ने किया था और जोकि इंजीनियर्स की देख-रेख में टेस्ट वर्क द्वारा बनाये गये थे, उनके लिए मेरा कहना यह है कि राप्ती के दूसरी तरफ एक बांध की मरम्मत सरकार द्वारा कराई जा रही है। तो गोरखपुर जिले के इन बांधों की मरम्मत कराने का आदेश सरकार क्यों नहीं दे रही है ?

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

जिला आगरा की एतमादपुर तहसील में सरसा सेंगर और हर नदी की बाढ़ से कोटला-फिरोजाबाद रोड पर पुल कट जाने के कारण ११ आदमी डूबकर मर गये, तो इन नदियों की बाढ़ रोकने की भी कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मंत्री जी हमारा भी जवाब इसी के साथ-साथ दे दें। बांध बनेंगे नहीं, जैसा कि माननीय राम लखन शुक्ल कह रहे हैं, जलकुंडी बनेगी नहीं और राप्ती के लिए साढ़े तीन लाख रुपया नहीं है, तो हम लोग पूर्वी जिले के आदमी बाढ़ में बह जायं, या इसको रोकने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि टेस्ट वर्क से कुछ बांध गोरखपुर में बने थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो बांध हैं बड़ी नदियों के, उनसे कितना फायदा होगा, कितना बचाव होगा ? इसके बारे में जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी भिन्न राय है और बहुत से लोगों की यह राय है कि जो छोटे बांध होते हैं,

जिनके ऊपर कि पानी चला जाया करता है, उनसे कुछ फायदा नहीं होता, वह बांध बह जाया करते हैं। तो या तो ऊपर बांध बनाए जायं या और कुछ ऐसा किया जाय, यह तमाम चीजें दिखवा ली जायेंगी और इन बांधों की मरम्मत करने से फायदा अगर हो सकता है, तो यह दूसरी चीज है कि इसकी मरम्मत की जाय, लेकिन अगर फायदा नहीं हो सकता तो इन बांधों की मरम्मत नहीं की जायगी।

मंत्रि-परिषद् के एक मंत्री द्वारा नगर महापालिका की जमीन पर नाजायज कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

बड़े अफसोस के साथ आज इस आदरणीय सदन में ऐसे विषय पर चर्चा उठानी पड़ रही है जनहित में, जिसे मैं नहीं चाहता, क्योंकि शहरी जीवन को अच्छा और सुव्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी जिन कन्धों पर हैं वे कन्धे स्वयं गिरने पर तुले हुए हैं। माननीय न्याय मंत्री के द्वारा लखनऊ शहर की जमीन पर नाजायज कब्जा करके दीवार खड़ी कर दी गई है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब न्याय मंत्री ही खुद इस बात पर आमादा हैं कि शहरी जमीन पर कब्जा करें तो नगरपालिका के कानून और नियम कहां तक लागू हों? उस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। न्याय मंत्री ने इस जमीन पर १९३१ में कब्जा किया है और उसको तीस साल के लिए खरीदा है और सन् ५६ में, श्रीमन्, उसको ६ टुकड़ों में विभक्त करने की स्वीकृति नगरपालिका से ली और सन् १९५८ में १० टुकड़ों में करने की सैंक्शन ली और इस प्रकार दस टुकड़ों को बेचा गया। एक टुकड़ा महारानी बलरामपुर को बेचा गया वह किस रिश्ते से और किस तरह बेचा गया, वह भी मैं, श्रीमन्, बतलाता हूं। जिसे बेचा गया उस प्लाट में माननीय मंत्री जी रहते थे। सरकारी खर्चे से मरम्मत हुई, उसका सरकारी खर्चे से ही रख रखाव हुआ और फिर उसको पौने तीन लाख रुपये में बेचा गया। उस समय माननीय मंत्री जी वन विभाग के मंत्री थे। बलरामपुर के राजा ने जितने का बंगला था उससे ज्यादा तो दाम रिश्वत में दिए कि फारेस्ट में छूट मिले, रिश्वत मिल जाय। लीज की जमीन लेकर सार्वजनिक जमीन को माननीय मंत्री जी ने कई लोगों को बेचा। आज जिसमें ये रह रहे हैं, श्रीमन्, वह मुफ्त में ही पड़ा है। सरकारी खर्चे से बंगला बनाया गया, सरकार को रुपया लौटाया गया है या नहीं, शायद ही लौटाया गया हो। एक प्लाट डा० फरीदी को बेचा गया है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

इसमें कोई बात सही नहीं है। आप देख लें। एक लफ्ज सही नहीं है। सब बातें बेबुनियादी, झूठी और मनगढ़न्त की जा रही हैं। इस तरह के ....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूं, श्रीमन्। जिस बात के अन्दर जितनी बहस की इजाजत है उसके बीमांड ये मेम्बर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप इजाजत दे सकते हैं कि वे इस किस्म की अनर्गल, बेबुनियाद बातों को कहें जो जायज न हों? क्या आप इस पर अपनी व्यवस्था देंगे?

श्री उग्रसेन—

श्रीमान् जी, पहिले काशीनाथ जी को सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी को भी मौका मिलेगा, वे बाद में कह सकते हैं कि गलत है या यही है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री उग्रसेन जी, आप बैठ जाइये। माननीय मंत्रीजी, आपको भी मौका मिलेगा। माननीय मिश्र जी, आप भी, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस तरह के कहने पर आप क्यों नहीं..

श्री अधिष्ठाता—

आज की कार्यसूची में यह आईटम ऐजेंडा के रूप में स्वीकृत है कि मंत्रिमंडल के एक मंत्री द्वारा लखनऊ नगर महापालिका की जमीन पर नाजायज कब्जा के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विवाद। अगर कहीं गलती होगी तो स्पष्टीकरण का समय दिया जावेगा। मैं इस ऐजेंडे के बाहर नहीं जा सकता।

माननीय पालीवाल जी, आप बैठ जाएं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन्, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय सदस्य अपनी बात कहते-कहते सत्य की हत्या न करें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

बिना सुने गलत कैसे कह सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। गलत बात कहेंगे तो मंत्री जी को स्पष्टीकरण का अवसर मिल रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता था। श्रीमन्, हमारे समय का ध्यान रखियेगा। १९६१ में डाक्टर फरीदी ने जब एक प्लाट खरीदा..

श्री अधिष्ठाता—

आप २ मिनट से ज्यादा समय न लें क्योंकि ६ बजे तक इसको समाप्त करना है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नम्बर ३ का प्लाट जब उन्होंने खरीदा और जांच इसकी हुई तो पता चला कि ५ फीट नाजायज ढंग से कब्जा जहीर साहब का कपूरथला कोठी में हुआ और लम्बी दीवाल बनी हुई है। नजूल अफसर ने जांच की और २२ जून, १९६१ को फाइनल नोटिस दिया माननीय अलीजहीर को कि आप इस सड़क को हटा लें। पहला नोटिस दिया था उसका जवाब नहीं दिया; तो २२ जून, १९६१ को फाइनल नोटिस दिया कि वह दीवाल हटायें और अगर नहीं हटायेंगे तो धारा २९९ में उनका प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये। एक प्ली यह ली जा सकती है कि १९४२ से यह दीवाल बनी हुई है इसलिए ऐस्टापल की प्ली ले सकते हैं। लेकिन नगरपालिका की सार्वजनिक जमीन पर यह कानून नही लागू हो सकता है मियाद का। नगरमहापालिका के कानून के अन्तर्गत नगरमहापालिका के अधिकारियों को हर वक्त अख्तियार है कि दीवाल हटा दें। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब नजूल अफसर और नगरमहापालिका के अधिकारियों ने इन दोनों बातों पर अपना साफ फैसला दे रखा है, कि पब्लिक

स्ट्रीट है, तीन-तीन लैम्प पोस्ट्स है, नगरपालिका उसका रख-रखाव करती है, वह प्राइवेट रोड नहीं है, और उस पर किसी तरह की मियाद का सवाल नहीं लागू हो सकता ऐसी हालत में नगर-महापालिका के नियमों की धारा २९९ के मुताबिक जिस रोज से नजूल अफसर के आदेश को नहीं मानते हैं उस दिन से १०० रु० रोज के हिसाब से जुर्माना क्यों नहीं वसूल किया गया, इस पर मैं सरकार से सफाई चाहता हूं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

मैं, श्रीमन्, यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ जी यह स्पष्टीकरण कर दें कि यह पब्लिक स्ट्रीट कब डिक्लेयर हुई ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

पब्लिक स्ट्रीट तो बहुत पहले से है । १९३१ में, १९३८ में, १९६१ में और १९६३ में, चार दफा पब्लिक स्ट्रीट डिक्लेयर हो चुकी है ।

(श्री सैयद अली जहीर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र --

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । जब हमने शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा था उसमें सदाचार समिति से एक पत्र आया था, मुख्य मंत्री के नाम, और हमारा अल्पसूचित प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री से था, और इस सवाल में माननीय मंत्री जो एक पार्टी हैं, वह तो चार्जशीटेड हैं इनको किस हक से अख्तियार है सदन में जवाब देने का ? माननीय मुख्य मंत्री या स्वायत्त शासन मंत्री जवाब दें । माननीय अली जहीर साहब कैसे जवाब दे सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी अब भी मंत्री हैं और उनको पूर्ण हक है कि जवाब दे सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उनका तो केस है ।

श्री अधिष्ठाता--

कोई भी केस हो, लेकिन वह मंत्री हैं और मंत्री की तरह वे स्पष्टीकरण देंगे ।

श्री सैयद अली जहीर--

श्रीमन्, मुझे यकीन है कि न तो माननीय काशी नाथ को और न उग्रसेन जी को कोई खास मेरी तरफ से बुग्ज है और न खफगी है । उनको गलत इसाला दे दी गयी है और वह कहां से मिली, किस जरिये उन तक पहुंची, यह मैं नहीं कहना चाहता ।

अनेक सदस्य--

कहिये, कहिये ।

श्री सैयद अली जहीर--

अगर मैं वाकयात बयान कर दूंगा तो मुझे यकीन है कि माननीय उग्रसेन और माननीय काशी नाथ दोनों समझ जायेंगे कि कोई सवाल इसमें एन्क्रोचमेन्ट का पैदा होता ही नहीं। एन्क्रोचमेन्ट तो तभी हो सकता है जब वह जमीन किसी की हो । इंसान अपनी जमीन पर खुद एंक्रोचमेन्ट करे, यह मुमकिन नहीं है, न यह हो सकता है कि मेरी जमीन हो और मैं ही एक्रोचमेंट कर लूं। इस मकान का यह किस्सा है कि ३५ में मैंने पूरा कपूरथला हाउस खरीदा और मेरे नाम से बैनामा हुआ और मैं मालिक हो गया । १.२ बीघे का कम्पाउन्ड था । कुछ दोस्त और अजीजों से कुछ प्लाट बेचने का वायदा कर लिया । उस

[श्री सैयद अली जहीर]

प्लाट का ले-आउट मंजूर हो गया। ४ प्लाट बने। उस वक्त कहीं डाक्टर फरीदी का पता नहीं था। एक मेरे भाई का था, एक मेरी बीबी की बहन के अजीज थे, मसूद हसन साहब, उनका था, एक मेरे कजिन के ससुर के नाम था और एक डाक्टर लहरी ने खरीदा था। डाक्टर लहरी सन् ११ से हमारे फैमिली के डाक्टर थे जिसकी वजह से एक प्लाट उनको दे दिया गया था। कोई उसमें मुनाफा या मोल तोल का सवाल ही नहीं था। सन् ४२ में यह मकान फिर से बना और जाकर हम लोग उसमें रहने लगे। उसके बाद मैंने यह सड़क बनाई और सड़क के साथ-साथ यह दीवार बन गई। जितनी सड़क उस वक्त थी उतनी सड़क आज भी है और उसी तरह से वह दीवार बनी रही और वह सड़क बनी रही। उस वक्त किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि सड़क कितनी बनी और कितनी चौड़ी है। मुझे मालूम भी नहीं कि कितनी है। जितने मकान मालिक थे वे मुतमईन थे और मैं भी मुतमईन था कि सड़क इस्तेमाल के लिये काफी है। यह सड़क मैंने अपने पैसे से बनवाई और आखिर वक्त तक इसको मेनटेन करता रहा। सन् ५९ में मैंने इस मकान को बेचा महाराजा बलरामपुर के हाथ। उनको खरीदना था। जमाना सोशलिस्ट सोसाइटी का आ रहा था। मुझसे मेरे बच्चों ने कहा कि इतना बड़ा मकान मेनटेन करना हमारी हैसियत के बाहर है। उन्होंने कहा कि इसको नहीं रखना चाहिये। इसलिये बेच डाला। फिर ६०-६१ में डाक्टर फरीदी ने जब इसहाक अली साहब का इन्तकाल हो गया तो उनकी बीबी से प्लाट खरीदा, तो सड़क वैसी ही थी, दीवार वैसी ही थी। किसी तरह का चेंज उसमें नहीं हुआ। आप खुद समझ सकते हैं कि सब आपस के लोग थे। डाक्टर हुसैन जहीर का प्लाट बिक गया। मसूद हसन साहब ने सन् ४७ में राजा साहब मौरावां को प्लाट बेच दिया और पाकिस्तान चले गये। इसहाक अली मिर्जा जब तक रहे उन्होंने एतराज नहीं किया। डाक्टर लहरी ने कभी एतराज नहीं किया। उनका और उनके लड़के का इन्तकाल हो गया। मकान उन्होंने एक मनोचा साहब के हाथ बेच दिया और वह आज भी उनके कब्जे में है। उन्होंने कभी एतराज नहीं किया। अगर डाक्टर फरीदी ने उस मकान को १९६० में खरीदा तो उसके एक दो महीने बाद से ही बराबर नोटिस देना जारी कर दिया कि सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अली जहीर साहब उसे दबाये बैठे हुए हैं। उस समय इस सिलसिले में मेरा कोई हक या कब्जा उस मकान या दीवार या सड़क पर नहीं रह गया था। लेकिन पता नहीं क्यों, खुद जान बूझ कर या क्या समझ कर उन्होंने ऐसा किया। गालिबन सारी बात समझ कर ही उन्होंने मकान खरीदा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया और उसमें हमारे भाई काशीनाथ जी और उग्रसेन जी को भी शामिल कर लिया और यह लोग समझते हैं कि मैंने कोई बड़ी भारी बेईमानी या गलत बात कर दी है। मकान बेचने के सिलसिले में तमाम फजूल बातें यहां रक्खी गयीं। इस गरज से यह किया गया, उस गरज से वह किया गया; लेकिन एक चीज का भी वह सबूत नहीं दे सकते हैं। आज से मैं मिनिस्टर नहीं हूं। मुझे मिनिस्टर हुए १४ साल हो गये हैं। और बहुत सारे विभाग मेरे पास रह चुके हैं और मैं दावा करता हूं कि मैंने ईमानदारी से काम किया है। अगर कोई एक भी नाजायज काम का इल्जाम लगाता है तो मैं उसे दावत देता हूं कि वह उसे साबित कर दें। मैं तो मिनिस्टरी करता हूं एक सेवा के खयाल से, खिदमत के खयाल से। मुझे इसकी कोई जरुरत नहीं है साल भर में अलग भी रहा था। मैंने अच्छी तरह से अपनी जिन्दगी बसर की और आज भी अगर अलग हो जाऊं तो यह नहीं है कि खाने पीने को मेरे पास न रह जाय। जान बूझ कर जो बातें फैलायी जाती हैं और लोगों को उसमें घसीटा जाता है और उससे कुछ लोग धोखे में आ जाते हैं, यह ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर आप लोग मेरे पास आ जाते और मैं उनको नक्शा बना कर दिखा देता तो आपको पूरा इतमीनान हो जाता। मुसीबत यह है कि यहां के जो मुख्य नगर अधिकारी है वे कायदे से उत्तर भी नहीं देते। मैंने उनसे पूछा कि वह पब्लिक रोड कब हुई तो वह कहते हैं कि आज तक नहीं हुई। मैंने कहा कि जब वह आज

तक पब्लिक रोड नहीं हुई तो ऐक्रोचमेन्ट का क्या सवाल है। तो उन्होंने कहा कि नोटिस तो उनके कहने से दे दिया गया। तो इस संबंध में मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर आप लोग सारे मामले पर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इसमें कोई बात किसी किस्म की बेईमानी की नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये (श्री उग्रसेन का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी के कहने से ऐसा मालूम होता है कि हम लोगों को बहका दिया गया है। हम लोग भी अक्ल रखते हैं। मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने यह सड़क अपने घर में कब बनायी और चहारदीवारी कब बनायी और अपने मकान को बेचा अपने रिश्तेदारों को तो फिर नजूल विभाग के अफसरों ने और इंस्पेक्टरों ने उनको नोटिस कैसे दे दिया ?

श्री सैयद अली जहीर--

अधिष्ठाता महोदय, यह सवाल उस बात के मुताल्लिक कर रहे हैं कि जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों ने जाकर हाथ जोड़े और कहा, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिये। उस समय मकान तो मेरे कब्जे में ही नहीं था। मुझे नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी। सन् १९५९ में मकान बेच दिया गया। सन् ६० में महाराजा बलरामपुर की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

इसके अलावा कानून तो यह है कि महज नोटिस देकर म्युनिसिपल बोर्ड किसी जमीन पर से दीवार को गिरा नहीं सकती। अगर कोई कार्यवाही कर सकती है तो जब अदालत से यह तैय हो जाय कि जमीन नजूल की है। १९६२ का इलाहाबाद का एक केस है ४३२ सफे पर कि इस किस्म का कोई कानून नहीं बन सकता कि जिसके जरिये से म्युनिसिपल बोर्ड को यह अधिकार हो कि बिना दावा किये वह गिराने की कार्यवाही कर सके। अगर उनको जरूरत थी तो वह दावा करते और अपने हक को साबित करते।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो प्लाट बनाकर आपने बेचे वह किस दाम पर बेचे। उसमें क्या प्राफिटियरिंग की बात थी ? दूसरी बात यह कि जो नजूल का नोटिस आया बतलाया जाता है यह माननीय मंत्री जी के पास आया या किसी दूसरे के पास आया ?

श्री सैयद अली जहीर--

जैसा मैंने अर्ज किया, नजूल के कागजात में देखना चाहता था कि आखिर उसमें क्या नोटिस है। किस्सा पुराना है, कई साल का। लेकिन उन्होंने न तो मुझे बतलाया और न कागजात की इत्तिला दी। सुना है कि उनको कहा यह गया है कि तुम फाइल को बन्द करके रखो और किसी को दिखलाओ मत। उन्होंने ४ नोटिसेज का हवाला दिया जिनको माननीय मुख्य मंत्री ने मेज पर रख दिया है। एक मुख्य नगराधिकारी को, एक डिप्टी मेयर को, एक मेयर को और एक नजूल अफसर को, एक मिनिस्टर फार लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट को दिया। मैं नहीं जानता कि इन नोटिसेज का क्या हुआ, क्या कार्यवाही हुई। मेरे पास जब आया तो मैंने मुख्तसर सा यह लिखकर भेज दिया कि कोई एनक्रोचमेन्ट का सवाल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

डाक्टर फरीदी ने किस समय मकान खरीदा और आपने किस समय अपना मकान बेचा था ? नम्बर २, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो नोटिस आपके पास आये उसके बाद महापालिका ने या डाक्टर फरीदी ने कोई मामला कचेहरी में दाखिल किया है ?

श्री सैयद अली जहीर--

मैं समझा नहीं। पहला सवाल समझा और वह मैंने अर्ज कर दिया है कि हाउस सन् ५९ में बेच दिया था। डाक्टर फरीदी ने गालिबन जुलाई या अगस्त सन् ६० में खरीदा है। बैनामा शायद कुछ दिनों बाद हुआ। मैंने सन् ५९ में मकान खाली कर दिया था।

श्री नेकराम शर्मा--

डाक्टर फरीदी ने कोई मुकदमा चलाया है ?

श्री सैयद अली जहीर--

मुझे इत्तिला नहीं है।

काजी जलील अब्बासी--

उधर से जो कहा गया कि सारा मकान सरकारी खर्चे से बना और खरीदा गया, इसकी सफाई में मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री सैयद अली जहीर--

दफा ५० के नोटिस में यह भी शामिल कर दिया गया है। यह मकान मेरा जाती था। जब मैं सन् ५१ में मिनिस्टर हुआ तो उस वक्त पन्त जी से बातचीत हुई और उन्होंने कहा था कि अगर तुम मकान नहीं बदलना चाहते हो तो रहने दो, तुमको हम इसका किराया दे देंगे। जाहिर है कि इतनी ज्यादा मकानियत इसमें है कि १,००० रुपये के करीब किराया आता लेकिन उन्होंने कहा कि हम ३०० रुपये से ज्यादा मिनिस्टर को नहीं देते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। यह शर्त थी कि जितनी मरम्मत होगी वह मुझे बहैसियत मकान मालिक के करनी होगी। तो २ महीने का किराया गवर्नमेन्ट काट लिया करती थी और बजाय ३६०० रुपये देने के ३००० रुपये साल देती थी। २ महीने का किराया वह लेते थे और उससे मरम्मत वगैरह करते थे। जहां तक तरमीम का ताल्लुक है, मैंने कमरे बनवाये, वरैन्डा बनवाया, बरसाती बनवाई। उस सब का दाम मैंने दिया है। कंट्रैक्टर से बनवाया है और अगर पी० डब्ल्यू० डी० से बन वाया है तो उनका बिल मैंने चुकाया है।

श्री गोविन्द सहाय (जिला अलीगढ़)--

जब यह शिकायत श्री काशी नाथ ने मुख्य मंत्री को की तो उन्होंने उस शिकायत पर माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी हासिल की या नहीं और अगर की, तो क्या उन्होंने उन्हें कोई जबाब भेजा और उस जबाब के बाद मुख्य मंत्री की प्रतिक्रिया क्या हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--

मुझे पहले पहल मुख्य मंत्री जी ने शायद १६ फरवरी को यह बताया कि इस किस्म का कागज आया है और तुम आकर सब वाकयात बतलाओ। मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि शार्ट नोटिस क्वैश्चन है और मेरा इरादा है कि शार्ट नोटिस एक्सेप्ट न करूं। बहरहाल, अपना वर्जन मुझे भेज दो। मैंने सोचा था कि भेज दूंगा लेकिन दूसरे दिन फौरन मेरे पास टेलीफोन आया कि १९ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर

देने जा रही हैं। चुनांचे १८ तारीख को मैंने उसका जबाब जो मैंने याददाश्त से बनाया था, उनके पास भेज दिया। लेकिन जैसा कि मैंने अपने बयान में कहा है, वह उसको जबाब देने से पहले पढ़ नहीं सकीं और जबाब दे दिया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अपने १४ साल के जीवन में वे किसी भी बदउनवानी के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बरेली से वहां के स्पेशल आनरेरी मैजिस्ट्रेट के बारे में वहां से बीसों बार शिकायतें आयीं है और उनको हटाने की बात कही गयी है, माननीय मंत्री जी का उनसे क्या लगाव है जो आज तक उनको वहां से हटाया नहीं गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नजूल आफीसर की खुशामद की गयी होगी, जिससे उन्होंने हमारे पास नोटिस भेज दिया। आज तक नगरमहापालिका के रिकार्ड में उस पर माननीय मंत्री जी का ही मालिकाना लिखा हुआ है, इसलिये कानून के अनुसार नजूल आफीसर उनको ही तो नोटिस देता। ९ मई, १९६१ को नजूल आफीसर ने माननीय मंत्री जी को यह चिट्ठी लिखी—

> "Site checking reveals that this road is actually 15 feet wide. Thus there is an encroachment of 5 feet towards this road included in the compound of the *kothi* of plot No. 10"

इसके बाद २२ जून, १९६१ को फिर उन्होंने लिखा। माननीय मंत्री जी तो न्याय मंत्री हैं, जानते ही होंगे कि नजूल आफीसर को एन्क्रोचमन्ट के लिये लिखने का अधिकार है या नहीं। इसके बाद सितम्बर, अक्तूबर, १९६३ में मुख्य नगर अधिकारी ने लिखा कि आपका पब्लिक रोड पर ५ फीट का एन्क्रोचमेन्ट है। इसके बाद भी मंत्री जी को क्या अधिकार है कि उसको वे अब भी प्राइवेट रोड बताते हैं ? (शोर)

श्री नेकराम शर्मा—

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री सैयद अली जहीर साहब का नाम पुकारे जाने पर) वह कौन सी आथोरिटी थी जिसने आपको फाइल नहीं दिखायी ?

श्री कृष्णचन्द—

क्या माननीय काशीनाथ जी ने अथवा उग्रसेन जी ने मंत्री जी से इस संबंध में कोई बातचीत की थी ?

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लें। नहीं तो समय खत्म हो जायगा।

(व्यवधान)

अगर आप लोग माननीय मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं खत्म कर दूंगा। समय नहीं बढ़ेगा। आप लोग कृपया उनको बोलने दें।

श्री सैयद अली जहीर—

जब मैंने यह कहा कि इन १४ वर्षों में मैंने इस तरह की कोई गलती नहीं की, तो एक माननीय सदस्य को मेरी एक ही गलती नजर आयी जो उन्होंने बरेली के किसी आनरेरी मैजिस्ट्रेट के संबंध में कहा....

(व्यवधान)

बहरहाल, इस मामले के मुताल्लिक मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि जो वाकयात मैंने आपके सामने रखे हैं वह बिलकुल सही हैं। उसके बाद कोई इन्स्पेक्टर चाहे नोटिस दे दे, चाहे मुख्य नगर अधिकारी दे दे, चाहे मेयर दे दे या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की ओर से दे दिया जाय, उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आप समझ सकते हैं कि इनक्रोचमेन्ट काहे का हुआ जबकि मैंने खुद अपनी जमीन पर अपने पैसे से सड़क बनायी तो इनक्रोचमेन्ट का कोई सवाल ही नहीं आता है। नोटिस जानबूझ कर दिलाया गया यह सोच कर कि उससे इसकी अहमियत बढ़ जायगी और माननीय काशीनाथ जी या दूसरे माननीय सदस्यों ने इसको अहम समझ कर इसे लिख कर दे दिया कि इसमें बेईमानी की गयी है। नोटिस देने से यह नहीं साबित होता कि इलजाम सही है।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ मार्च, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर]

क्रम-सं०	बुकिंग स्टेशन के नाम	वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में आय	दिन में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या				रात को रहने वाले कर्मचारियों की संख्या	
		रु०	बुकिंग क्लर्क	ए० टी० आई०	चौकीदार	ड्राइवर	कन्डक्टर	
१	कप्तानगंज	३७,७१४.९४	१	..	१	१	१	
२	बुढनपुर ..	९७,९६३.०६	२	..	१	२	२	
३	अतरौलिया ..	९२,००४.२४	२	१	१	३	३	
४	बसखारी ..	१,०८,७२९.६४	२	..	१	१	१	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

क्रम-सं०	स्थानों के नाम	तहसील	क्रम-सं०	स्थानों के नाम	तहसील
१	२	३	१	२	३
१	बैतालपुर ..	देवरिया	३७	बरियारपुर ..	देवरिया
२	पथरहट ..	,,	३८	सिरसैया ..	,,
३	लपकानी ..	,,	३९	तिवाई ..	,,
४	पेकौली ..	,,	४०	पथर देवा ..	,,
५	तरकुलवा ..	,,	४१	भालो पट्टी ..	,,
६	रामपुर खास ..	,,	४२	गौरा ..	,,
७	ईदपुर ..	,,	४३	मझगांवा ..	,,
८	मुंडेरा ..	,,	४४	मधुवापुर ..	,,
९	सुनेहला रामनगर ..	,,	४५	देसाई देवरिया ..	,,
१०	कन्चनपुर ..	,,	४६	बखेरा खास ..	,,
११	रघवापुर ..	,,	४७	पांडेय भैंसवा ..	,,
१२	लाहीपार ..	,,	४८	डोमर भैंसवा ..	,,
१३	विशुनपुर कलां .	,,	४९	रतनपुर ..	,,
१४	गोरेया ..	,,	५०	पिपरा झाम ..	,,
१५	हारपुर ..	,,	५१	कोटवा ..	,,
१६	भैंसा बाबा ..	,,	५२	देवगांव ..	,,
१७	भागरा महूरी ..	,,	५३	अर्जुनडिहा ..	,,
१८	भीम पार ..	,,	५४	पकरी ..	,,
१९	पोखर भिंडा ..	,,	५५	देवरिया उर्फ श्यामपुर	,,
२०	मलघाट बरीक्षा ..	,,	५६	रामनगर ..	,,
२१	सूरज पुरा ..	,,	५७	तमखोई रोड ..	पडरौना
२२	भगवानपुर ..	,,	५८	कथकुइयां ..	,,
२३	पसिया उर्फ मलसिया	,,	५९	सेमरा हरदेव ..	,,
२४	रामपुर दनलाह ..	,,	६०	लक्ष्मीपुर ..	,,
२५	ऐरापार ..	,,	६१	सेखोपार ..	,,
२६	हजराही ..	,,	६२	सपहा (लक्ष्मीपुर)	,,
२७	भेदी पट्टी ..	,,	६३	करमैनी पसमोतिया	,,
२८	जगन बेलवा ..	,,	६४	मैलूडीह ..	,,
२९	सोनूघाट ..	,,	६५	फाजिल नगर ..	,,
३०	पडिया पार ..	,,	६६	तमखोई ..	,,
३१	पिपरा मदन गोपाल	,,	६७	कुंडवा दलोपनगर ..	,,
३२	सिधुवा ..	,,	६८	अंधिया ..	,,
३३	चैनपुर ..	,,	६९	मोहवा खुर्द ..	,,
३४	जंगलेकोलगढ़ ..	,,	७०	सबिया ..	,,
३५	कतरारी ..	,,	७१	सोहाग ..	,,
३६	हुरिया ..	,,	७२	महुआ देवरिया ..	,,

विधान सभा पुस्तकालय

क्रम-सं०	स्थानों के नाम	तहसील
१	२	३
७३	दुंदवलिया ..	पडरौना
७४	भलूही मदारी पट्टी	,,
७५	सराय महन्त पट्टी ..	,,
७६	अमोहा खास ..	,,
७७	जोकवा बुजुर्ग ..	,,
७८	गोपालगढ ..	,,
७९	जोकवा खुर्द ..	,,
८०	बरबा ..	,,
८१	लवकुश पूरब पट्टी ..	,,
८२	लवकुश पश्चिम पट्टी	,,
८३	गरिहा ..	,,
८४	पिपरा राजब ..	,,
८५	पतुरवा ..	,,
८६	भोरापुर ..	,,
८७	बैरिया राजा ..	,,
८८	बिशुनपुर ..	,,
८९	धनहा ..	,,
९०	जौरा मनरा खान ..	,,
९१	रामपुर ..	,,
९२	माटी निनिया बुजुर्ग	,,
९३	कनौरा ..	,,
९४	अहिरौली बुजुर्ग ..	,,
९५	परसौनिया कलां ..	,,
९६	करमूता ..	,,
९७	बरवलिया ..	,,
९८	मिसरौली ..	,,
९९	सिधुआ ..	,,
१००	बेलही ..	,,
१०१	शाहपुर ..	,,
१०२	नरकटिया ..	,,
१०३	पडरौना छावनी ..	,,
१०४	तन्दवा ..	,,
१०५	कनखाना ..	,,
१०६	साहेबगंज ..	,,
१०७	धानी पट्टी ..	,,
१०८	खैरिया ..	,,
१०९	मधुरिया ..	,,
११०	बोलछुला ..	,,
१११	चन्दरौटा ..	,,
११२	सेखवनिया ..	पडरौना
११३	विशुनपुर भिन्दवलिया	,,
११४	बेलवा राम जस ..	,,
११५	बेलवा दुर्गाराय ..	,,
११६	जंगले हनुमानगंज ..	,,
११७	झुंगवा ..	,,
११८	पंचरुखिया ..	,,
११९	सत्रोन ..	सलीमपुर
१२०	सुखरोली ..	,,
१२१	सोनारी ..	,,
१२२	विलासपुर ..	,,
१२३	बिजलापुर ..	,,
१२४	रुछापार ..	,,
१२५	करौना ..	,,
१२६	रामनगर ..	,,
१२७	करमतार गंगा ..	,,
१२८	सुन बरसा	,,
१२९	सिधेरिया ..	,,
१३०	गरेर ..	,,
१३१	तनवा ..	,,
१३२	बहोरवा ..	,,
१३३	बेनरा पाकर ..	,,
१३४	भागलपुर ..	,,
१३५	मझौली ..	,,
१३६	मतिआरा जगदीश	,,
१३७	पिन्डी ..	,,
१३८	अहरौली ..	,,
१३९	लावरछी ..	,,
१४०	सलीमपुर ..	,,
१४१	भलूनी ..	,,
१४२	खुखुन्दू ..	,,
१४३	मोहान ..	,,
१४४	पछहन ..	,,
१४५	पाकरी ..	,,
१४६	दुबौली ..	,,
१४७	पैना ..	,,
१४८	गौरी बाजार ..	हाता
१४९	सकरौली ..	,,
१५०	अहिरौली ..	,,

क्रम-सं०	स्थानों के नाम		तहसील
१	२		३
१५१	धारा बुजुर्ग	..	हाता
१५२	गिध धनहा	..	,,
१५३	सिमरी महेशपुर	..	,,
१५४	रामगढ छनरगहा	..	,,
१५५	वैरिया बुजुर्ग	..	,,
१५६	पेकौली	..	,,
१५७	पसिया	..	,,
१५८	मोहनपुर	..	,,
१५९	डुमारी मलेवन	..	,,
१६०	पिपरा	..	,,
१६१	रधिया देवरिया	..	,,
१६२	देवरिया	..	,,
१६३	ड्योठा	..	,,
१६४	वृन्दावन	..	,,
१६५	बरवा खुर्द	..	हाता
१६६	भगवानपुर	..	,,
१६७	पगरा	..	,,
१६८	गोपालपुर बरीछा	..	,,
१६९	मुंडेरवा	..	,,
१७०	थिरुआडीह	..	,,
१७१	कैप्टेनगंज	..	,,
१७२	टिकुआटार	..	,,
१७३	राम कोला	..	,,
१७४	पिपरा एलास तितला		,,
१७५	थाथी उर्फ बिशुनपुर		,,
१७६	भगनाथ	..	,,
१७७	पादरी	..	,,
१७८	पिपरा हमले	..	,,

विधान सभा सचिवालय, पटना

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

सूची 'अ'

१९६४–६५ में विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित स्थान

स्थानों के नाम	जन-संख्या	
इलाहाबाद		
१—बरोत	१,५११	विद्युतीकरण हो चुका है।
२—बाबूगंज	१,५११	
३—मलखानपुर	३,०००	
४—हनुमानगंज	२,०००	
५—अगौरी गांव	७००	
६—मौऐमा	५,५११	
७—बरेथी	२,५९२	विद्युतीकरण होना है।
८—उगरसेनपुर	१,२७१	
९—सहसून	९९२	
१०—फाफामऊ	२,५००	
११—शैदाबाद	१,५६३	
१२—गरापुर	१,३९६	
१३—मनदवा	७६७	
१४—चन्दूपारा	९४०	
१५—ढोकरी	४९९	
१६—झूसी टाउन एरिया	२,७४७	
१७—सुदनीपुर कलां	१,३४९	
१८—शंकरगढ़	२,३५७	
१९—मेजा खास	१,२५९	
२०—जानकीगंज	३००	
२१—पोछिवा	५५८	
२२—मेजा रोड	७२३	
२३—कोरांवा	२,०३९	
२४—लखनपुर	४०८	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

स्थानों के नाम	जन-संख्या	
आजमगढ़		
१—भीति . .	९८३	विद्युतीकरण हो चुका है।
२—दुमराउन	१,३५८	
३—ताजपुर	२,४०४	
४—शाहगढ़	१,७४८	
५—विलरियागंज	२,३०४	
६—मदूल खास	१,९७५	
७—सराय मोहन	२,१५०	
८—काहनौर	१,२७२	
९—भाट कुआं पट्टी दयाराय	५३७	
१०—भदौन	६००	
११—सराय पल्टू	१,१२६	
१२—भौतार चक भौतार	५०५	
१३—लोहरा	२,७२२	
१४—सुम्भा दीह	२,०१९	
१५—रसूलपुर	२,४४४	
१६—सूरजपुर	२,८६१	
१७—चाकौथ	१,१६४	
१८—मदुवन	५,१७७	
१९—कटहार शंकर	२,१९०	
२०—काजहा	२,२६४	
२१—सेयचू . .	उपलब्ध नहीं है।	
२२—देवगांव	उपलब्ध नहीं है।	
२३—अरनौला	६१४	विद्युतीकरण हो चुका है।
२४—पाकरी बुजुर्ग	२,१२५	
२५—पिदौथसिंहपुर	१,६०१	
२६—लोनिआदिह	९७६	
२७—बादशामनपुर	८५७	
२८—धवरिया सेठ	१,५९८	
२९—फैजुलापुर	१,०११	
३०—फतेहपुर	१,८०१	
३१—हमीरपुर	१,८४६	विद्युतीकरण होना है।
३२—अलीनगर	१,४४४	
३३—दुबारी	७,९८१	
३४—सुल्तानपुर	५,१७७	
३५—लखनौर	२,१५६	
३६—अदावन	४,५९१	
३७—सामदा	३,४४१	
३८—इब्राहिमपुर	३,०१९	
३९—खैराबाद	२,६०३	

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

सूची 'ब'

१९६५–६६ में विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित स्थान

स्थानों के नाम	जन-संख्या
इलाहाबाद	
१—सिहिपुर	५०८
२—सरारी	६४४
३—मन्सूराबाद	१,०२०
४—कल्यानपुर	२,२३१
५—अन्नापुर	१,०४६
६—सोरौन	१,९२०
७—बारो	४४
८—लोहगरा	९४२
९—घरनर	४००
१०—सेदवार	६०३
११—करछना	१,३२१
१२—अरैल	२,६४६
१३—गंजिया	२,१२६
१४—रामनगर	३,२७१
१५—महेवा कलां	१,२२४
१६—उखा	६५९
आजमगढ़	
१—भैरा	९३७
२—रामपुर धरौली	१,८००
३—कांची कलां	८२८
४—परधा	१,८६४
५—बकतावरगंज	९७७
६—भटकवा पट्टी दयाराय	७०९
७—बदेसरा	८७६
८—चिरैया कोट	५७५
९—मकसोडिया	९२८
१०—रानीपुर राजमन	३,३६८
११—कटहार लालगंज	३,२१०
१२—लहौग कलां	२,६०७
१३—तनदवा खास	१,११३
१४—पेकरी कलां	१,८४८
१५—हाजीपुर	१,९९३
१६—इतौरा चौबेपुर	१,८२६

विधान सभा

स्थानों के नाम	जन-संख्या
१७—मितूपुर	१,९२८
१८—धरवारा खास	२,४६७
१९—धनौली रामपुर	१,६५८
२०—इन्दारा	२,००७
२१—मीरपुर रतीमाबाद	१,९४३
२२—पिवातल	१,८८६
२३—गोपालपुर	१,३४३
२४—खालिसपुर	१,०४२
२५—बरदिल	१,९८७
२६—बरोंही	१,२५१
२७—भरौली	१,०७६
२८—विन्डवाल	१,४८४
२९—हरिया	२,१९२
३०—जयराजपुर	१,७१५
३१—हैदराबाद	१,९४५
३२—कन्धारापुर	१,१२१
३३—जामिल हरकी	२,३१३
३४—अभयपुर	१,१९१
३५—कौरिया	१,२२७
३६—दयालपुर खास	१,४५०
३७—धारीपुर विसन	१,१३६
३८—जगदीशपुर	२,७७९
३९—कलन्दूपुर	१,५३७
४०—पलहानी	१,२१९
४१—तमौली	१,१६७
४२—सरायमोहन	२,१५०
४३—चेवर (पश्चिम)	१,१६३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

तालिका

इस समय जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट आगरा जिले में कार्य कर रहे हैं उनकी शक्षिक योग्यता निम्न प्रकार है :—

नाम		शैक्षणिक योग्यता
१—श्री प्रतापनरायन अग्रवाल	..	बी० एस-सी०, एल-एल० बी।
२—श्री कैलाशनाथ गर्ग	..	बी० काम०।
३—श्री भुवनेश्वर नाथ चतुर्वेदी	..	एम० ए०।
४—श्री श्रीभगवान ..	..	बी० ए०, एल-एल०बी०।
५—श्री जे० एन० सरीन	..	बी० ए०।
६—श्री द्वारका प्रसाद सिंह	..	बी० एस-सी०, एल-एल० बी०।
७—सरदार औतार सिंह	..	इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर (सक्कर)।
८—श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	..	बी० एस-सी०, एल-एल० बी०।
९—श्री ओम प्रकाश शिवहरे	..	बी० ए०, एल-एल० बी०।
१०—श्री जगदीश चन्द्र पालीवाल	..	बी० ए०।
११—श्री गिरजा शंकर भटनागर	..	बी० ए०, एल-एल० बी०।
१२—श्री आफताब अहमद खां	..	बी० ए०, एल-एल० बी०।
१३—श्री कैलाश चन्द्र चतुवदी	..	बी० एस-सी०।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

आगरा नगर में, नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ व जनवरी, १९६५ में रात्रि के कनेक्शन दिन के रूप में परिवर्तित विद्युत् भारों की सूची

क्रम-संख्या	नाम और पता	विद्युत भार	वैधता की अवधि
१	२	३	४
१	श्री मोहम्मद अकबर गुदरी मंसूर खां, आगरा	विद्यमान कनेक्शन के आधार पर।	३१ मार्च, १९६५
२	श्री कालीप्रसाद, पुत्र श्री शोभाराम, वसाइकलां, आगरा	..	,,
३	सर्वश्री जगन्नाथ गनेशलाल, मोतीगंज, आगरा	१० हार्स पावर	,,
४	श्रीमती लाल कुंवर, पत्नी श्री किशन लाल, नुनहाई, आगरा	५ हार्स पावर	,,
५	श्रीमती बतसिया देवी, पत्नी श्री नेक राम, खटाना, शीतलपुर, आगरा ..	५ हार्स पावर	,,
६	श्री गोर्धनदास, बम्बई वाले, घाटिया आजम खां, आगरा	७.५ हार्स पावर	,,
७	श्री मुन्नी लाल गुप्ता, पटेलनगर, आगरा ..	१० हार्स पावर	,,
८	श्री मंगल सेन गुप्त, पटेलनगर, अगरा ..	१० हार्स पावर	,,
९	सर्वश्री आर० आर० इन्डस्ट्रीज, आगरा ..	१५ हार्स पावर	,,
१०	श्री मेघराज, फ्रींगंज, आगरा ..	२० हार्स पावर	,,
११	श्रीमती श्यामा देवी, अस्पताल के पीछे, आगरा	५ हार्स पावर	,,
१२	श्री ओम प्रकाश, नूरी दरवाजा, आगरा ..	विद्यमान भार के आधार पर	,,
१३	श्री अल्ताफ हुसैन, लालगंज, आगरा ..	५ हार्स पावर	,,
१४	श्री राम चरनलाल शर्मा, शाहगंज, आगरा..	५ हार्व पावर	,,
१५	श्री सूरजभान वर्मा, रकाब गंज, आगरा ..	७.५ हार्स पावर	,,
१६	श्री बाबू लाल, नोला भान टोला, आगरा	७.५ हार्स पावर	,,
१७	श्री हरी शंकर अग्रवाल, जमुना पुल, आगरा	१० हार्स पावर	,,
१८	सर्वश्री शंकर इलेक्ट्रानिक्स, चारबाग, आगरा	२७ हार्स पावर	,,
१९	श्री किसन लाल, चक्की पट, आगरा ..	७ हार्स पावर	,,
२०	सर्वश्री जी० जी० इन्डस्ट्रीज, आगरा ..	१५ हार्स पावर	,,
२१	श्री दुर्गा भगवती इन्डस्ट्रीज, आगरा ..	१० हार्स पावर	,,
२२	श्री सुरेश चन्द्र, वेलनगंज, आगरा ..	३० हार्स पावर नये पावर से	,,
२३	श्री बेनी प्रसाद शर्मा, शाहगंज, आगरा ..	५ हार्स पावर	,,
२४	सर्वश्री रमन लाल राम निवास, फिलिप गंज, आगरा	१५ हार्स पावर	,,
२५	श्री दौलत राम, नई मन्डी, आगरा ..	१० हार्स पावर	,,
२६	श्री शिवचरन लाल, फिलिपगंज, आगरा ..	१० हार्स पावर	,,

२७	सर्वश्री नानक राम हरचूमल, वैलनगंज, आगरा	२५ हार्स पावर	३१ मार्च, १९६५
२८	सर्वश्री एलेक्ट्रा बिहारी, फ्रीगंज, आगरा ..	३० हार्स पावर	,,
२९	श्री मोहम्मद शरीफ, नाई-की-मन्डी, आगरा	१ के० डब्ल्यू०	स्थायी रूप से घरेलू होने के कारण ।
३०	श्री पूरन चंद, नुनहई, आगरा ..	५ हार्स पावर	३१ मार्च, १९६५
३१	सर्वश्री आगरा बुक स्टोर, आगरा ..	१५ हार्स पावर	,,
३२	श्री बाबूलाल, नगला तेजा, आगरा ..	७.५ हार्स पावर	,,
३३	श्री लखी राम हलवाई, सुल्तानपुरा, आगरा	१० हार्स पावर	,,
३४	श्री गोपाल महेश्वरी, शीतला गली, आगरा	१० हार्स पावर	,,
३५	श्री रमेश बाबू, शाहगंज, आगरा ..	१० हार्स पावर	,,
३६	श्री बाबू लाल, नाला मानटोला, आगरा ..	७.५ हार्स पावर	,,

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

उन १८ प्रार्थियों की सूची जिनको १९ ग्रोटो-रिक्शाग्रों के परमिट की स्वीकृति भेजी जा चुकी है ।

(१) श्री अजुद्धी राम, पुत्र श्री बुधा राम,
(२) श्री बद्री प्रसाद वर्मा, पुत्र श्री परषोत्तम दास,
(३) श्री वृजपाल सिंह, पुत्र ठाकुर रामराज पाल सिंह,
(४) श्री दाऊ दयाल सिंहल, पुत्र श्री गोविन्द शरण सिंहल,
(५) श्री गुरवक्श सिंह सुवार, पुत्र श्री करन सिंह,
(६) श्री गिरवर लाल, पुत्र श्री वी० किशन चन्द,
(७) श्री हरवंश, पुत्र श्री करम चन्द,
(८) श्री हेम कुमार खुराना, पुत्र श्री सन्तराम खुराना,
(९) श्री लक्ष्मी नारायण, पुत्र श्री बाबू लाल,
(१०) श्री मुरारी लाल मित्तल, पुत्र श्री जौहरी लाल,
(११) श्री मनमोहन शर्मा, पुत्र श्री भजनदास शर्मा,
(१२) श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बहोरी सिंह,
(१३) श्री राम भरोसी लाल, पुत्र श्री कल्यान दास,
(१४) श्री रोशन लाल, पुत्र श्री मुरली सिंह,
(१५) श्री राजेन्द्र कुमार, पुत्र श्री हरीश चन्द्र शर्मा,
(१६) सर्वश्री ताज ट्रेविल्स एक्सकर्शन एजेन्ट (दो परमिट),
(१७) श्री विनोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम चरन शर्मा,
(१८) श्री विनोद चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री प्रभू दयाल गुप्ता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

तालिका १

सूची ग्राम माइनर दानगंज, जिला वाराणसी जिनकी सींच माइनर दानगंज से होती है

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	प्रस्तावित क्षेत्र
१	लालमन काटे	२०
२	सिंहपुर	४१
३	मेहदा	९
४	भगोलेपुर	२६
५	करदहा	३६
६	नैवलशाहपुर	१५
७	नीमा	३४
८	मुडेरी	२७
९	चौबेपुर	२१
१०	देवरिया	२२
११	न्यारडीह	७
१२	लेवावेग चाक	१४
१३	चाही	१७
१४	हथियार (कला)	३४
१५	हथियार (खुर्द)	१७
१६	ऊधारामपुर	१
१७	अजारा	४६
१८	रमदतहा	४
१९	पहाड़पुर	१५
२०	मुहमूदपुर	४०
२१	कपसा	६५
२२	दाऊदपुर	५०
२३	तराव	११
२४	घरही	१४
२५	हरदासीपुर	६८

सूची ग्राम माइनर चोलापुर, जिला वाराणसी जिनकी सींच माइनर चोलापुर से होती है

१	भरतपुर	५४
२	पाराडीह	२४
३	मवइया	७८
४	रवनवान कला	७२
५	तिलमापुर	३२

विधान सभा

६	महगांव	..	..	..	..	७
७	लशकरपुर	..	..	..	..	५२
८	जगदीशपुर	..	..	..	..	४१
९	मुरली	..	..	..	..	१५
१०	चकरमानपुर	..	..	..	..	११
११	शाहडीह	..	..	..	..	४१
१२	गोसाईपुर	..	..	..	..	४१
१३	पटखोली	..	..	..	..	९
१४	महेशपुर	..	..	..	..	६
१५	घरसेना	..	..	..	..	१२६
१६	भवानीपुर	..	..	..	..	१८
१७	देईपुर	..	..	..	..	१०
१८	देवानन्दपुर	..	..	..	..	७
१९	करारी	..	..	..	..	१०
२०	हाजीपुर	..	..	..	..	४
२१	गडसडा	..	..	..	..	३८
२२	तारी	..	..	..	..	७४
२३	भरथौली	..	..	..	..	३४
२४	खनाखुर्द	..	..	..	..	८३
२५	चोलापुर	..	..	..	..	२७

विधान सभा प्रदेश मुम्बई

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

तालिका २

सूची माइनर चोलापुर व माइनर दानगंज के बीच के वह ग्राम जिनकी सिंचाई इन नहरों द्वारा नहीं होती

१—मानिक डीह
२—बहगांव
३—लाखीपुर
४—जरियारी
५—सवारी
६—लखनपुर
७—तैसारा
८—कटारी
९—लोहगांजर
१०—नथईपुर
११—आलमनगर
१२—बेनीपुर
१३—डलामी
१४—डमितवा
१५—ताला
१६—धर्मपुर
१७—बवियाव
१८—परानापट्टी
१९—नाथनपुर
२०—गोसाईंपुर
२१—देवराइन
२२—वागी
२३—गोया नं० १
२४—गोया नं० २
२५—घोड़दौड़ चक
२६—वनतरी
२७—वरजी
२८—रूपचन्द्रपुर
२९—घरही
३०—तरावां
३१—जगदीशपुर
३२—दाईपुर
३३—घरसोना
३४—महंदा
३५—लालमनकोट
३६—भगोलेपुर
३७—हाजीपुर
३८—गडसरा
३९—अजगरा
४०—रमदतहा
४१—पहाड़पुर
४२—मुरली
४३—बुला

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ. ३२ पर ।)

१—ट्रस्ट की मौजूदा माली हालत नीचे दी है—

१—एक भवन धर्मशाला के लिये (निर्माण में)

२—एक प्लाट ३६० रु० सालाना लीज पर ।

३—१५,८०० रु० सरकारी सिक्योरिटियों में हैं ।

४—२,२७७ रु० ५९ पैसा नकद हिसाब में है ।

२—ट्रस्ट की जो सम्पत्ति एडमिनिस्ट्रेटर जनरल व आफिशियल ट्रस्टी की मृत्यु सम्बन्धी उत्तराधिकार पत्र के सम्बन्ध में किया गया व्यय व देय (claim) चुकाने के बाद मिली थी, नीचे दी है—

१—दो भवन और एक प्लाट जिनका मूल्य उस समय ६,००० रु० आंका गया था ।

२—नकद १२,००७ रु० १० आना ।

३—इस समय १५,८०० रु० सरकारी सिक्योरिटियों में लगा है और २,२७७ रु० ५९ पैसा नकद हिसाब में शेष है ।

कमेटी ने नीचे दिये दिनांकों में धर्मशाला की मरम्मत के लिये रुपया मांगा और उस पर की गई कार्यवाही उसके सामने दी है—

३-८-१९६०	कमेटी ने मरम्मत के लिये ३००—४०० रु० की मांग की ।	१०-८-१९६० को ए० जी० व ओ० टी० ने मरम्मत का ब्योरा मंगा ।
२८-८-१९६०	सूचना प्राप्त हुई कि लगातार वारिश की वजह से धर्मशाला का कुछ भाग गिर गया ।	१५-९-१९६० को ए० जी० व ओ० टी० ने इस भवन के पुनर्निर्माण के लिये तखमीना मांगा ।
१०-५-१९६१	कमेटी ने धर्मशाला की एक मंजिल बनाने के लिये १२,५०० रु० का तखमीना भेजा ।	ए० जी० व ओ० टी० ने तखमीने की जांच के बाद कमेटी के सेक्रेटरी को १०-५-१९६१ को सूचित किया कि तखमीना ज्यादा था और प्लान में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया । उन्होंने यह भी सूचित किया कि उनके पास ट्रस्ट की मद में एक-मुश्त इतनी रकम नहीं है ।

इसके उपरान्त निम्नलिखित दिनांकों को कमेटी को मरम्मत के लिये निम्नांकित रुपया दिया—

जून, १९६२ ..	..१५०० रु०
सितम्बर, १९६२.	.. ५०० रु०
कमेटी ने नवम्बर १९६२ तक का किराया लिया..	३६०। ०
दिसम्बर, १९६३	.. ५००। ०

कमेटी ने अप्रैल, १९६४ तक का किराया लिया ..	५०० रु०
अक्तूबर, १९६४ को दिया ..	१००० रु०
कमेटी ने दिसम्बर, १९६४ तक का किराया लिया ..	२२० रु०
कुल रु०	४,५८०

इसके अलावा २,००० रु० की लागत का मलबा निर्माण में लगा ।

विधान सभा

नत्थी 'ट'

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ का और संशोधन करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १५ का संशोधन

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १५ में खंड (टी) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी-कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(यू) ऐसे वर्गों तथा प्रकारों की लघु सिंचाई प्रायोजनाओं का जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाये, निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण और सिंचाई के लिये उनमें से जल-संभरण का विनियमन;

(बी) बाढ़ से रक्षा के लिये दीवालों, बांधों, उठे हुए चबूतरों तथा अन्य निर्माण-कार्यों का अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १७ के खंड (इ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(इ) नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से और जहां नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो, सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से भी, जिसे राज्य सरकार नियत करे, धारा १५ के खंड (यू) के अधीन आदेश द्वारा निर्दिष्ट लघु सिंचाई प्रायोजनाओं के अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रायोजनायें प्रारम्भ कर सकती है,"

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ३७ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) में—

(क) खंड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(एच) जल शुल्क, जहां गांव सभा द्वारा घरेलू उपभोग के लिये जल सम्भारित किया जाता हो"; और

(ख) खंड (जे) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (के) बढ़ा दिया जाय—

"(क) सिंचाई शुल्क, जहां गांव सभा द्वारा अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रायोजना से सिंचाई के लिये जल सम्भारित किया जाता हो।"

उद्देश्य और कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह इस समय है, के अधीन छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण, मरम्मत अथवा अनुरक्षण और विद्यमान बाढ़ निवारक कार्यों का अनुरक्षण गांव सभाओं के अनिवार्य कृत्यों में सम्मिलित नहीं है ।

भारत सरकार ने यह सिफारिश की है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये छोटे सिंचाई कार्यों को तेजी से चलाकर अधिक से अधिक जल साधन जुटाने के प्रयास किये जायें । राज्य सरकार ने यह सिफारिश मान ली है और अन्य बातों के साथ-साथ उसका यह विचार है कि किसानों को राज सहायता तथा ऋण दिये जायें, जिससे कि वे लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण कर सकें और उनके ऐसा न करने पर ऐसे कार्यों का निर्माण गांव सभाओं द्वारा किया जाय ।

राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान बाढ़ निवारक कार्यों का अनुरक्षण गांव सभाओं का अनिवार्य कृत्य बनाया जाय । सरकार ने इस सिफारिश को भी मान लिया है ।

तदनुसार, इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण, मरम्मत अथवा अनुरक्षण और वर्तमान बाढ़ कार्यों का अनुरक्षण गांव सभाओं के अनिवार्य कृत्य होंगे और गांव सभा को यह भी अधिकार देने की व्यवस्था की गई है कि वह अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित सिंचाई कार्यों से किये गये जल-सम्भरण के लिये सिंचाई शुल्क लगाये ।

तदनुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

राममूर्ति,
विकास मंत्री ।

विधान परिषद सचिवालय

मूल अधिनियम की वे धारायें जिनमें संशोधन अपेक्षित हैं ।

Duties and functions.

15. It shall be the duty of every Gaon Panchayat so far as its funds may allow to make reasonable provision within its jurisdiction for—

(*a*) construction, repair, maintenance, cealing and lighting of public streets ;

(*b*) medical relief ;

(*c*) sanitation and taking curative and preventive measures to remove and to stop the of an epidemic ;

(*d*) upkeep, protection and supervision of any buildings or other property which may belong to the Gaon Sabha or which may be transferred to it for management ;

(*e*) registering births, deaths and marriages, and maintenance of the register mentioned in section 9 ;

(*f*) removal of encroachments on public streets, public places and property vested in the Gaon Sabha ;

(*g*) regulating places for the disposal of dead bodies and carcasses and of other offensive matter ;

(*h*) regulation of melas, markets and hats within its area, except those managed by the State Government or the District Board and without prejudice to the provisions of the United Provinces Melas Act, 1938 ;

XVI of 1938.

(*i*) establishing and maintaining primary schools for boys and girls ;

(*j*) establishment, management and care of common grazing grounds and land for the common benefit of the persons residing within its jurisdiction :

(*k*) construction, repair and maintenance of public wells, tanks and ponds for the supply of water for drinking, washing and bathing purposes and regulation of sources of water supply for drinking purposes ;

(*l*) regulating the construction of a new building or the extension or alteration of any existing building ;

(*m*) assisting the development of agriculture, commerce and industry ;

(*n*) rendering assistance in extinguishing fire and protecting life and property when fire occurs ;

(*o*) the administration of civil and criminal justice ;

(*p*) the maintenance of such records relating to cattle census, population census and other statistics as may be prescribed ;

(*q*) maternity and child welfare ;

(*r*) allotment of places for storing manure and for tanning and curing of hides ;

(*s*) fulfilling any other obligation imposed by or under this Act or any other law on a Gaon Sabha ;

(*t*) the maintenance and control of class (1) and Kaiser-i-Hind forests, waste land (benap), water-channels and drinking places (Panghat) in the hill patties of the Kumaun Division.

Power of Gaon Panchayats as to public streets, waterways and other matters, U. P. Act VIII of 1873.

17. A Gaon Panchayat shall have control of all public streets, waterways, other than canals as defined in sub-section (1) of section 3 of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, situate within its jurisdiction not being a private street or waterways and not being under the control of the State Government or the district board or any other authority specified by the State Government and may do all things necessary for the maintenance and repair thereof and may—

(*a*) construct new bridges or culverts ;

(*b*) divert, discontinue, or close any public street, culvert or bridges ;

(*c*) widen. open, enlarge or otherwise improve any public street, culvert or bridge with minimum damage to the neighbouring fields ;

(*d*) deepen or otherwise improve waterways ;

(*e*) with the sanction of the prescribed authority and where a canal exists under the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, with the sanction also of such officer of the Irrigation Department as the State Government may prescribe, undertake small irrigation projects ;

U. P. Act VIII of 1873.

(*f*) cut any hedge or branch of any tree projecting on a public street ;

(*g*) notify the setting apart of any public watercourse for drinking or culinary purposes, and prohibit bathing, washing of clothes and animals or doing of other acts likely to pollute the course so set apart :

Provided that nothing shall be done under clause (*g*) which may effect a canal governed by the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, without the prior permission of the authority prescribed by the State Government in this behalf.

Imposition of taxes and fees.

37. (1) Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Government, a Gaon Sabha may levy—

(*a*) in areas where the rights, title and interest of intermediaries have been acquired under section 4 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, a tax on land not exceeding one anna in a rupee on the amount of land revenue payable therefor ;

Provided that where the land is in the actual cultivation of a person other than the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall be payable by the person in actual cultivation ;

(*b*) in areas other than those referred to in clause (*a*) a tax on rent not exceeding one anna in a rupee on the amount of rent payable by a tenant by whatever name called, under the law in force relating to land tenures : Provided that where the land is in the actual cultivation of

the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall not exceed one anna in a rupee on the amount of land revenue for such land ;

(*c*) a tax on theatre, cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha not exceeding five rupees per diem :

Provided that in the case of theatre, cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha, a tax not exceeding five rupees per diem may be levied ;

(*d*) a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept within the area of the Gaon Sabha and plied for hire, at the rate—

(i) in the case of animals, not exceeding three rupees per animal per annum ;

(ii) in the case of vehicles, not exceeding six rupees per vehicle per annum ;

(*e*) a tax on persons, not being persons assessed to tax under clause (*c*), exposing goods for sale in the markets, hats, or melas belonging to or under the control of the Gaon Sabha concerned ;

(*f*) fees on the registration of animals sold in any market or place belonging to or under the control of the Gaon Sabha ;

(*g*) fees for the use of slaughter houses and encamping grounds ;

(*h*) a water-rate where water is supplied by the Gaon Sabha ;

(*i*) a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrine or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the Gaon Sabha ; and

(*j*) (Deleted by U. P. Act 33 of 1961.)

(2) The taxes, rates and fees under sub-section (1) shall be imposed, assessed and realised in such manner and at such times as may be prescribed.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४३ एल० ए०—१९६५—८६२ ।